UPBD010045762023

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम बॉदा।

उपस्थितःप्रवीण कुमार सिंह द्वितीय ...उ0न्या0से0।

सत्र परीक्षण संख्या–725 सन् 2023

उ0प्र0 राज्य .... अभियोगी।

बनाम

पंकज कुमार गुप्ता पुत्र स्व0. गुलाब चन्द्र गुप्ता निवासी ग्राम मरका थाना मरका जिला–बांदा।

अपराध संख्या–163 सन् 2023

धारा– 307, 302 भा0द0सं0

थाना मरका, जिला– बांदा

अभियोजन की ओर से अधिवक्ता	श्री श्रवण कुमार तिवारी (सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी) बांदा।
अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता	श्री महिपत सिंह, एडवोकेट

अपराध की तिथि	दिनांक 16.09.2023 समय करीब 08.30 बजे
एफ0आई0आर0 दर्ज होने की तिथि	दिनांक 16.09.2023 समय 10.49 बजे
आरोप पत्र पर प्रसंज्ञान की तिथि	दिनांक 03.11.2023
उपार्पण / कमिटल की तिथि	दिनांक 16.11.2023
आरोप विरचन की तिथि	दिनांक 10.04.2024
साक्ष्य प्रारम्भ होने की तिथि	दिनांक 29.04.2024
अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता	दिनांक 31.01.2026 व 07.03.2026
निर्णय की तिथि	दिनांक 21.07.2026
सजा आदेश की तिथि, यदि कोई हो	....

निर्णय

अभियुक्त पंकज कुमार गुप्ता के विरूद्ध यह केस धारा–307, 302 भा0द0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप के विचारण हेतु मुख्य न्यायिक मजि0. बांदा के द्वारा दिनांक 16.11.2023 को सेशन्स सुपुर्द किया गया है।

अभियुक्त पंकज कुमार गुप्ता का विचारण धारा–302 भा0द0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप में किया गया है।

अभियोजन कथनानुसार संक्षेप में तथ्य प्रकार हैं कि वादी मुकदमा अमर सिंह पुत्र इन्द्रराज सिंह निवासी ग्राम मरका थाना मरका की ओर से प्रस्तुत तहरीर प्रदर्श क–1 के आधार पर थाना मरका में घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 16.09.2023 को समय 10.49 बजे इस

Digitally signed by PRAVEEN KUMAR SINGH
Date: 2026.07.21 16:57:52 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

आशय की दर्ज की गयी कि–''प्रार्थी अमर सिंह पुत्र इन्द्रराज सिंह उम्र करीब 30 वर्ष निवासी ग्राम मरका थाना मरका जनपद बांदा का मूल निवासी है। आज दिनांक 16.9.2023 को समय करीब 8.30 बजे सुबह मेरा भाई विनोद सिंह पुत्र इन्द्रराज सिंह उम्र करीब 40 वर्ष दरवाजे के सामने कुल्ला कर रहा था। तभी अचानक पंकज गुप्ता पुत्र स्व0. गुलाब गुप्ता उम्र लगभग 40 वर्ष निवासी ग्राम मरका थाना मरका जनपद बांदा आया जो अपने हाथ में धारदार चाकू लिये हुए था तथा मेरे भाई विनोद सिंह के पेट व सीने में कई जगह मार दिया जिससे मेरा भाई विनोद सिंह खून से लतफत होकर व बेहोश होकर गिर गया। उक्त व्यक्ति मेरे भाई को जान से मारने की नियत से दरवाजे पर आया था तथा चाकू लेकर मेरे भाई को जानलेवा हमला किया है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि मेरी सूचना की रिपोर्ट लिखकर आवश्यक कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।'' तहरीर के आधार पर चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट किता कर मु0अ0सं0 163/2023 धारा– 307 भा0द0सं0 के अन्तर्गत अभियुक्त पंकज गुप्ता के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कर मुकदमें के कायमी का इन्द्राज थाने की दैनिकी में विधिक अपेक्षा के अनुरूप किया गया।

दिनांक 16.9.2.23 को अभियुक्त पंकज गुप्ता के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत होने के उपरान्त प्रकरण की विवेचना उपनिरीक्षक अरविन्द कुमार द्वारा ग्रहण की गयी। तदोपरान्त विवेचक द्वारा वादी मुकदमा, प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण व अन्य गवाहान के बयानात अभिलिखित करने के उपरान्त वादी मुकदमा की निशादेही पर घटनास्थल का निरीक्षण करके नक्शा नजरी तैयार किया तथा घटनास्थल से समक्ष गवाहान निर्मोद सिंह, रामजी तिवारी खूनालूद व सादी मिट्टी का नमूना कब्जा पुलिस में लेकर पारदर्शी पलास्टिक के डिब्बे में अलग–अलग भरकर मौके पर सील सर्वमुहर कर नमूना मुहर तैयार किया तथा फर्द लिखकर उस पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाये और उस पर स्वयं हस्ताक्षर किया।

विवेचक अरविन्द कुमार मय हमराह का0 अनिल पटेल व का0 नकुल राय के साथ दिनांक 16.9.23 को बहवाले रपट नं0. 33 समय 12.33 बजे थाने से रवाना होकर अभियुक्त पंकज कुमार गुप्ता की पतारसी व सुरागरसी में मरका तिराहे पर आये और मुखविरों को तलब कर मुकदमा एवं सम्बन्धित अभियुक्त के सम्बन्ध में पर्याप्त जानकारी देते अभियुक्त की पतारसी व सुरागरसी में मामूर किया और स्वंय विवेचक हमराह आरक्षीगण के साथ अभियुक्त की तलाश में ग्राम मिर्जापुर पहुॅचे कि समय **18.45** बजे मुखविर खास ने सूचना दिया कि आज की घटना कारित करने वाला अभियुक्त मरका से बबेरू की तरफ जाने वाले रोड पर मुडिया बाबा मंदिर के थोडा आगे पैदल कहीं जा रहा है जो भागने की फिराक में है। मुखविर की सूचना पर विश्वास कर हमराहियान को सूचना से अवगत कराकर आपस में एक–दूसरे की जामातलाशी ले देकर इत्मिनान किया कि किसी के पास घटना से सम्बन्धित नाजायज वस्तु तो नहीं है। तदोपरान्त मुखविर को साथ लेकर विवेचक मय हमराहियान अपनी–अपनी मोटर साइकिल से मुखविर के द्वारा बताये गये स्थान की ओर चल दिये। वे लोग जैसे ही मरका से बबेरू की ओर जाने वाली रोड पर मुडिया बाबा मंदिर से थोड़ा आगे बोडाफोन टावर के पास पहुॅचे तो मुखविर ने इशारा करके बताया कि सामने जो व्यक्ति सफेद कुर्ता व पैण्ट पहने जा रहा है वहीं पंकज गुप्ता निवासी ग्राम व थाना मरका है। मुखविर मोटर साइकिल से उतर कर पीछे की ओर चला गया। पुलिस कर्मचारीगण द्वारा मोटर साइकिल से उक्त व्यक्ति के पास पहुॅचकर घेरघार कर

हिकमत अमली व बल प्रयोग कर बोडाफोन टावर के पास ही पकड लिया। पकडे गये व्यक्ति से नाम पता पूछते हुए भागने का कारण पूछा गया तो सकपकाते हुए अपना नाम पंकज कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 गुलाब गुप्ता निवासी ग्राम मरका थाना मरका जिला बांदा बताया तथा कड़ाई से पूछने पर बताया कि आज सुबह मैने अपने पडोसी विनोद उर्फ गब्बर को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था और मौका पाकर वह भाग रहा था कि पकड लिया गया। पकडे गये अभियुक्त पंकज की जामातलाशी हमराहियान ने लिवायी गयी तो पहने हुए कपडे के अलावा उसके पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ। तदोपरान्त अभियुक्त को जुर्म से अवगत कराकर समय करीब **19.10** बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। टार्च व मोबाइल की रोशनी में मौके पर ही फर्द गिरफतारी प्रपत्र विवेचक द्वारा तैयार किया गया तथा लिखकर, पढकर सुनाकर फर्द पर अभियुक्त व हमयाहियान के हस्ताक्षर करवाये गये। गिरफतारी की सूचना अभियुक्त की पत्नी श्रीमती रेखा को उसके बताये मोबाइल नं0. 7905435146 पर जरिये दूरभाष दी गयी। उक्त दिनांक को ही उपनिरीक्षक अरविन्द कुमार हमराह आरक्षीगण नकुल राय व रविन्द्र रजक व अभियुक्त पंकज कुमार, वाहन सरकारी जीप संख्या यू0पी0 90जी–0336 मय चालक रमेश यादव के मुकदमा उपरोक्त की घटना में प्रयुक्त चाकू की बरामदगी अभियुक्त पंकज कुमार गुप्ता की निशादेही पर करने हेतु बहवाले रपट नं0.48 समय 20.20 बजे थाने से रवाना हुए। अभियुक्त ने घटना में प्रयुक्त चाकू को नाले के किनारे स्थित झाडी में यमुना नदी की तरफ छिपाना बताया, अतः अभियुक्त की निशांदेही पर वाहन को मरका गांव में नाले की ओर लाया गया तथा नाले से पहले अभियुक्त को जीप से उतारा गया तथा उसको दस्ताने पहनने हेतु दिये गये। अभियुक्त ने दस्ताने पहने और आगे–आगे चलकर नाले के किनारे स्थित झाडियों में से अपने हाथ से रक्त रंजित चाकू निकालकर दिया, जिसे मौके पर ही ग्राम मरका के उपस्थित गवाहान निर्मोद सिंह, रामजी तिवारी के समक्ष कब्जा पुलिस में लिया गया। थाने पर पहले से मौजूद फील्ड यूनिट टीम के कर्मचारीगण का0 चन्द्रपाल सिंह, म0का0 वर्षा दुबे को मौके पर बुलाया गया, जिनके द्वारा खूनालूद चाकू पर मौजूद चांस प्रिन्ट को लिया गया तथा अभियुक्त उपरोक्त के दोनों हाथों की सभी उॅगलियों के फिंगर प्रिन्ट सादे कागज पर समक्ष गवाहान उपरोक्त लिये गये। अभियुक्त के पहने कपडे जहां पर खून की छीटे मौजूद है, को काटकर कब्जा पुलिस में लिया गया। बरामदशुदा चाकू पारदर्शी प्लास्टिक के डिब्बे में रखकर सर्वमुहर सील कर नमूना मुहर तैयार किया गया तथा चांस प्रिण्ट व अभियुक्त के फिंगर प्रिण्ट को एक लिफाफे में रखकर सील मोहर किया गया तथा कपडों की कटिग (पैण्ट कुर्ता) दो पारदर्शी पोलीथीन में अलग–अलग रखकर एक लिफाफे में बंद कर मौके पर ही समक्ष गवाहान सील मोहर किया गया और नमूना मुहर तैयार किया गया। फर्द लिखकर पढकर सुनाकर सभी सम्बधित व अभियुक्त के हस्ताक्षर बनवाये गये। बरामद चाकू के फल की लम्बाई 8 अंगुल, लकडी के लगे बेंट की लम्बाई 8 अंगुल। बेंट के अगले हिस्से पर स्टील की पत्ती लगी है तथा बेंट फल से दो स्टील की रिपिट से कसा है तथा बेट की तरफ चाकू की चौडाई दो अंगुल है। बेट लकडी का है। माल व मुल्जिम को लाकर थाने पर दाखिल किया गया।

यहां पर इस तथ्य का उल्लेख किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है कि स्थानीय थाना मरका जिला बांदा में अभियुक्त पंकज कुमार गुप्ता के विरूद्ध थाने पर मुकदमा पंजीकृत किये जाने से पूर्व ही घटना दिनांक 16.9.2023 को समय 8.33 बजे मजरूबी चिट्ठी व का0 विकास,

का0 शैलेन्द्र के साथ प्राइवेट वाहन से मजरूब विनोद सिंह को तत्काल इलाज हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बबेरू रवाना किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्साधिकारी द्वारा दिनांक 16.9.2023 को समय 8.38 ए.एम. पर प्राथमिक उपचार के उपरान्त मजरूब की चोटे गंभीर होने के कारण जिला चिकित्सालय बांदा इलाज हेतु अग्रसारित किया गया, जहां पर दिनांक 16.9.2023 को समय 9.48 बजे मजरूब का इलाज व चिकित्सीय परीक्षण किया गया। मजरूब की दशा गंभीर होने के फलस्वरूप जिला चिकित्सालय बांदा से रानी दुर्गावती मेडिकल कालेज बांदा रेफर किया गया। मेडिकल कालेज बांदा से मजरूब विनोद सिंह की हालत गंभीर होने के कारण दिनांक 16.9.23 को 11.00 पीएम पर इलाज हेतु जीएसवीएम मेडिकल कालेज कानपुर अग्रसारित किया गया। मेडिकल कालेज कानुपर में मजरूब विनोद सिंह का इलाज हुआ। तदोपरान्त जीएसवीएम मेडिकल कालेज कानपुर से मजरूब विनोद सिंह को वेलसन मेडिसिटी हास्पिटल लखनऊ इलाज हेतु रेफर किया गया जहां पर मजरूब विनोद सिंह को दिनांक 17.9.2023 को समय 11.34 पीएम पर भर्ती कराया गया। मजरूब विनोद की इलाज के दौरान विल्सन मेडिसिटी हास्पिटल लखनऊ में दिनांक 20.9.2023 को समय 5.15 बजे सांय मृत्यु हो गयी।

दिनांक 20.9.23 को पी0जी0आई0 के कर्मचारी अभिजीत वर्मा द्वारा मो0 नं0–9670472256 एवं लिखित रूप से वेलसन मेडिसिटी हास्पिटल में इलाज के दौरान मजरूब विनोद सिंह की मृत्यु हो जाने की सूचना थाना पी0जी0आई0 लखनऊ को दी गयी। अतः उपनिरीक्षक अवनीश कुमार ने का0 गौरव कुमार को साथ लेकर मय जिल्द पंचनामा व आवश्यक सामग्री सहित बहवाले रपट नं0. 40 समय 19.43 बजे दिनांक 20.9.2023 को थाना पीजीआई से रवाना होकर वेलसन मेडिसटी हास्पिटल बृन्दावन योजना शहीद पथ पहुॅचे जहां पर मृतक के परिजन उपस्थित मिले। उपनिरीक्षक द्वारा मृतक की मृत्यु की जानकारी कर सांत्वना देते हुए परिजन व हास्पिटल स्टाफ के साथ हास्पिटल के तृतीय तल पर स्थित एम/आईसीयू पहुॅचे जहां पर मृतक विनोद सिंह के शव का निरीक्षण का0 गौरव कुमार की सहायता से किया। मृतक के उपस्थित परिजन में से पंचान नियुक्त कर पंचनामे की कार्यवाही में मशरूफ हुए। उपनिरीक्षक द्वारा पंचनामे में नियुक्त पंचान का विवरण, मृतक के शव की दशा, मृतक के शव पर पायी गयी चोटें, शव की हुलिया, शव पर पहनावा का सूक्ष्म निरीक्षण कर पंचनामें में विस्तृत रूप से उल्लेख करते हुए राय पंचान अंकित किया। उपनिरीक्षक ने पंचान की राय से इत्तिफाक करते हुए शव को मौके पर सील मुहर कर सम्बन्धित प्रपत्र चालान लाश पुलिस प्रपत्र–13, पुलिस प्रपत्र–379 फोटो नाश, नमूना मुहर, रिपोर्ट सी0एम0ओ0 आदि वांछित प्रपत्रों के साथ शव को पोस्टमार्टम हेतु शव का0 गौरव कुमार को सुपुर्द कर के0जी0एम0यू0 लखनऊ रवाना किया गया। मृतक विनोद सिंह के शव का पोस्टमार्टम दिनांक 21.9.2023 को डा0 पंकज कुमार गुप्ता एव डा0 आनन्द कुमार के पैनल द्वारा सम्पादित किया गया चिकित्सक के मतानुसार मृतक की मृत्यु सेप्टीसीमिया वजह एण्टीमार्टम इंजरी से संभावित है।

विवेचक द्वारा विवेचना के दौरान प्रकरण से सम्बन्धित गवाहान के बयानात अभिलिखित किये तथा आवश्यक प्रपत्रों को संकलित किया गया। दौरान इलाज आहत विनोद कुमार सिह की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप मामला धारा–307 भा0द0सं0 से धारा–302 भा0द0सं0 के अन्तर्गत बहवाले रपट नं0.39 समय 20.24 बजे दिनांक 7.10.2023 को तरमीम किया गया।

तदोपरान्त प्रकरण की विवेचना थानाध्यक्ष मरका श्री रमेश कुमार ने ग्रहण की। विवेचना के दौरान विवेचक ने पंचनामें से सम्बन्धित गवाहान एवं उपनिरीक्षक अवनीश कुमार एव अन्य गवाहान के बयानात अभिलिखित किये किये। मामले की समुचित विवेचना के उपरान्त अभियुक्त पंकज कुमार गुप्ता के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाकर सम्बन्धित विद्वान मजिस्ट्रेट के न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया।

विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांदा के द्वारा दिनांक 16.11.2023 को अभियुक्त पंकज कुमार गुप्ता को दं0प्र0सं0 की धारा–207 के तहत अभियोजन अभिलेखों की प्रतियां प्रदान कराकर मामले को परीक्षण हेतु सेशन्स सुपुर्द किया गया।

मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा दिनांक 10.4.2024 को अभियुक्त पंकज कुमार गुप्ता के विरूद्ध धारा– 302 भा0द0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप गठित किया गया। अभियुक्त ने आरोप से इनकार किया और परीक्षण की मांग की।

अभियुक्त के विरूद्ध आरोप को सिद्ध करने के लिए अभियोजन की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में कुल 09 साक्षीगण न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराये गये, जो निम्नवत हैः–

अभियोजन साक्षी संख्या	**साक्षी का नाम**	**विवरण**
पी0डब्लू0–1	अमर सिंह	वादी मुकदमा
पी0डब्लू0–2	श्रीमती कोमल	चक्षुदर्शी साक्षी
पी0डब्लू0–3	निर्मोद सिंह	चक्षुदर्शी साक्षी
पी0डब्लू0–4	हे0का0 कमलेश कुमार	प्राथमिकी लेखक
पी0डब्लू0–5	डा0 विनीत कुमार	डाक्टरी परीक्षण कर्ता
पी0डब्लू0–6	उपनिरीक्षक अवनीश कुमार	मृतक के शव के पंचायतनामा कर्ता
पी0डब्लू0–7	डा0 पंकज कुमार गुप्ता	मृतक के शव के पोस्टमार्टम कर्ता
पी0डब्लू0–8	उपनिरीक्षक अरविन्द कुमार	प्रथम विवेचक
पी0डब्लू0–9	उपनिरीक्षक रमेश कुमार	अन्तिम विवेचक

इसके अलावा अभियोजन पक्ष की ओर से आरोप पत्र के किसी अन्य साक्षी को न्यायालय में परीक्षित नहीं कराया गया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त के विरूद्ध अपना केस सिद्ध करने के उद्देश्य से तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श क–1, वेलसन मेडिसिटी हास्पिटल में मजरूब विनोद सिंह का अंकित मृत्युकालीन बयान प्रदर्श क–2, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–3, कायमी मुकदमें की जी0डी0 प्रदर्श क–4, इंजरी रिपोर्ट मजरूब विनोद सिंह दिनांक 16.9.2023 जिला चिकित्सालय बांदा प्रदर्श क–5, डिस्चार्ज स्लिप मजरूब विनोद सिंह प्रदर्श क–6, पंचनामा मृतक विनोद सिंह प्रदर्श क–7, चालान लाश पुलिस प्रपत्र–13 प्रदर्श क–8, पुलिस प्रपत्र–379 फोटो नाश प्रदर्श क–9, नमूना मोहर प्रदर्श क–10, पोस्ट मार्टम रिपोर्ट मृतक विनोद सिंह प्रदर्श क–11, नक्शा नजरी घ टनास्थल प्रदर्श क–12, नक्शा नजरी बरामदगी आला कतल चाकू प्रदर्श क–13, फर्द लेने कब्जा पुलिस सादी व खूनालूद मिट्टी प्रदर्श क–14, फर्द गिरफतारी अभियुक्त पंकज कुमार गुप्ता प्रदर्श क–15, फर्द लेने कब्जा पुलिस आला कतल चाकू प्रदर्श क–16 एवं आरोप पत्र प्रदर्श क–17 प्रस्तुत कर सिद्ध किया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से कथित रूप से घटना में प्रयुक्त आला कतल मय केरी बैग व चाकू वस्तु प्रदर्श–1 व वस्तु प्रदर्श–2, नमूना सादी व खूनालूद मिट्टी मय डिब्बा वस्तु प्रदर्श–3 व वस्तु प्रदर्श–4, लिफाफा जिसमें कटिग कपड़ा खूनालूद रखा है लिफाफे पर वस्तु प्रदर्श–5, लिफाफे से निकली कुर्ते का कटन वस्तु प्रदर्श–6 व पैण्ट का कटन वस्तु प्रदर्श–7 व प्लास्टिक के डिब्बे से चाकू निकाला गया जिसपर विधि विज्ञान प्रयोगशाला की चिट चस्पा है, पर वस्तु प्रदर्श–8 न्यायालय में प्रस्तुत कर सिद्ध कराया गया जिन्हें उपरोक्तानुसार प्रदर्शाकित किया गया। इसके अलावा विधि विज्ञान प्रयोगशाला फाफामऊ की जांच रिपोर्ट दिनांक 12.10.2023 एवं दिनांक 26.10.2023 पत्रावली पर उपलब्ध है।

अभियोजन पक्ष की साक्ष्य के उपरान्त अभियुक्त का बयान धारा–313 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत अभिलिखित किया गया। अभियुक्त पंकज कुमार गुप्ता ने अपने बयान धारा–313 द0प्र0सं0 में अभियोजन कथानक को गलत बताते हुए वादी मुकदमा अमर सिंह के द्वारा झूठा बयान एवं चिकित्सीय प्रपत्र को गलत साबित किये जाने की बात कही है। अभियुक्त का कथन है कि अभियोजन साक्षी कोमल पी0डबलू0.2 एवं निर्मोद सिंह पी0डब्लू0.3 वादी मुकदमें के पारिवारिक होने के कारण झूठा बयान दिया है। हे0का0 कमलेश कुमार ने वादी के प्रभाव में एण्टीडेट व एण्टी टाइम मुकदमा कायम किया है। अभियोजन साक्षी डा0 विनीत कुमार पी0डबलू0.5 ने वादी के प्रभाव में झूठा मेडिकल तैयार किया तथा साक्षी ने उपनिरीक्षक अवनीश कुमार पी0डब्लू0.6 व पी0डब्लू0.7 डा0 पंकज कुमार गुप्ता द्वारा दिये गये साक्ष्य के बाबत कोई जानकारी होने से इंकार किया है। अभियोजन साक्षी अरविन्द कुमार पी0डबलू0.8 द्वारा वादी मुकदमा के प्रभाव में घटनास्थल से फर्जी बरामदगी चाकू की दिखायी गयी है, अभियुक्त का कथन है कि उसके पास से कोई बरामदगी नहीं हुई है तथा अभियोजन साक्षी रमेश कुमार पी0डब्लू0.9 के द्वारा गलत बयान देने व गलत प्रपत्र साबित किये जाने की बात कही है। अभियुक्त का यह भी कथन है कि फर्जी सैम्पल भेजकर झूठी जांच करायी गयी है। अभियुक्त ने गवाहान द्वारा रंजिशन गवाही दिये जाने की बात कही गयी।

अभियुक्त ने अपने बयान धारा–313 द0प्र0सं0 मे ंयह भी कथन किया है कि कथित घ टना के तीन चार वर्ष पूर्व से ही वह मानसिक बीमारी से ग्रसित था। कथित घटना की सांय पुलिस ने उसे साजिशन पकडकर इस मामले में झूठा चालान कर दिया है, वह निर्दोष है, उसको झूठा फंसाया गया है।

अभियुक्त पंकज कुमार ने अपने **अतिरिक्त** बयान धारा–313 द0प्र0सं0 में अभियोजन साक्ष्य को गलत बताते हुए अभियोजन साक्षी वादी मुकदमा अमर सिंह पी0डब्लू0.1 के द्वारा गलत बयान दिये जाने की बात कहते हुए गवाहान द्वारा झूठी गवाही देने व रंजिशन मुकदमा चलाये जाने की बात कही है।

बचाव पक्ष की ओर से प्रतिरक्षा में डा0 विपुल मेहरोत्रा को बतौर डी0डबलू0.1 वीडियो कांफ्रेन्सिंग के माध्यम से न्यायालय में परीक्षित कराया गया है। इसके अलावा बचाव पक्ष की ओर से प्रतिरक्षा में सबूत सूची 25ख से डा0 विपुल मेहरोत्रा मानसिक एवं सैक्स रोग विशेषज्ञ इलाहाबाद मनोचिकित्सक केन्द्र द्वारा किये गये इलाज का पर्चा दिनांक 19.7.2022 एवं दिनांक 27.8.2022 प्रदर्श **ख–1** एवं प्रदर्श **ख–2** प्रस्तुत किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता बचाव पक्ष एवं अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी को विस्तार से सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध सम्पर्ण मौखिक एवं दस्तावेजी का परिशीलन किया।

अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्षी वादी मुकदमा अमर सिंह **पी0डब्लू0.1** ने अपनी मुख्य परीक्षा में शपथ पर बयान किया कि– विनोद उर्फ गब्बर मेरा बड़ा भाई था। पंकज गुप्ता हमारा पडोसी है जिसे मैं भलीभांति जानता हूँ। दिनांक 16.9.23 को सुबह लगभग 8.30 बजे मेरा भाई विनोद अपने दरवाजे के बाहर कुल्ला कर रहा था तो उक्त पंकज गुप्ता मेरे भाई विनोद को मार डालने की नियत से उसके शरीर पर धारदार चाकू से पेट व सीने तथा शरीर पर कई वार करके उसको गंभीर रूप से घायल कर दिया। विनोद जान बचाने के लिये थाने की तरफ भागा तो पंकज भी भागा। इस घटना को मेरी बहन अंजली व भाभी कोमल व निर्मोद व अन्य लोगो ने भी देखा। इस घटना की सूचना मुझको मेरी बहन क्षमा ने लगभग 8.30 बजे सुबह दिया था। उस समय मैं जियो टावर में काम कर रहा था। मैं वहां से तुरन्त आया तो थाना गेट पर मेरा चोटहिल भाई गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिला तथा मुझसे बताया कि पंकज ने मुझे जान से मार डालने की नियत से मेरे ऊपर धारदार चाकू से जान लेवा हमला किया है। मेरे भाई विनोद को पुलिस वाले छोटे भाई सूरज उर्फ छोटू के साथ बबेरू भेज दिया। उनके वहां से चले जाने के बाद मैं बाहर से तहरीर लिखाकर उसको पढ़कर अपने दस्तखत बनाकर थाने ले जाकर मुकदमा कायम कराया। तहरीर मेरे बोलने पर लिखी गयी थी जो पत्रावली में शामिल कागज संख्या–4क/4 है जिस पर मेरे हस्ताक्षर बने हुए हैं, मैं अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त करता हूँ। इस पर प्रदर्श **क–1** डाला गया। चोटहिल भाई को बबेरू से बांदा व बांदा से कानपुर भेजा गया था। भाई की गंभीर हालत को देखते हुए दूसरे दिन लखनऊ भेज दिया गया था, जिसकी सूचना फोन से मेरे छोटे भाई व पिता द्वारा दी जाती थी। मैं पैसे आदि की व्यवस्था करके दिनांक 18.9.2023 को लखनऊ गया था। उस समय मेरे चोटहिल भाई का लखनऊ में इलाज चल रहा था। मेरे पहुँचने के दूसरे दिन वहीं लखनऊ अस्पताल में मेरे भाई विनोद ने अस्पताल के कागज में घटना के बाबत पूरी बात बोलकर अस्पताल के एक कर्मी से लिखाया था और उस कागज पर अपने हस्ताक्षर बनाया था तथा उसका निशान अंगूठा भी लगवाया था। उसी कागज पर मैने व मेरे पिता इन्द्रराज सिंह ने अपने–अपने दस्तखत बनाये थे तथा हमदोनों के निशान अंगूठा लगाये थे। उक्त कागज लिखाते समय डाक्टर साहब भी मौजदू थे। पत्रावली में शामिल कागज संख्या 30क/2 पर मेरे हस्ताक्षर व निशान अंगूठा बने हैं जिसकी मैं तस्दीक करता हूँ जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया।

दिनांक 20.9.2023 को पंकज द्वारा पहुँचायी गयी चोटों के कारण मेरे भाई विनोद की लखनऊ अस्पताल में मृत्यु हो गयी। वहीं उसका पंचायतनामा व पोस्टमार्टम हुआ था। पंचायतनामा में अन्य लोगो के साथ मेरे भी हस्ताक्षर बने हैं,जिसकी मैं शिनाख्त करता हूँ। दरोगाजी ने मेरा बयान लिया था। दरोगाजी को मैने,मेरी बहन अंजली व भाभी कोमल ने घ टनास्थल दिखा दिया था। इस घटना के एक दिन पहले मेरे भाई विनोद व पंकज में आपसी विवाद हुआ था जिसमें विनोद को सबक सिखाने की धमकी पंकज ने दिया था।

अभियोजन साक्षी वादी मुकदमा अमर सिंह पी0डब्लू0.1 से विद्वान अधिवक्ता बचाव पक्ष की ओर से विस्तार से जिरह की गयी है। वादी ने अपनी प्रतिपरीक्षा बयान के **पेज–3** पर कथन

किया कि—मुझे जियो टावर में नौकरी मिली हुई है। मेरा वहां जाने का कोई फिक्स टाइम नहीं है। जब फोन आता है तब मैं टावर जाता हूॅ। मैं दिनांक 15.9.2023 को टावर चला गया था और रात में वहीं सोया था। उस दिन टावर में मेरे अलावा और कोई नहीं था। मेरे अधिकारी इलेक्ट्रिशियन जो बबेरू में रहते हैं। मेरे घर से टावर लगभग 500—700 मीटर दूर है। मेरे घर के दरवाजे से टावर दिखायी नहीं देता है, छत से दिखायी देता है। अगर से तेजी से जाओ तो 6—7 मिनट लगता है। मैं घर से खाना खाकर गया था। मुझे टावर में काम करते हुए लगभग सात—आठ साल हो गया है। मैं नौकरी करने परमानेण्ट नहीं जाता हूॅ।

अभियोजन साक्षी वादी मुकदमा अमर सिंह पी0डब्लू0.1 आगे अपनी जिरह के पेज—**4** लगायत **10** पर कथन किया कि—हमलोग पांच भाई व चार बहने हैं। इनमें से मेरे एक भाई विनोद सिंह की हत्या हो गयी है। मेरे बचे हुए चार भाइयों में मेरी व मेरे छोटे भाई मोहित की शादी हो चुकी है। मेरी दो बहनों रीनू सिंह व रीना सिंह की शादी हो चुकी है। दो बहन क्षमा व अंजली की शादी अभी नहीं हुई है। मेरा सबसे बडा भाई विनोद था उसके बाद मैं अमर सिंह, फिर मोहित सिंह, फिर राज सिंह और फिर सूरज सिंह हैं। मैं अपने भाइयों में दूसरे नम्बर का हूॅ। मेरे बडे भाई मृतक विनोद सिंह की शादी नहीं हुई थी। मेरे पिता इन्द्रराज सिंह तीन भाई हैं......... मैं निर्मोद सिंह पुत्र सुखलाल सिंह को जानता हूॅ। उससे मेरे कोई सम्बन्ध नहीं है, पडोसी के नाते जानता हूॅ। मेरे पिता के नाम लगभग 23—24 बीघा जमीन है। हम माता पिता व भाई व भाई वहन एक साथ रहते हैं, हमारा कोई बटवारा नहीं है।

मैं बी0ए0 फाइनल तक पढ़ा हूॅ। मैं अच्छी तरह से लिख—पढ लेता हूॅ। मैने जो थाने में तहरीर दी थी। वह मोरे सुनार से लिखाया था। जो तहरीर मैने थाने में दी थी,वह सभी लोगो से सलाह मशविरा करके दी थी मुझे अनुभव नहीं था कि तहरीर में क्या लिखना है। इसलिये मैने तहरीर सलाह मशविरा करके लिखायी थी। मैने जब प्रार्थनापत्र दरोगाजी को दिया था तब मैने उनसे यह बात नहीं बतायी थी कि तहरीर मैने मोरे लाल सुनार से लिखाकर दिया है। मैने प्रार्थनापत्र में ये बात नहीं लिखायी थी कि तहरीर मैने किससे लिखायी है। जब मैं थाने पहॅुचा था तो उसके पहले मेरा भाई पहले से थाने पर पहॅुच गया था। मेरे पिताजी थाने नहीं पहॅुचे थे। मेरे पहॅुचने के लिये सूरज ने कोई प्रार्थनापत्र नहीं दिया था। मैं लगभग 8.33 के लगभग के आस—पास थाने पहॅुच गया था। जब मैं थाने पहॅुचा तो मुझे गेट के बाहर ही मेरा भाई विनोद मिला था। थाने के बाहर ही दरोगाजी आये थे, फिर दीवानजी हमदोनों भाइयों को अन्दर ले गये थे। अन्दर दरोगाजी मिले थे। दरोगाजी ने हमसे कहा कि पहले विनोद को बबेरू अस्पताल लेकर जाओ। फिर सूरज व मेरे पापा विनोद को लेकर बबेरू अस्पताल आये,फिर दरोगाजी ने मुझसे कहा कि प्रार्थनापत्र लिखकर दे दो तब मैने प्रार्थनापत्र लिखाकर थाने में दिया था। मैने थाने में प्रार्थनापत्र लगभग सवा ग्यारह बजे दिया था,जिस नम्बर से क्षमा ने मुझको फोन से सूचना दी थी वो नम्बर मुझे याद नहीं है। घटना के तुरन्त बाद मुझे क्षमा ने सूचना दी थी। मैं टावर से सीधे थाने गया था। मेरे थाने पहॅुचने से पहले पुलिस ने कोई तैयारी मेरे भाई विनोद को बबेरू अस्पताल भेजने की नहीं की थी। मैने अपनी तहरीर में यह बात नहीं लिखायी कि मेरा भाई विनोद गंभीर अवस्था में घायल थाने के बाहर मिला था, पंकज न तो मुझे थाने के अन्दर मिला और न ही थाने के बाहर दिखा था।

मैने अपने दिये तहरीर में यह बात नहीं लिखायी थी कि मेरे चोटहिल भाई विनोद ने मुझे बताया था कि पंकज ने मेरे ऊपर चाकू से जान से मारने की नियत से वार किया था। यह बात मैने मुख्य बयानों में पहली बार बतायी है। मैने तहरीर में यह बात लिखायी थी कि विनोद जब बचने के लिये थाने की ओर भागा तो पंकज भी भागा। अगर मेरी तहरीर में यह बात न लिखी हो तो मैं इसकी कोई वजह नहीं बता सकता। मैने तहरीर में यह लिखाया था कि मेरा भाई विनोद खून से लथपथ होकर बेहोश होकर गिर गया था। मैने अपनी तहरीर में यह बात नहीं लिखायी थी कि घटना को मेरी बहन अंजली व भाभी कोमल व निर्मोद व अन्य लोगों ने देखा यह बात मैने अपने मुख्य बयान में पहली बार बतायी है। मैने अपने प्रार्थनापत्र में यह बात लिखायी थी कि इस घटना की सूचना मेरी बहन क्षमा ने लगभग साढे आठ बजे सुबह दिया था। अगर मेरी तहरीर में यह बात न लिखी हो तो मैं इसकी कोई वजह नहीं बता सकता। मैने अपने प्रार्थनापत्र मे ंयह बात नहीं लिखायी थी कि मेरे भाई विनोद को पुलिस वालो ने छोटे भाई सूरज उर्फ छोटू के साथ बबेरू भेज दिया था। यह बात मैने मुख्य बयानों में पहली बार बतायी है। मैने अपने प्रार्थनापत्र में यह बात नहीं लिखायी थी कि घटना के एक दिन पहले मेरे भाई विनोद व पंकज के बीच आपसी विवाद हुआ था जिसमें विनोद को जान से मारने की धमकी पंकज ने दी थी। जो बात मुझको क्षमा ने फोन से बतायी थी वही बात मैने प्रार्थनापत्र में लिखकर दिया था। मैने कोई घटना अपनी आंखों से नहीं देखी। मुझे यह बात क्षमा ने बतायी थी कि मेरा भाई विनोद उम्र 40 वर्ष अपने दरवाजे के सामने कुल्ला कर रहा है। अगर यह बात मेरे पुलिस के दिये बयानों में न लिखी हो तो मैं इसकी कोई वजह नहीं बता सकता। यह मैने अपने मुख्य बयानों में पहली बार बतायी है। मैंने पुलिस को दिये अपने बयानों में यह बात नहीं बतायी थी कि क्षमा ने मुझे बताया था कि विनोद खून से लथपथ होकर बेहोश होकर गिर गया था,घटना को भाभी कोमल,बहन अंजली व अन्य लोगो ने देखा था। यह बयान मैने पहली बात अपने मुख्य बयानों में दिया था।

यह कहना गलत है कि मैं घटना के समय टावर मे ंसो रहा था,घटना को मेरी बहन अंजली व कोमल ने घटित होते हुए न देखा हो।

यह भी कहना गलत है कि मैने इसलिये अंजली व भाभी कोमल के नाम न तो अपनी तहरीर में लिखाया औैर न ही पुलिस को दिये गये बयानों में लिखाई हो।

यह कहना गलत है कि निर्मोद व सूरज ने घटना न देखी हो,इसलिये मैने उनके नाम तहरीर व धारा–161 सीआरपीसी के बयानों में न लिखाया हो।

मेरे मकान का मुख्य दरवाजा पूरब की तरफ खुलता है। मेरे दरवाजे से ही लगी हुई पक्की सड़क है,मेरे दरवाजे से लगी हुई चबूतरिया बनी है। मैं दिशाये ंजानता हूॅ। मेरे मकान से पंकज का मकान दस–बाहर मीटर की दूरी पर है। मैं अपने मकान से पंकज के मकान की दिशा नहीं बता सकता। मेरे मकान से लगा हुआ भरत तिवारी का मकान है,किस दिशा में है,नहीं बता सकता। मेरे मकान के सामने शिवराज तिवारी का मकान है और भरत तिवारी के मकान से लगा हुआ रामजी तिवारी का मकान है। रामजी तिवारी के मकान के सामने रोड के उस पार चांगू बाबा का देवस्थान है और चागू बाबा के देवस्थान से लगा हुआ पंकज का मकान है।

अभियोजन साक्षी वादी मुकदमा ने आगे अपनी जिरह के पेज–11 व 12 पर कथन किया है कि–मेरे मकान के सामने वाला रास्ता पूरब से पश्चिम दिशा को जाता है। दरोगाजी घटना

वाले ही दिन मेरे घर आये थे। दरोगाजी स्वयं मेरे मकान के सामने वाला रास्ता देखा था। मेरे मकान से भरत तिवारी का मकान **उत्तर** की ओर से और उसके मकान के सामने का रास्ता भी **पूरब** से **पश्चिम** को जाता है फिर कहा कि भरत तिवारी का मकान पूरब की ओर से। भरत तिवारी के मकान के उत्तर चांगू बाबा का स्थान है उस स्थान से लगा हुआ पंकज का मकान है। मेरे मकान के सामने शिव शरण का मकान है। मेरे मकान व शिव शरण के मकान के बीच खडण्जा है जिसकी चौड़ाई लगभग आठ फीट है। भरत तिवारी के मकान के सामने हैण्ड पम्प लगा है जो चालू हालत में है। मेरे मकान में दस कमरे बने हैं। मेरे घर के अन्दर तीन लैट्रिन बाथरूम बने हैं। घर के बाहर कोई लैट्रिन बाथरूम नहीं बना है। हमारे घर के सारे सदस्य उन्हीं तीनो लैट्रिन बाथरूम का प्रयोग करते हैं। हमारे घर का कोई सदस्य शौच के लिये बाहर नहीं जाता है। घर के अन्दर बने एक लैट्रिन के साथ बाथरूम अटैच है व एक बाथरूम अलग है। मेरे घर से थाना लगभग 200 मीटर की दूरी पर है। जब मैं थाने से अपने घर आया था तो मैने देखा था कि सडक पर खून पड़ा हुआ था। मेरे घर के सामने खून नहीं था। मैने दरोगाजी को वह जगह नहीं दिखायी थी जहां खून पडा था उन्होने खुद वह जगह देख ली थी। मेरे भाई का खून सड़क पर लगभग तीन मीटर दूरी तक पड़ा था। जिस जगह मेरा भाई थाने में लेटा था उस जगह भी खून पडा था।

वादी मुकदमा अमर सिंह पी0डबलू0.1 ने आगे अपनी जिरह के **पेज–13** पर कथन किया कि– जब मेरा भाई थाने के बाहर चोटहिल हालत में पडा हुआ था तो दीवानजी ने मेरे भाई को थाने के अन्दर बुलाया था। दिवानजी ने मेरे भाई की चोटे देखी थी और उसमें साफी बांधी थी। दीवानजी ने चोटे देखकर कहीं अपने पास दर्ज नहीं किया था तुरन्त बबेरू अस्पताल भेज दिया था। पहले मेरे भाई को दीवानजी ने अन्दर बुलाया था उसके बाद तहरीर लेकर रिपोर्ट लिखी थी। मैं अपने भाई के साथ अस्पताल नहीं गया था,मैं रिपोर्ट लिखाकर अपने घर चला आया था। दरोगाजी उसी दिन मेरे घर आने के बाद मेरे घर आये थे। दरोगाजी ने जो मेरे भाई का खून रास्ते में पडा था,उसको अपने कब्जे में लिया था और सील भी किया था। मैं जब थाने मे ंथा उस समय मैने पंकज गुप्ता को न तो लाकप में देखा था ओर न ही थाने के किसी भी स्थान में बैठे हुए उसे देखा था। बबेरू अस्पताल से जब मेरा भाई मेडिकल कालेज के लिये रेफर किया गया था तब भी मैं उसके साथ बांदा नहीं आया था और न ही उसके साथ कानपुर अस्पताल गया था। मैं घटनावाले दिन पूरा दिन पैसे की व्यवस्था करता रहा। मैने पैसा लेकर मोहित के ससुर के खाते में आन लाइन भेजा था। मैं स्वयं देने नहीं गया था।

यह कहना गलत है कि मेरे भाई शराब पीता था,गुण्डागर्दी करता था इसलिये किसी ने अन्यत्र स्थान पर मारा हो लेकिन पंकज से भलाई बुराई के कारण उसको इस केस में झूठा फसा दिया हो। यह कहना गलत है कि विनोद पंकज की पत्नी के साथ छेड़खानी किया हो और उसके बिना मर्जी के सम्बन्ध बनाने का प्रयास करता रहा हो जिसका उलाहना पंकज ने मेरे पिताजी से दिया हो जिससे हम रंजिश मानने लगे थे। यह कहना गलत है कि पंकज द्वारा विनोद की शिकायत करने पर हमारा परिवार पूरा उससे रंजिश मानने लगा हो। यह कहना गलत है कि पंकज ने विनोद के उपर कोई वार न किया हो और न ही घटना के समय पंकज मौके पर मौजूद रहा हो।

मेरे भाई की शादी नहीं हुई थी लेकिन वह घर के बाहर नहीं सोता था घर के अन्दर ही सोता था। यह कहना गलत है कि मेरा भाई रात को बाहर सोता रहा हो और रात को तीन चार बजे किसी ने उसको चाकू मार दिया हो। यह भी कहना गलत है कि मेरा भाई विनोद किसी को कुछ न बता पाया हो बेहोशी की हालत में ही उसकी मृत्यु हो गयी हो।

अभियोजन साक्षी वादी मुकदमा अमर सिंह पी0डबलू0.1 ने अपनी जिरह के **पेज–14** पर कथन किया कि मेरे भाई विनोद की हालत अत्यधिक गंभीर थी इसलिये चिकित्सों ने बबेरू से जिला अस्पताल बांदा व जिला अस्पताल बांदा से मेडिकल कालेज बांदा व उसके बाद कानपुर के हायर सेण्टर तथा अन्ततः लखनऊ के वेलसन मेडिसिटी हास्पिटल रेफर किया था। दिनांक 18.9.2023 को मैं लखनऊ पहुॅचा था मरीज को लखनऊ अस्पताल में कब भर्ती कराया गया मुझे जानकारी नहीं है। मैं अस्पताल पहुॅचने के बाद अस्पताल में कुछ लिखकर नहीं दिया था। प्रदर्श क–2 में अस्पताल के किसी कर्मचारी के कथित लेख के ऊपर तारीख दूसरी स्याही व दूसरे पेन से पडी है।

<u>यह कहना गलत है कि प्रदर्श क–2 में लेख व तारीख की स्याही भिन्न–भिन्न है लेकिन मैं जानबूझकर छिपा रहा हूॅ। यह कहना सही है कि प्रदर्श क–2 में इस लेख के लिखे जाने का समय व किसी डाक्टर का अभिप्रमाणन नहीं है। यह कहना सही है कि प्रदर्श क–2 में मरीज विनोद के कथित हस्ताक्षर व अंगूठा निशान किसी के द्वारा प्रमाणित नहीं है। प्रदर्श क–2 में जो हस्ताक्षर अंग्रेजी में बने हैं वह हस्ताक्षर व अंगूठा किसी के द्वारा प्रमाणित नहीं है। प्रदर्श क–2 जो हस्ताक्षर अंग्रेजी में बने है व अंग्रेजी में लिखा है उसका नाम नहीं बता सकता। प्रदर्श क–2 में कथित लेख किस व्यक्ति के हस्तलेख में है मैं उसका नाम नहीं बता सकता। प्रदर्श क–2 में मैने अपने लेख से कुछ नहीं लिखा। प्रदर्श क–2 में यदि मेरे लेख व हस्ताक्षर में कुछ लिखा हो तो कैसे व कब किसने लिखा है मैं नहीं बता सकता। प्रदर्श क–2 को मैं लखनऊ अस्ताल से नहीं लाया सिर्फ मृत्यु प्रमाण पत्र लखनऊ अस्पताल का लाया था।</u> मुझे याद नहीं है कि विवेचक ने अगर मृत्यु प्रमाण पत्र के अलावा अन्य कागज लखनऊ अस्पताल का मेरे द्वारा दखिल करना लिखा है तो कैसे लिखा है मैं नहीं बता सकता। प्रदर्श क–2 किसके कब्जे में रहा और कब किसके द्वारा पुलिस को दिया गया इसकी मुझे जानकारी नहीं है।

यह कहना गलत है कि प्रदर्श क–2 मैं बाद में तैयार करवाकर अस्पताल मे भाई के दाखिल करने के विवरण के सादे पेज में बाद में विधिक सलाह से लिखकर व मृतक विनोद के फर्जी हस्ताक्षर व फर्जी निशान अंगूठा तथा अपने व अपने पिता के फर्जी निशान अंगूठा व हस्ताक्षर तथा फर्जी अभिप्रमाणन लिखकर बाद में पुलिस को दिया हो इसीलिये आज मैं प्रदर्श क–2 व अन्य कागज विवेचक को देने से जानबूझकर इंकार कर रहा हूॅ। मैंने विवेचक को यह बात कि मेरे पहुॅचने के दूसरे दिन वहीं लखनऊ अस्पताल में मेरे भाई विनोद का अस्पताल के कागज में घटना के बाबत पूरी बात बोल–बोलकर अस्पताल के एक कर्मी से लिखाया था और उस कागज पर अपने हस्ताक्षर बनाया था तथा उसका निशान अंगूठा भी लगवाया था। उसी कागज पर मैने व मेरे पिता इन्द्रराज सिंह ने अपने हस्ताक्षर बनाये थे तथा हमदोनों के निशान अंगूठा लगवाये थे। उक्त कागज लिखाते समय डाक्टर साहब भी मौजूद थे,नहीं दिया। लखनऊ अस्पताल आने के बाद मेरी विवेचक से कभी मुलाकात नहीं हुई। विवेचक ने दिनांक 28.9.2023 को विनोद का मृत्यु प्रमाण पत्र तथा दिनांक 2.10.2023 को प्रदर्श क–2 सहित अन्य चिकित्सीय

अभिलेख थाने पर जाकर मेरे द्वारा दिया जाना लिखा है तो कैसे लिखा है इसकी कोई वजह नहीं बता सकता हूँ। यह कहना गलत है कि मैं जानबूझकर विवेचक से लखनऊ अस्पताल से आने के बाद कभी न मिलने की बात झूठी कह रहा हूँ।

अभियोजन साक्षी कोमल पत्नी मोहित सिंह **पी0डब्लू0.2** ने शपथ पर अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि– मेरे पति मोहित सिंह गुजरात में रहकर गैस एजेन्सी में प्राइवेट नौकरी करते हैं। मैं यही मरका में परिवार के साथ रहती हूँ। घटना दिनांक 16.9.2023 समय करीब 8.30 बजे सुबह की है। मैं व मेरी ननद अंजली सिंह घर के भीतर बैठकर चाय पी रहे थे और मेरे जेठ विनोद सिंह उर्फ गब्बर घर के बाहर कुल्ला कर रहे थे,तभी अचानक विनोद सिंह के चिल्लाने की आवाज आयी। आवाज सुनकर मैं व मेरी ननद अंजली घर के बाहर गये तो देखा कि पडोस का रहने वाला पंकज गुप्ता अपने हाथ में लिये चाकू से मेरे जेठ विनोद उर्फ गब्बर को पेट में जान से मारने की नियत से ताबड तोड़ 5–6 वार प्रहार किया जिससे मेरे जेठ विनोद सिंह लहूलुहान हो गये। हमलोग बचाने के लिये दौडे तो हमारी तरफ चाकू दिखाने लगा। मेरे जेठ विनोद अपनी जान बचाते हुए थाने की ओर भागे,पंकज गुप्ता भी मौके से भाग गया। घटना की सूचना हमलोगो ने घर वालों को फोन करके दी थी। घटना के कुछ समय बाद मेरे दूसरे जेठ अमर सिंह घर आ गये, उन्होने बताया कि घायल विनोद को पिताजी व देवर सूरज इलाज हेतु पुलिस के साथ बबेरू ले गये। बाद मे ंपता चला कि हालत गंभीर होने पर विनोद को वास्ते इलाज बांदा भेज दिया गया। इस घटना के सम्बन्ध में दरोगाजी ने मेरा बयान लिया था,मैने दरोगाजी को सही बात बता दिया था।

अभियोजन साक्षी कोमल पी0डब्लू0.2 से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने विस्तार से जिरह की है है। साक्षी ने अपनी जिरह के पेज– 1, 2 व 3 पर कथन किया कि– मैं अपने पति के बाबा का नाम नहीं जानती हूँ,वो कितने भाई थे मैं यह भी नहीं बता सकती हूँ। मेरे ससुर का नाम इन्द्रराज सिंह है........ मैं निर्मोद सिंह को जानती हूँ वो मेरे पडोस के है। निर्मोद सिंह हमारी बिरादरी के है।

यह कहना गलत है कि निर्मोद सिंह मेरे परिवार के सदस्य हैं, यह बात मैं जानबूझकर छिपा रही हूँ।

..........मेरे मकान में 12–13 कमरे हैं,जिनमें कुछ कच्चे है कुछ पक्के हें। सभी कमरों में छत पडी हुई है। मेरे मकान अंदर तीन लैट्रिन घर है व दो बाथरूम है,जो घर के अंदर ही है। हमारे यहां लैट्रिन व कुल्ला बाथरूम में घर के अंदर ही होता है। हमारे घर के आदमी लोग लैट्रिन करने बाहर जाते थे। चांगू बाबा मंदिर के उत्तर दिशा में लगा हुआ पंकज का मकान है। हमारे मकान के सामने थोडा बहुत पतला सा चबूतरा बना हुआ है। हैण्ड पम्प से पांच–छ कदम की दूरी पर मेरे जेठ विनोद मकान के सामने कुल्ला कर रहे थे। मैने कुल्ला करते हुए अपने जेठ को देखा है,कुल्ला करते समय मुझको आवाज सुनाई दी। मैने पंकज को अपने घर से आते हुए देखा है लेकिन जब घर एक दम करीब आ गये थे तब देखा था। मैं नहीं बता सकती कि मेरे मकान के सामने वाला रास्ता कितने फीट का है लेकिन पक्की सडक है। मेरे मकान से पंकज का मकान 15–20 कदम की दूरी पर है। मैं यह नही बता सकती मेरे घर से थाना कितनी दूर है। जब मेरे जेठ पर वार किया गया तो वहां काफी खून गिरा था। जहां तक मेरी निगाह गयी थी वहां तक मैने खून गिरा देखा था,मैं विनोद के पीछे–पीछे थाने नहीं गयी

थी.........................मेरे घर से थाने के दो रास्ते हैं। मेरे जेठ चोट लगने के बाद मेरे मकान के पश्चिम वाले रास्ते से थाने की तरफ गये थे। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि मेरे जेठ चोट लगने के बाद थाने गये थे क्योंकि जेठ को चोट लगने के बाद एक व्यक्ति ने कहा था कि थाने तरफ जाओ जान बचाओ, ये कहने वाले व्यक्ति को मैं जानती पहचानती नहीं हूँ,मैने उस व्यक्ति की केवल आवाज सुनी थी। जब मेरी ननद अंजली अमर सिंह जो मेरे जेठ हैं को फोन से सूचना दे रही थी तब मैं मौके पर मौजूद थी। अमर सिंह सूचना पाने के बाद पहले घर आये थे। अमर सिंह सूचना मिलने के बाद 10–15 मिनट के अन्दर आ गये थे......... मैं नहीं बता सकती कि जिस रास्ते से विनोद सिंह गये थे उसी रास्ते से अमर सिंह गये थे या नहीं। मैं नहीं बता सकती कि अमर सिंह को विनोद सिंह कहां पर किस दशा में मिले थे। मैं व अंजली न तो थाने गये थे और न ही अस्पताल गये थे............. मेरे जेठ मेरे मकान के दरवाजे में ही कुल्ला कर रहे थे। मेरे घर के बाहर तेज–तेज से आवाजे हो रही थी,इसलिये मैं व मेरी ननद अंजली घ ार के अंदर से बाहर आ गये थे। मेरे घर के दरवाजे के सामने ही मेरे जेठ को पंकज ने मारा था। मेरे जेठ घर के अंदर से दिखायी दे रहे थे। पंकज ने मेरे जेठ से पहले झगडा किया था फिर उसके उपर वार किया था। मेरे जेठ अमर सिंह घटनावाले दिन सुबह लगभग सात बजे घर से टावर के लिये निकले थे जहां पर वह नौकरी करते थे। मेरे घर से टावर लगभग एक किमी से कम है। मैं नहीं बता सकती कि मेरे घर से टावर जाने मे कितना समय लगता होगा क्योंकि मैं टावर कभी नहीं गयी।

यह कहना गलत है कि मेरे जेठ विनोद,पंकज की पत्नी से नाजायज सम्बन्ध बनाना चाहते थे जिसकी शिकायत पंकज ने मेरे घर वालों से की हो,इसी बात से मेरे घर वाले पकज से रंजिश मानते रहे हो। यह कहना गलत है कि मेरे जेठ विनोद के उपर किसी अन्यत्र स्थान पर अज्ञात व्यक्ति ने हमला किया हो। यह कहना गलत है कि पुरानी रंजिश के कारण हम लोगो ने पंकज को इस केस में फंसा दिया हो।

अभियोजन साक्षी निर्मोद सिंह **पी0डब्लू0.3** ने शपथ पर अपने मुख्य परीक्षा में कथन किया कि–घटना दिनांक16.9.2023 की समय करीब सुबह 8.00–8.30 बजे की है। मैं चांगू बाबा देव स्थान के पास मौजूद था। मृतक विनोद अपने घर के बाहर कुल्ला कर रहा था तभी वहां विनोद के पास पंकज गुप्ता आया और चाकू से पांच छः प्रहार कर हमला कर दिया। इस हमले से विनोद घायल हो गया और थाने की ओर से भागा,पंकज गुप्ता भाग गया था, घटना के बाद दिखायी नहीं दिया। विनोद घायल अवस्था में थाने पहुँच गया था। वहीं पर उनके घर के सूरज, कोमल, अंजली थाने पहुँच गये थे। घायल विनोद को फिर कहां ले गये थे,यह मुझे जानकारी नहीं है। इस घटना को मैने अपनी आंखों से देखा है। दरोगाजी ने मेरा बयान लिया था।

उसी दिन दरोगाजी घटनास्थल पर आये थे, घटनास्थल से खूनालूद मिट्टी व सादी मिट्टी कब्जा पुलिस में लिया था तथा दो पारदर्शी डिब्बों में रखकर मौके पर सील सर्वमोहर किया था तथा मौके पर लिखा पढी किये, कागज पर मेरे हस्ताक्षर बनवाये थे तथा रामजी तिवारी के हस्ताक्षर बनवाये थे। पत्रावली में शामिल कागज संख्या–**6क** फर्द खूनालूद मिट्टी में बने हस्ताक्षर देखकर साक्षी ने कहा कि मेरे ही हस्ताक्षर है जिसमें मैं पुष्टि करता हूँ।

उसी दिन दिनांक 16.9.2023 को शाम करीब 8.30 बजे व 9.00 बजे दरोगाजी पंकज गुप्ता को लेकर आये थे। पंकज गुप्ता के बताये स्थान पर जमुना नदी के तरफ नाले के पास

मौजूद झाडी से पंकज गुप्ता ने चाकू उठाकर दरोगाजी को दिया,हमलोग मौके पर थे हमलोगों के सामने चाकू बराबद हुई तथा अभियुक्त के पहने हुए कपडे जिनमें खून की छीटे पडे थे,छीटे पडे कपडों को काटकर पारदर्शी पालिथीन में रखकर सर्वमुहर किया था।

बरामद चाकू व कपडों को दरोगाजी सील कर सर्वमुहर किया था तथा मौके पर फर्द लिखकर तैयार की थी। फर्द पढकर सुनाया था,उसके पश्चात मैने हस्ताक्षर किये थे। पत्रावली में शामिल मिसिल कागज संख्या–**10क** फर्द बरामदगी चाकू व कपड़ा है,जिस पर मेरे हस्ताक्षर बने हैं जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ। यही मेरा बयान है।

अभियोजन साक्षी निर्मोद सिंह **पी0डब्लू0.3** से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवकता द्वारा विस्तार से जिरह की गयी है। साक्षी ने अपनी जिरह के **पेज–1 व 2** पर कथन किया कि– मैं मर्का गांव का मूल निवासी हूँ। वादी मुकदमा अमर सिंह व मेरे पूर्वज एक ही है। मेरी वादी मुकदमा से मुहल्लेदारी का व्यवहार है। इसलिये मैं इतना करने आया हूँ। मेरी अमर सिंह से कोई दोस्ती दुश्मनी नहीं है। मेरा अमर सिंह से मोहल्लेदारी का व्यवहार है और निमंत्रण व किसी कार्यक्रम में आना जाना व सुखदुख में एक दूसरे का साथ देने का व्यवहार है। वादी मुकदमा के घर में जो यह घटना हुई है उसके उपर बहुत बडा दुख है। मैं इसी दुख की वजह से मोहल्लेदारी के नाते साथ दे रहा हूँ, असखुद कहा जो देखा वहीं बता रहा हूँ। मैं खेती किसानी करता हूँ................घटना के दिन मैं थाने के गेट तक गया था थाने के अन्दर नहीं गया था। थाने के गेट पर 15–20 मिनट तक रूका रहा था,फिर उसके बाद मैं अपने घर लौट आया। उसके बाद मैं पूरा दिन घटनास्थल चांगूबाबा के स्थान पर बैठा रहा दिन डूबने के बाद मैं अपने घर चला गया था। मुझे याद नहीं है कि मैं अपने घर कब तक रहा। मुझे थाने के गेट में या घटनास्थल पर कोई पुलिस वाला नहीं मिला। मैं अकेले नहीं बैठा था वहां पर काफी लोग मेरे साथ बैठे थे। मुझसे पुलिस वालों ने लगभग दो या तीन कागजों पर दस्तखत कराये थे। मैने पंकज गुप्ता को विनोद के पीछे भागते नहीं देखा बल्कि विनोद को भागते हुए देखा था, घटना के बाद मैने पंकज गुप्ता को देखा था,पंकज गुप्ता को मैने लगभग 8.30 बजे शाम को देखा था,फिर उसके बाद मैने पंकज गुप्ता को कभी नहीं देखा। विनोद को कही भी मैं अस्पताल देखने नहीं गया। विनोद के पीछे पंकज गुप्ता को थाने के तरफ पीछे–पीछे भागते मैने नहीं देखा,विनोद ने अस्पताल में यदि यह बयान दिया है कि पंकज गुप्ता भी मेरे पीछे दौड़ता हुआ आया,मुझे थाने में बैठा लिया, तथा पंकज गुप्ता को पुलिस वालों ने थाने में बैठा लिया था। मुझे जानकारी नहीं है कि पंकज गुप्ता को थाने पर पुलिस ने घटना के दिन सुबह थाने में बैठा लिया था और वह पुलिस अभिरक्षा में पूरा दिन रहा। थाने के सामने काफी भीड थी कौन थाने के अंदर गया या कौन थाने से निकलकर बाहर आया मैं सभी के नाम नहीं बता सकता। थाने के अन्दर जाने वाले व बाहर जाने वाले की संख्या नहीं बता सकता। फर्द खूनालूद व सादी मिट्टी मैने पढा नहीं था मुझे पढकर दरोगाजी ने सुनाया था। यह बात सही है कि फर्द खूनालूद सादी मिट्टी जितने हिस्से में फर्द लिखी है उससे जादा भाग सादा है और फिर मेरे व रामजी तिवारी के हस्ताक्षर बने है। यह कहना गलत है कि मुझसे सादे कागज में हस्ताक्षर कराकर बाद मे दरोगाजी ने अपने मन से थाने में बैठकर अपनी इच्छानुसार थाने में बैठकर लिखा हो। यह कहना गलत है कि मेरे सामने मोके से कोई बरामदगी नहीं हुई और न ही मेरे सामने दरोगाजी ने कोई फर्द लिखी हो।

अभियोजन साक्षी निर्मोद सिंह पी0डबलू0.3 ने अपनी जिरह के **पेज–3 व 4** पर कथन किया कि–............मृतक विनोद अपने दरवाजे के सामने कुल्ला नहीं कर रहा था बल्कि नल के पास कुल्ला कर रहा था। वादी के दरवाजे से हैण्डपाइप लगभग 7–8 फीट दूर यदि वादी के दरवाजे की तरफ सी.सी.रोड में मुंह करके खडा हो तो बायी तरफ पडेगा। यह सरकारी हैण्ड पाइप है। हैण्ड पाइप का प्लेटफार्म पक्का सीमेण्टेड बना है।नल के बगल में दो बिजली के खम्भे लगे है एक खम्भा सीमेण्ट का है एक लोहा का है। यह दोनों खम्भे सी.सी. रोड में लगे है। हैण्ड पाइप के तीन–चार फीट की दूरी पर एक विजली का खम्भा लगा है दूसरा खम्भा उससे डेढ दो फीट की दूरी में है। हैण्ड पाइप के फाउण्डेशन के पास विनोद कुल्ला कर रहा था। मृतक विनोद ब्रश व पेस्ट लिये था,जीभी लिये था या नहीं मैने ध्यान नहीं दिया। मृतक विनोद खडे–खडे कुल्ला कर रहा था। उसी स्थान पर हैण्ड पाइप के पास यह घटना घटित हुई थी। इस पूरी घटना के दौरान मृतक मोके पर गिरा नहीं था बल्कि खड़ा रहा था और खडी स्थिति में घटना घटित हुई थी। घटना के समय मृतक की चोटों से सी सी रास्ते व कच्चे में खून गिरा था। मृतक विनोद की अभियुक्त से कोई कहासुनी या झगडा मेरे सामने नहीं हुआ था। मैं घडी नहीं देख रहा था कि कितने सेकेण्ड व कितने मिनट में ये घटना घटित हुई। मैं कामनसेन्स व अंदाज से भी नहीं बता सकता कि घटना कितने मिनट व कितने घण्टे घटित हुई थी। मृतक विनोद घटनास्थल से भागते हुए थाने की ओर से सी सी रास्ते से नहीं गया था बल्कि कच्चे रास्ते से गया था इस कच्चे रास्ते में भी विनोद की चोटों से खून गिरता हुआ थाने तक गया था। आर सी सी रास्ते से दरोगाजी ने कोई खून नहीं लिया था। रास्ते में जो गिरता हुआ खून गया था उसको लिया था या नहीं मुझे नहीं मालूम है। थाने के गेट में जहां विनोद मृतक घायल अवस्था में गया था वहां खून गिरा था या नहीं मुझे ध्यान नहीं है। थाने के अन्दर मैं नहीं गया। इसलिये मैं नहीं बता सकता कि थाने के अन्दर खून गिरा था या नहीं। थाने में जब विनोद के घ ार वाले आ गये थे तो मैं थाने से चला आया था। दरोगाजी ने मुझसे मृतक के घर के पास पूछताछ की थी। इसके बाद दरोगाजी ने मुझे उसी दिन शाम को बुलाया था, मैं रोड से जा रहा था तो वहीं दरोगाजी ने थाने में मुझको व रामजी को बुला लिया था। थाने में मैं व रामजी पांच से दस मिनट के बीच शाम को रूके थे। मुझे याद नहीं है कि दरोगाजी जब मौके पर आये थे तो मौके पर मृतक विनोद का ब्रश व टूथपेस्ट मिला या नहीं। मुझे यह भी याद नहीं है कि दरोगाजी ने क्या–क्या सामान कब्जे में लिया व सील किया मुझे केवल मिट्टी लेकर डिब्बा में भरने की बात याद है...........।

किस स्थिति में वार किये गये थे, मैं नहीं बता सकता हूॅ लेकिन 5–6 वार सामने से वार किये गये थे। मैं चागू बाबा के स्थान के पास से बचाने के लिये जैसे चला वैसे ही मैं गिर गया था,जब तक मैं उठा तो विनोद थाने की तरफ चला गया था,मैं भी पीछे–पीछे थाने की तरफ गया था। जब मैं मौके पर था तो वहां अकेले ही बचाने गया था और कोई बचाने के लिये नहीं आया था। मैने नहीं देखा कि रास्ते से कोई निकल रहा था कि नहीं क्योंकि मैं गिर गया था इसलिये मैने किसी को नहीं देखा था............।

अभियोजन साक्षी निर्मोद सिंह पी0डब्लू0.3 ने आगे अपनी जिरह के **पेज–5** पर कथन किया गया कि–.........जहां झाडी के पास तक गया था वहां से वापस मैं दरोगाजी के साथ थाने नहीं गया था बल्कि अपने घर चला गया था,जहां झाडी के पास चाकू मिला था वहां सें रोड पर

आकर लिखा पढी की थी। रोड में जहां जीप खडी थी वहां वापस आकर लिखापढी की थी। जीप के पास लिखा पढी करने में कितना समय लगा था मैं नहीं बता सकता हू,उस समय अंधेला था। मोबाइल के फलैश से काम हो रहा था। हमारे नाले तक आने जाने के पैरो के निशान नहीं बने थे। दरोगाजी के अलावा दो पुलिस वाले साथ में गये थे एक गाडी का ड्राइवर था। ड्राइवर गाडी के पास रूका था झाडी के पास नहीं गया था। दो पुलिस वाले व दरोगाजी झाडी के पास गये थे। चाकू में लगभग आठ अंगुल लकडी व लगभग आठ अंगुल लोहा था या स्टील था मैं नहीं बता सकता हूँ। चाकू चौडाई दो तीन अंगुल थी और यह चौडाई पूरे चाकू की है या आगे कम हो गयी थी मैं नहीं बता सकता हूँ। मुल्जिम पंकज कुर्ता व पैण्ट पहने था। जीन्स का था या काहे का था मैं नहीं बता सकता हूँ। कुर्ता काटन का था या टेरी काट का था मैं नहीं बता सकता हूँ। पंकज के कुर्ता व पैण्ट उतार करके पुलिस ने सील किया था। इसके बाद पुलिस वाले हमारे सामने थाने चले गये थे और मैं घर चला गया था।

यह कहना गलत है कि तथाकथित समय व स्थान पर तथा कथित प्रकार से तथाकथित कोई घटना घटित न हुई हो। यह कहना गलत है कि मैने कोई घटना न देखी हो। यह भी कहना है कि मेरे सामने चाकू व अभियुक्त के कपडों की बरामदगी न हुई हो। यह भी कहना गलत है कि मुझे थाने में बुलाकर दरोगाजी ने सादे कागज पर दस्तखत करा लिये हो। यह भी कहना गलत है कि मैं वादी का खानदानी होने के कारण झूठी गवाही दे रहा हूँ............।

चाकू बरामद होने के बाद पालीथीन मे ंदरोगाजी ने रखा था व कपडे कुर्ता व पैण्ट दूसरे पालीथीन में रखे थे। यह पालीथीन किस रंग की थी मैं नहीं बता सकता हूँ। चाकू व कपडे दरोगाजी ने इसी पालीथीन में सील मोहर किया था।

यह कहना गलत है कि मैं झूठी गवाही दे रहा हूँ।

अभियोजन साक्षी हे0का0 कमलेश कुमार **पी0डबलू0.4** ने शपथ पर मुख्य परीक्षा में कथन किया कि– दिनांक 16.9.2023 को मैं थाना मरका में हे0 का0 मोहर्रिर के पद पर तैनात था। उस दिन मुकदमा वादी अमर सिंह की लिखित तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0. 163/2023 धारा–307 आईपीसी बनाम अभियुक्त पंकज गुप्ता पुत्र स्व0 गुलाब गुप्ता निवासी ग्राम मरका थाना मरका के विरूद्ध पंजीकृत हुआ था। चिक एफ आई आर मेरे निर्देशन में कम्प्यूट आपरेटर से बोलकर टाइप कराया था,पत्रावली में संलग्न कागज संख्या– 4क/1 लगायत 4क/3 चिक एफआईआर है जिस पर मुकदमा वादी व थाना प्रभारी के हस्ताक्षर बने हैं जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ, जिस पर प्रदर्श **क–3** अंकित किया गया।

उक्त मुकदमें का खुलासा जी0डी0 नं0 29 दिनांक 16.9.2023 समय 10.49 बजे पर किया गया है। जी0डी0 मेरे द्वारा कम्प्यूटर आपरेटर से बोल–बोलकर तैयार की गयी है। पत्रावली में शामिल कागज संख्या 5क/4 जी0 डी0 है जो कम्प्यूटराज्ड है,जो पत्रावली में संलग्न है जिस पर थाना मरका की मुहर अंकित है तथा मेरे हस्ताक्षर बने हैं। मैं अपने हस्ताक्षर बने होने की पुष्टि करता हूँ जिस पर प्रदर्श **क–4** डाला गया। यही मेरा बयान है। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।

साक्षी पी0डबलू0–4 ने अपनी जिरह में कथन किया है कि वादी मुकदमा अमर सिंह अपने भाई मजरूब विनोद सिंह के साथ थाना मरका में आया था और लिखित तहरीर दी थी। यह तसकरा मैंने जी0डी0 नं0.29 दिनांक 16.9.2023 समय 10.49 बजे थाना मरका में किया

था। जी0डी0 में मैने तसकिरा पहले किया था इसके बाद चिक किता किया था। जी0डी0 के इन्द्राज व चिक करने में पांच सात मिनट का समय लगा था।

मजरूब विनोद को मजरूबी चिट्ठी बनाकर दो का0 के साथ इलाज के लिये भेजा था। पत्रावली पर मेरे सामने कोई मजरूबी चिट्ठी नहीं है। बबेरू अस्पताल के मेडिकल प्रपत्र में अगर मजरूब को पुलिस द्वारा मेडिकल के लिये ले जाना व मेडिको लीगल पेश होना न अंकित हो तो मैं नहीं बता सकता।

दिनांक 16.9.2023 को ही समय 8.33 बजे मजरूब विनोद सिंह उर्फ गब्बर सिंह मय हमराह छोटू सिंह के थाने आया था। मजरूब विनोद सिंह जब थाने आया था तो बोल रहा था। मैने उसकी चोटे देखी थी जब मजरूब छोटू सिंह के साथ थाना कार्यालय 8.33 बजे थाने आया तथा तब मजरूब तथा उसके साथ आये किसी व्यक्ति ने घटना के बारे में लिखित सूचना व मौखिक सूचना नहीं दिया फिर कहा कि मौखिक सूचना दी थी, यह बात सही है कि किसी मौखिक सूचना का तसकरा जी0डी0 नं0. 20 में नहीं किया।

मजरूब के साथ दिनांक 16.9.2023 को समय लगभग 8.33 बजे उसके घर वाले भाई वगैरह भी थाने मजरूब के साथ आये थे। मरका से बबेरू कस्बे की दूरी 20–22 किमी है। मरका से यदि चार पहिया वाहन से भी जाया जाय तो लगभग 20–25 मिनट का समय लगेगा क्योंकि सिंगल रोड है।

दिनांक 16.9.2023 को समय 8.33 बजे मजरूब व अन्य लोग थाने आये थे तो दस पांच मिनट थाने मे रूके थे फिर बबेरू गये थे। मजरूब विनोद सिंह का दिनांक 16.9.2023 को 8.38 ए एम पर मेडिकल होना अंकित हो तो मैं इसकी कोई वजह नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि अज्ञात समय व अज्ञात स्थान पर मजरूब विनोद सिंह को किसी के द्वारा चोटे पहुॅचायी गयी हो और उसके घर वाले मजरूब को जब थाने लाये हो तब तक घटना कारित करने वालों के नाम अज्ञात होने की वजह से जी0डी0नं0.20 दिनांक 16.9.23 में घटना के किसी तथ्य को उल्लिखित न किया हो। यह कहना गलत है कि वादी मुकदमा से साज कर बाद में इण्टीडेट एण्टी टाइम मुकदमा अभियुक्त के विरूद्ध रंजिशन विधिक सलाह से कायम कराया हो।

चिक एफ आई आर प्रदर्श क–1 क्षेत्राधिकारी महोदय बबेरू को दिनांक 18.9.2023 को प्राप्त होना अंकित है व उनके लघु हस्ताक्षर अंकित है व न्यायालय में चिक एफ आई आर पहुॅचने की तिथि 18.9.23 अंकित है तथा सिविल जज सी0डि0 के लघु हस्ताक्षर है। यह कहना गलत है कि वादी मुकदमा के प्रभाव में विपरीत व दिनांक को झूठा मुकदमा लिखाया हो।

अभियोजन साक्षी डा0 विनीत कुमार **पी0डब्लू0.5** ई एम ओ जिला चिकित्सालय बांदा जिला बांदा ने अपनी मुख्य परीक्षा में शपथ पर बयान किया कि– मैं दिनांक 16.9.2023 को जिला चिकित्सालय बांदा में ई एम ओ के पद पर तैनात था,उसी दिन मैने 9.48 एएम पर मजरूब विनोद उर्फ गब्बर सिंह उम्र करीब 28 वर्षपुत्र इन्द्रराज निवासी मरका थाना मरका जिला बांदा का डाक्टरी परीक्षण किया था जिसे का0 विकास कुमार थाना मरका लेकर आये थे, जिसके शरीर पर निम्न चोटे पायी थी–

चोट नं0.1– 4X0.5 सेमी के आकार का कटा हुआ घाव छाती में दाहिनी तरफ था जो दाहिनी निपल के ठीक नीचे था एवं मांसपेशी व हड्डी तक गहरे थे।

चोट नं0.2– 3X0.5 सेमी के आकार का कटा हुआ दाहिनी तरफ पीठ पर था।

चोट नं0.3– 3X0.5 सेमी आकार का कटा हुआ घाव छाती के बायी तरफ था वह घाव मांसपेशी तक था। यह घाव बायी निपल से 3 सेमी नीचे था। इसके किनारे स्पष्ट थे।

चोट नं0.4– 2X0.5 सेमी के आकार का कटा हुआ घाव छाती में बायी तरफ था। इसके किनारे स्पष्ट थे एवं मांसपेशी तक था, यह घाव बायी निपल से 3 सेमी नीचे था। सभी घाव से खून बह रहा था।

मेरी राय में चोट नं0.1,2,3,4 किसी धारदार हथियार से आना संभव है। चाकू भी धारदार हथियार की श्रेणी में आता है। यह चोटे ताजी थी, मैने इन चोटों को एक्सरे की सलाह दी थी।

डाक्टरी मुआइना दिनांक 16.9.2023 को 9.55 ए एम पर समाप्त किया था। उसी दिन मजरूब की हालत गंभीर होने के कारण उसे मेडिकल कालेज बांदा रिफर किया गया था।पत्रावली में शामिल कागज संख्या–27क/1 व 27क/2 डाक्टरी मुआइना का प्रपत्र है तथा 27क/3 डिस्चार्ज रिफर का प्रपत्र है। यह मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है जिनको मैं प्रमाणित करता हूँ, जिनमें प्रदर्श **क–5** व प्रदर्श **क–6** डाला गया है। डाक्टरी मुआइना के`मूल प्रपत्र मजरूब को लाये हुए पुलिस कर्मचारियों को दे दिया गया था। यही मेरा बयान है।

अभियोजन साक्षी डा0 विनीत कुमार **पी0डबलू0.5** ने अपनी जिरह में कथन किया कि– मजरूब विनोद उर्फ गब्बर सिंह के मूल इंजरी रिपोर्ट पत्रावली में नहीं है। पत्रवली पर इंजरी रिपोर्ट की फोटो कापी है। आज न्यायालय में मेरे समक्ष मेडिको लीगल रजिस्टर जिस पर मजरूब की चोटों का विवरण लिखा जाता है, वह मेरे समक्ष नहीं है। बिना मूल इजरी रिपोर्ट तथा बिना मेडिको लीगल रजिस्टर से मिलान किये मैने फोटो स्टेट को प्रमाणित किया है। मजरूब की चोट नं0.1 लगायत 4 सार्प और हार्ड आब्जेक्ट से आना मैने अंकित किया है। मजरूब की सभी चोटे मसल की गहराई की पायी थी। चोट नं0.2 की मार्जिन व गहराई अंकित नहीं है शेष चोट 1, 3, 4 के मारजिन क्लीयर कट लिखे हैं। चाकू यदि भोंक कर मारा जाय जो उसके सार्प साइड से क्लीयर कट आयेगे तथा दूसरे साइड से मारजिन इररेगुलर आयेगे। इस प्रकार से चाकू भोककर मारे जाने पर एक तरफ के किनारे रेगुलर व दूसरे तरफ की मारजिन इररेगुलर पाये जायेगे। चोट नं0.1 लगायत 4 के किनारे मैने क्लीयर (रेगुलर) पाये थे,किसी भी चोट के दूसरी तरफ के मारजिन इररेगुलर नहीं पाये थे। यदि किसी व्यक्ति को भाला जिसके दोनों तरफ के किनारे सार्प होते हैं भोंककर मारा जाय तो घाव के मारजिन क्लीयर पाये जायेगे। चाकू से पहुचायी गयी चोट हेड व टेल में भिन्नता पायी जायेगी। मैने मजरूब की चोट 1 लगायत 4 में हेड व टेल की कोई भिन्नता नहीं पायी थी। मजरूब की चोट नं0.1 लगायत 4 भाला से आना संभव है। मैने मजरूब की चोटों की कोई पूरक रिपोर्ट तैयार नहीं की थी। मजरूब का रेफर पेपर भी मूल रूप से मेरे समक्ष नहीं है। मैने रेफर पेपर की फोटों कापी बिना मूल से मिलान किये प्रमाणित किया है। मजरूब 9.48 एएम पर अस्पताल में आया था और सात आठ मिनट बाद मेडिकल कालेज बांदा के लिये रेफर कर दिया गया था। मरीज को प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कालेज के लिये रेफर कर दिया गया था,बाकी कोई अन्य इलाज नहीं हुआ था। यदि कोई व्यक्ति भाले की आकृति की लगी बैरेकेटिंग पर छाती के बल गिरे तो उक्त चोटे आना संभव है। यह कहना गलत है कि मैने वादी मुकदमा के प्रभाव में उससे मिलकर झूठी आहत आख्या तैयार की हो। यह कहना गलत है, इसलिये मूल इंजरी रिपोर्ट जानबूझकर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गयी।

अभियोजन साक्षी उपनिरीक्षक अवनीश कुमार **पी0डबलू0.6** ने शपथ पर अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि– दिनांक 20.9.2023 को थाना पीजीआई लखनऊ मैं उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था। उस दिन हास्पिटल कर्मी वेल्सन मेडिसिटी सुपर स्पेशशियलटी हास्पिटल,8बी बृन्दावन योजना, शहीद पथ थाना पीजीआई लखनऊ के द्वारा मरीज विनोद सिंह की इलाज के दौरान मृत्यु हो जाने की सूचना पर थाना पीजीआई से रपट नं0.40 दिनांक 20.9.2023 को समय 19.43 बजे आवश्यक कागजात साथ लेकर का0 गौरवकुमार के साथ मौके पर विलसन मेडिसिटी सुपर स्पेशशियलिटी हास्पिटल 8 बी बृन्दावन योजना शहीद पथ लखनऊ पहुॅचे। पहुॅचने के पश्चात मेरे द्वारा मृतक विनोद सिंह पुत्र इन्द्रराज सिंह उम्र लगभग 28 वर्ष निवासी मरका थाना मरका जिला बांदा के पंचायतनामा की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। मेरे द्वारा पंचान नियुक्त करते हुए दशा शव, चोटे शव,हुलिया शव,पहनावा शव, राय पंचान, राय मुझ उपनिरीक्षक का उल्लेख पंचनामा में करते हुए नियुक्त किये गये पंचानों के हस्ताक्षर बनवाये गये थे तथा मैने भी अपने हस्ताक्षर बनाये थे तथा मृतक विनोद सिंह उपरोक्त के शव को वास्ते पोस्टमार्टम के0जी0एम0यू0 लखनऊ भेजा गया था।

पत्रावली में शामिल कागज संख्या–18क/1 लगायत 18क/2 पंचायतनामा है,जो मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है,जिसकी मैं पुष्टि करता हूॅ जिस पर प्रदर्श क–7 अंकित किया गया। पत्रावली में शामिल कागज संख्या 21क चालान लाश है जो मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है जिसकी मैं पुष्टि करता हूॅ जिस पर प्रदर्श क–8 अंकित किया गया। पत्रावली में शामिल कागज संख्या 22क फोटो नाश है जो मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है जिसकी मैं पुष्टि करता हूॅ जिस पर प्रदर्श क–9 अंकित किया गया। पत्रावली में शामिल कागज संख्या–23क नमूना मुहर है,जो मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है,जिसकी मैं पुष्टि करता हूॅ जिस पर प्रदर्श क–10 अंकित किया गया। विवेचक ने मेरा बयान लिया था। यह मेरा बयान है।

अभियोजन साक्षी अवनीश कुमार पी0डबलू0.6 ने अपनी जिरह में कथन किया कि– मैने वेलसन मेडिसिटी हास्पिटल 8बी बृंदावन योजना,शहीद पथ लखनऊ की फौती सूचना पर मृतक के शव का हास्पिटल में ही पंचनामा की कार्यवाही की थी। मैने पंचनामा में अपनी राय में मृतक के मृत्यु, शरीर पर आयी चोटों के इलाज के दौरान होना लिखा है। मैने अपनी राय मे ंयह भी अंकित किया कि मृत्यु का सही कारण जानने के लिये पोस्टमार्टम कराने हेतु भेजा था। मृतक की मृत्यु का तात्कालिक कारण यदि सेप्टीसीमिया पीएम रिपोर्ट में पाया गया हो तो इस सम्बन्ध में मुझे कोई जानकारी नहीं है क्योंकि पंचनामा के अतिरिक्त इस मुकदमें में मैने कोई कार्यवाही नहीं की है। पंचायतनामा तक मेरी जानकारी में कोई अभियोग पंजीकृत होना नहीं था। पंचायतनामा में मु0अ0सं0 व अभियुक्तगण के नाम अथवा थाना जहां कोई अभियोग पंजीकृत हो उसका उल्लेख नहीं है। पंचनामा में पंच साक्षी मृतक के पिता, भाई व चाचा तथा फुफेरे भाई आदि पंच साक्षी हैं। यह कहना गलत है कि मैने अस्पताल में कोई पंचायतनामा नहीं किया हो बल्कि थाने में बैठकर सारी नुमायशी कार्यवाही की हो।

अभियोजन साक्षी डा0 पंकज कुमार गुप्ता **पी0डब्लू0.7** ने शपथ पर अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि– दिनांक 21.9.2023 को लोक बन्धु राजनारायण संयुक्त चिकित्सालय एल डी ए कालोनी लखनऊ में चिकित्साधिकारी के पद तैनात था। उस दिन मेरी पोस्टमार्टम डयूटी थी

तथा मेरे साथ सहयोगी डा0 आनन्द कुमार (लोकबन्धु राजनारायण संयुक्त चिकित्सालय एल डी ए कालोनी लखनऊ) की भी डयूटी थी।

उस दिन मृतक विनोद सिंह के शव को का0 गौरव कुमार थाना पीजाआई लखनऊ द्वारा वास्ते पोस्टमार्टम वेल्सन मेडिसिटी अस्पताल से किंग चार्ज मेडिकल विश्वविद्यालय लखनऊ पोस्टमार्टम हाउस में लाया गया था। हम दोनों डाक्टर द्वारा मृतक विनोद सिंह के शव की पोस्टमार्टम की कार्यवाही 11 बजे प्रारम्भ की गयी थी तथा 11.45 बजे समाप्त हो गयी थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का विवरण इस प्रकार है।

मृतक विनोद सिंह पुत्र इन्द्रराज सिंह निवासी ग्राम मरका थाना मरका जिला बांदा जिसकी उम्र 28 वर्ष थी। मृतक की लम्बाई 169 सेमी तथा वजन 68 किग्राम था।
शव मृत्यु पश्चात परिवर्तन– पी एम स्टेनिंग पीछे की तरफ मौजूद था। मृत्यु पश्चात अकड़न पूरे शरीर में मौजूद था। आंखे बंद थी मुंह अधखुला था।

<u>एण्टीमार्टम इंजरी–</u>

1. कण्ट्यूजन 6X 3 सेमी हेड के पीछे आसीपुट में मौजूद था।
2. चार टांके लगा हुआ चार सेमी लम्बा, सीने के बाये भाग में लेफट निपल से तीन सेमी ऊपर था।
3. चार टांके लगा हुआ घाव 5 सेमी लम्बा सीने के दाहिने भाग में राइट निपल से 2 सेमी नीचे मौजूद था।
4. बाइस टांके लगा हुआ घाव 23 सेमी लम्बा, एबडमिन के बीचोबीच स्ट्रनम के नीचे मौजूद था।
5. दो टांके लगा हुआ घाव 3 सेमी लम्बा सीने के बाये भाग में लेफट निपल से 9 सेमी नीचे था।
6. तीन टांके लगा हुआ घाव 4 सेमी लम्बा सीने बाये लैटलर भाग से लेफट ऐक्जिला से 12 सेमी नीचे था।
7. सर्जिकल ड्रेन वुण्ड सीने के लेटरल भाग से लेफट ऐक्जिला से 8 सेमी नीचे था।
8. दो सर्जिकल ड्रेनबुण्ड एबडोमिन के बाये लेटरल भाग से 12 सेमी इंजरी नं0.4 के लेटरल में था।
9. एक सर्जिकल ड्रेन वुण्ड एबडोमिन बाये भाग में 5 सेमी इंजरी नं0.4 लेटरल में था।
10. एक सर्जिकल सीने के दाहिने भाग में लेटरल भाग में राइट एक्जिला से 7 सेमी नीचे था।
11. एक सर्जिकल ड्रेन वुण्ड एबडोमिन के दाये भाग में 10 सेमी इंजरी नं0.4 के लेटरल में था।
12. चार टाके लगा हुआ घाव 5सेमी लम्बा पीठ के दाहिने भाग में दाहिने स्केपुला के नीचे के भाग से 10 सेमी नीचे मौजूद था।

<u>आन्तरिक परीक्षण–</u> आन ओपीनियन इकाईमोसेस इंजरी नं0.1 नीचे मौजूद था। बडी आंत को रिपेयर करके सिला हुआ था। लगभग 300 एम एल गैस पैरीटोनियल कैविटी में मौजूद था।

आन कटिंग सेंक्शन आफ दोनों लंग स्पलीन,दोनों किडनी,मल्टीपल पस फोकाई मौजूद था।

मस्तिष्क तथा मस्तिष्क की झिल्लियां कन्जेस्टेड थी, प्ल्यूरा तथा दोनों फेफडे कन्जेस्टेड थी। पेरी कार्डियम कन्जेस्टेड था। पोरीफोर्नियम तथा पेरीफोर्नियम कैविटी कन्जेस्टेड था। यकृत प्लीहा तथा दोनों गुर्दे कन्जेस्टेड थी।

मृत्यु का समय 20.9.2023 को 5.15 पीएम स्थान वेल्सन मेडिसिटी अस्पताल लखनऊ में हुई थी, मृत्यु का तात्कालिक कारण सेप्टीसीमिया वजह एण्टी मार्टम इंजरी जिसका विवरण दिया जा चुका है।

पत्रावली में शामिल कागज संख्या–24क लगायत 24क/2 पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जिसको हम दोनों डाक्टरों की सहमति से तैयार किया गया जो मेरे सहयोगी डा0 आनन्द कुमार के हस्तलेख में है, जिसको मैं पहचानता हूँ तथा प्रमाणित करता हूँ। जिसमे डा0 आनन्द कुमार के हस्ताक्षर है तथा मेरे भी हस्ताक्षर बने हैं। मैं अपने हस्ताक्षर बने होने की पुष्टि करता हूँ जिस प्रदर्श **क–11** अंकित किया गया है। यहीं मेरा बयान है।

अभियोजन साक्षी डा0 पंकज कुमार गुप्ता पी0डब्लू0.7 ने अपनी जिरह में कथन किया है कि–डा0 आनन्द कुमार जिनके लेख में पी0एम0 रिपोर्ट होना कहा है। वह अभी सरकारी सेवा में है,जिस अस्पताल में मैं सेवारत हूँ, वहीं डा0 आनन्द कुमार भी सेवारत हैं। पी0एम0 रिपोर्ट में चोट नं0.4 जो पेट के बीचों बीच में है वह भी सर्जिकल वुण्ड है क्योंकि पेट को आपरेशन के लिये खोला गया होगा। चूँकि जब मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिये लाया गया था तो इंजरी नं0.4 पर टांके लगे हुए थे,इसलिये चोट नं0.4 को स्टिच वण्ड के रूप में अंकित किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उल्लिखित चोट नं0. 7,8,9,10 व चोट नं0.11 सर्जिकल वुण्ड है,जिनको इलाज के दौरान किया गया है। चोट नं0.1 नीलगू चोट (कण्टयूजन) है, जो सिर के पीछे आसीपुट पर है। चोट नं0.1 किसी सख्त कुद आले से आना संभव है,किसी धारदार हथियार से आना संभव नहीं है। चोट नं0.2,3,5,6 और 12 में टांके लगे हुए थे इसलिये यह सभी चोटे किस हथियार से पहुचायी गयी,यह बताना संभव नहीं है।

मृतक के शरीर के अंगों में से ब्रेन, कण्ठ नली, ग्रीवा के आन्तरिक उतक,श्वास नली छाती,पसलियां दोनों फेफडे,हृदय तथा बडी रक्त वाहिनियां इनमें कोई चोट नहीं पायी गयी। मृतक के चोटों में से एक चोट बडी आंत को रिपेयर किया गया था जिस पर टांके लगे हुए थे। छोटी आंत या बडी आंत में यदि किसी प्रकार से किसी बीमारी या किसी चोट के कारण क्षति पहुँची हो तो क्षतिग्रस्त भाग को रिपेयर करके ठीक किया जा सकता है या नहीं,क्योंकि मैं फिजीशियन हूँ इसलिये मैं निश्चित रूप से इस सम्बन्ध में अभिमत नहीं दे सकता,कोई सर्जन ही निश्चित अभिमत दे सकता है।

मृतक का शव वेल्सन मेडिसिटी अस्पाल से पीएम हेतु लाया गया था,वेल्सन मेडिसिटी अस्पताल द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र साक्षी को दिखाया गया, जिस पर मृतक की मृत्यु का कारण कार्डियोपलमनरी अरेस्ट लिखा हेाने के सम्बन्ध में पूछा गया तो साक्षी ने कहा कि अस्पताल मे जिनके द्वारा इलाज किया गया वही बता सकते हैं,क्योंकि मैने पी एम किया है। मृतक की मृत्यु का तात्कालिक कारण सेप्टीसीमिया है जो इंफेक्सन के कारण उत्पन्न होता है। मृतक के शरीर पर जो भी चोटे हैं वह एण्टीमार्टम हैं। मृतक के शरीर में आयी चोटों में से किसी भी चोट के प्रभाव से संक्रमण के कारण सेप्टीसीमिया की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यह कहना गलत है कि वादी मुकदमा के प्रभाव में मैने गलत पोस्ट मार्टम रिपोर्ट पर गलत हस्ताक्षर मार्क किये हों। यह कहना गलत है कि मैं अपने वरि0 चिकित्सक डा0 आनन्द कुमार के कहने पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मात्र हस्ताक्षर कर दिये हो, इसलिये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सम्बन्ध में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है।

अभियोजन साक्षी विवेचक अरविन्द कुमार **पी0डबलू0.8** ने शपथ पर अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि– दिनांक 16.9.2023 को मैं थाना मरका में उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था। उस दिन मुकदमा वादी अमर सिंह पुत्र इंद्रराज निवासी ग्राम मरका, थाना मरका जिला बांदा की लिखित तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 163/2023 धारा–307 आई0पी0सी0 बनाम अभियुक्त पंकज कुमार गुप्ता पुत्र गुलाब गुप्ता निवासी ग्राम मरका थाना मरका जिला बांदा के विरूद्ध पंजीकृत होकर विवेचना मुझ उपनिरीक्षक को सुपुर्द हुई थी।

दिनांक 16.9.2023 को सी डी नं0.1 को किता किया था जिसमें नकल चिक, नकल रपट कायमी तथा बयान चिक एफ आई आर लेखक तथा बयान वादी व चश्मदीद गवाह निर्मोद सिंह व कुमारी अंजली सिंह व श्रीमती कोमल का बयान व वादी मुकदमा की निशादेही पर घटनास्थल का निरीक्षण व घटनास्थल से फील्ड यूनिट की मदद से सादा मिट्टी व खूनालूद मिट्टी लेकर अलग–अलग डिब्बों में लेकर सर्वमुहर कर मौके पर फर्द तैयार किया था। घटना में वांछित अभियुक्त गिरफतारी व बयान,अभियुक्त पंकज गुप्ता की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद किया था। मौके पर फील्ड यूनिट मौजूद थी,बरामद चाकू की मौके पर ही फर्द बनायी गयी थी तथा अभियुक्त के पहने हुए कपडों में जिनमें रक्त की छीटें मौजूद थे,उन कपडों को काटकर कब्जा पुलिस में लिया गया था। फर्द मौके पर टार्च व मोबाइल की पर्याप्त रोशनी में मुझ उपनिरीक्षक द्वारा तैयार की गयी थी। बरामदशुदा चाकू को एक पारदर्शी पलास्टिक के डिब्बे में रखकर सर्व मुहर किया गया था तथा कपडों की कटिंग पैण्ट व कुर्ता को पारदर्शी पालीथीन में अलग–अलग रखकर मौके पर सील–सर्वमुहर किया गया था तथा फर्द पर मौके पर उपस्थित गवाहानों के हस्ताक्षर बनवाये थे तथा मजरूब विनोद उर्फ गब्बर सिंह के मेडिकल प्रपत्रों का अवलोकन किया था। मजरूब को सीएचसी बबेरू से जिला अस्पताल बांदा,जिला अस्पताल बांदा से मेडिकल कालेज बांदा तथा मेडिकल कालेज बांदा से मेडिकल कालेज कानपुर रिफर किया गया था। मेरे द्वारा डिस्चार्ज व रिफर प्रपत्रों का अवलोकन किया गया था।

दिनांक 17.9.2023 को सी डी नं0.2 किता किया था जिसमें अभियुक्त पंकज कुमार गुप्ता का 14 दिवसीय अभिरक्षा रिमाण्ड माननीय न्यायालय से प्राप्त किया था जिसमें अभियुक्त का पुनः न्यायिक अभिरक्षा रिमाण्ड प्राप्त किया था। दिनांक 28.9.2023 को सी डी नं0.4 किता किया था जिसमे चाकू से बरामद चांस प्रिंट तथा अभियुक्त के फिंगर प्रिंट को मिलान हेतु दिनांक **21.9.2023** को कार्यालय निदेशक अंगुलि चिन्ह ब्योरो उ0प्र0 को का0 गौरव कुमार के माध्यम से दाखिल किया गया तथा बरामदशुदा चाकू व अभियुक्त के कपडों के कटिंग को परीक्षण हेतु दिनांक **23.9.2023** को विधि विज्ञान प्रयोगशाला प्रयागराज में का0 गौरव कुमार के माध्यम से दाखिल कराया गया था तथा वादी मुकदमा द्वारा मजरूब विनोद सिंह की इलाज के दौरान मृत्यु दिनांक 20.9.2023 को बेलसन मेडिसिटी सुपर स्पेशिलिटी हास्पिटल लखनऊ में हो जाने के सम्बन्ध में बताया गया है और अस्पताल द्वारा जारी डेथ सर्टीफिकेट का अवलोकन किया गया। वादी मुकदमा द्वारा बताया गया कि मृतक विनोद का पंचायतनामा पीजीआई जनपद लखनऊ पुलिस द्वारा भरा गया और दिनांक 21.9.2023 को केजीएमयू ट्रामा सेण्टर लखनऊ में मृतक का पोस्टमार्टम डाक्टरों द्वारा किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु थाना पीजीआई के हेडमुहर्रिर राकेश यादव से जरिये दूरभाष सम्पर्क किया गया।

दिनांक 23.9.2023 को सी डी नं0.5 किता किया था जिसमे ंमृतक की पंचायतनामा व पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। दिनांक 2.10.23 को सी डी नं0.6 किता किया था जिसमे ंमजरूब के इलाज के सम्बन्ध में सीएचसी बबेरू तथा जिला असताल बांदा तथा मेडिकल कालेज बांदा,आत्मा राम चाइल्ड केयर एवं क्रिटिकल केयर हास्पिटल किदवई नगर नौबस्ता कानपुर व एलपीएस इन्सटीटयूट आफ कार्डियोलाजी एण्ड कार्डिक सर्जरी कानपुर,जीबीएस मेडिकल कालेज व एसोसियट हास्पिटल कानपुर स्वरूप नगर के मेडिकल प्रपत्रों का अवलोकन किया गया तथा वेलसन हास्पिटल लखनऊ की डेथ समरी व मृतक के लिखित मृत्युकालिक कथन का अवलोकन किया गया तथा उ0प्र0 सरकार द्वारा जारी मृतक के मृत्यु प्रमाण पत्र का अवलोकन किया गया।

दिनाक 7.10.2023 को सी डी नं0.7 किता किया था जिसमे ंसी एच सी बबेरू के डाक्टर राहुल कुमार सीनियर रेजीडेण्ट सर्जरी के बयान अंकित करके मुकदमा उपरोक्त को धारा–307 आईपीसी से धारा–302 आईपीसी में तरमीम करते हुए मुकदमा उपरोक्त की विवेचना थानाध्यक्ष मरका श्री रमेश कुमार को सुपुर्द की गयी।

पत्रावली में शामिल कागज संख्या 32क/1 नक्शा नजरी घटनास्थल है जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है में अपने हस्ताक्षर बने होने की पुष्टि करता हूॅ जिस पर प्रदर्श **क–12** अंकित किया गया है। पत्रावली में शामिल कागज संख्या. 32क/2 नक्शा नजरी एक अदद खूनालूद चाकू बरामदगी स्थल है जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है मैं अपने हस्ताक्षर बने होने की पुष्टि करता हूॅ जिस पर प्रदर्श **क–13** अंकित किया गया है। पत्रावली में शामिल कागज संख्या–6क फर्द खूनालूद मिट्टी है जो मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है मैं अपने हस्ताक्षर बने होने की पुष्टि करता हूॅ जिस पर प्रदर्श **क–14** अंकित किया गया है। पत्रावली में शामिल कागज संख्या–6क/2 फर्द गिरफतारी अभियुक्त है जो मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है मैं अपने हस्ताक्षर बने होने की पुष्टि करता हूॅ जिस पर प्रदर्श **क–15** अंकित किया गया है। पत्रावली में शामिल मिसिल कागज संख्या7 10क फर्द एक अदद चाकू आला वारदात है जो मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है मैं अपने हस्ताक्षर बने होने की पुष्टि करता हूॅ जिस परप्रदर्श **क–16** अंकित किया गया है।

उपरोक्त मुकदमें से सम्बन्धित माल मुकदमा आला कत्ल चाकू न्यायालय में वास्ते साक्ष्य मौजूद है जो एक कैरी बैंग जिसमें लाल कलर से राजफेशन मेन चौराहा हीरागंज कुण्डा प्रतापगढ अंकित है जिसके उपर एक सफेद कागज की चिट चस्पा है जिसमें क्षेत्राधिकारी बबेरू बांदा अ0सं0 163/2023 धारा–307 आईपीसी(04), 272 सीरो–23 दि0.10.10.2023 अंकित है तथा कैरी बैग के उपर काले स्केज पेन से 272 सीरो/23 बांदा अंकित है जिस वस्तु **प्रदर्श–1** अंकित किया गया है जिसको माननीय न्यायालय की अनुमति से खोलागया जिसके अंदर एक प्लास्टिक का डिब्बा निकला जिसके उपर काला स्केज पेन से 272/सीरो/23 बांदा तथा टेप चारों तरफ लगी है जो सील सर्वमुहर है जिस पर वस्तु **प्रदर्श–2** अंकित किया गया है जिसको खोला गया जिसके अन्दर दो पारदर्शी प्लास्टिक के डिब्बे निकले जो सादा मिट्टी खूनालूद मिट्टी से सम्बन्धित है जिनके उपर सफेद कागज की चिट चस्पा है जिस पर दिनांक 10.10.2023 केस क्र.272 सीरो 23 प्रदर्श सं.2 अंकित है दोनों डिब्बों में क्रमशः वस्तु **प्रदर्श–3** व वस्तु **प्रदर्श–4** अंकित किया गया है तथा एक सफेद कागज का लिफाफा निकला जिस पर 272 सीरो

23 अंकित है,दो अदद कपडा कटिंग रक्त के छीटेयुक्त से सम्बन्धित है जिस पर वस्तु **प्रदर्श–5** अंकित किया गया है। जिसको खोला गया,लिफाफे के अंदर दो प्लास्टिक की पन्नी जिसमे ंएक पन्नी में अभियुक्त के कुर्ते की कटन जिस पर वस्तु **प्रदर्श–6** अंकित किया है तथा दूसरे पन्नी में अभियुक्त के पैण्ट की कटिंग है जिस वस्तु **प्रदर्श–7** अंकित किया गया है। कुर्ते की कटिंग को निकालकर देखा गया तो उस पर विधि विज्ञान प्रयोगशाला फाफामऊ की चिट चस्पा है जिस पर दिनांक 10.10.2023 केस कं.272 सीरो 23 **प्रदर्श–3** अंकित है तथा विशेष वाहक के हस्ताक्षर बने हुए है। कुर्ते की कटिग पर खून की छीटे मौजूद है। दूसरी पन्नी को खोलकर देखा गया तो पन्नी के अंदर अभियुक्त के पैण्ट की कटिंग मौजूद है जिस पर विधि विज्ञान प्रयोगशाला फाफामउ की चिट चस्पा है जिसपर दिनांक 10.10.203 केस क.272 सीरो 23 **प्रदर्श–4** अंकित है तथा विशेषज्ञ के हस्ताक्षर बने हैं।

प्लास्टिक के डिब्बे के अंदर से मौजूद चाकू को निकाला गया जिसपर विधि विज्ञान फाफामऊ की चिट चस्पा है जिस पर दिनांक 10.10.2023 केस क.272 सीरो 23 प्रदर्श–1 अंकित है तथा विशेषज्ञ के हस्ताक्षर बने है जिस पर वस्तु **प्रदर्श–8** अंकित किया गया है। चाकू लोहे की है जो नुकीली है जो चाप से दो रिपिट से कसा है। साक्षी ने मौजूद चाकू व कपड़ा कटिंग तथा खूनालूद डिब्बों को देखकर कहा कि यह वही कपडे, डिब्बे व चाकू है जो मेरे द्वारा सील सर्व मोहर किये गये थे तथा चाकू अभियुक्त की निशोदेही पर बरामद किया था। यही मेरा बयान है।

अभियोजन साक्षी विवेचक अरविन्द कुमार पी0डब्लू0.8 से विद्वान अधिवक्ता बचाव पक्ष की ओर से जिरह की गयी है। साक्षी ने अपनी जिरह के पेज–**2** लगायत **3** पर कथन किया कि– खूनालूद व सादी मिट्टी के डिब्बों के उपर जो चिट लगी है उसपे मेरे हस्ताक्षर बने हैं, किसी साक्षी के हस्ताक्षर नहीं है। जब सादी मिट्टी व खूनालूद मिट्टी ली गयी थी तो उस समय मेरे हमराही पुलिस बल के सदस्य व अन्य लोग मौके पर उपस्थित थे। बरामद चाकू, जिसे घटना में बरामद होना कहा जाता है वो सामान्य चाकू है उक्त प्रकार के चाकू घरेलू उपयोग के लिये किचेन आदि मे ंप्रयुक्त होते है। चाकू की लम्बाई व चौड़ाई तथा अन्य स्थितियां निर्धारित मानक से यदि ज्यादा होते तो अभियुक्त के खिलाफ 4/25 आर्म्स ऐक्ट का अभियोग बनता,क्योंकि निर्धारित मानको का उल्लंघन नहीं था इसलिये धारा–4/25 आर्म्स ऐक्ट का अभियोग नहीं लिखा गया था।

वस्तु प्रदर्श–1 झोला (केरीबैग) मैने माल के साथ न तो सील किया था न भेजा था। चाकू एक तरफ धारदार व दूरी तरफ ब्लण्ट (भोथरा) है। धार की तरफ बलण्ट साइड की चाकू के फल की मोटाई चार गुना होगी अंदाज से बलण्ट साइड की मोटाई 3 एमएम होगी। अभियुक्त जब गिरफतार हुआ था तो वह कपडे पहने था। अभियुक्त की गिरफतारी की फर्द में अभियुक्त के कपडों में खून की छीटे या धब्बे होने का उल्लेख नहीं है। फर्द गिरफतारी में अभियुक्त के कपडों का उल्लेख है जिसमें सफेद कुर्ता व पैण्ट पहने होना लिखा है। गिरफतारी के पश्चात अभियुक्त को थाने ले जाने व उससे पूछताछ के पश्चात कथित बरामदगी की गयी थी।

यह बात सही है कि अभियुक्त को थाने लाने व लाकप में दाखिल करने तथा पूछताछ के समय कोई खून लगे कपडे के हिस्से कब्जे में नहीं लिये गये थे अभियुक्त को थाने से कथित

बरामदगी स्थल ले जाने व कथित बरामदगी के उपरान्त अभियुक्त के पहने हुए कपडो में खून की छीटे व धब्बे लगे होने व काटकर कब्जे में लिया गया था। फील्ड यूनिट के सदस्य अभियुक्त की गिरफतारी के पूर्व ही थाना मरका आ गये थे और थाने में ही थे। यह बात सही है कि अभियुक्त को गिरफतारी के पश्चात थाने ले जाने व थाने में रहने के दौरान फील्ड यूनिट द्वारा अभियुक्त के कोई कपडे अथवा खून के छीटे लगे कपडे काटकर कब्जे मे नहीं लिये गये थे। अभियुक्त की पूछताछ के उपरांत बरामदगी के लिये थाने से रवाना होते समय फील्ड यूनिट के सदस्यों को हमराह के रूप में साथ नहीं ले गये थे। कथित चाकू की कथित बरामदगी के पश्चात फील्ड यूनिट के सदस्यों को थाने से बुलाया जाना फर्द में उल्लिखित है। अभियुक्त को गिरफतारी के पश्चात जब थाने लगाया गया था तो फील्ड यूनिट के सदस्य भी थाने पर मौजूद थे और उन्होने अभियुक्त को देखा होगा,मुझे आज याद नहीं है।

यह कहना गलत है कि अभियुक्त के पहने हुए कपडों मे किसी प्रकार की खून की छीटे व धब्बे नहीं थे इसीलिये उसकी गिरफतारी की फर्द में पहने हुए कपडों में किसी प्रकार से कोई खून के छीटे व धब्बे लगने होने का उल्लेख नहीं है.............यह बात सही है कि परीक्षण हेतु मैं माल लेकर विधि विज्ञान प्रयोगशाला प्रयागराज अथवा लखनऊ नहीं गया था और न ही मेरे सामने किसी सीलबंद बण्डल में विधि विज्ञान प्रयोगशाला के किसी विशेषज्ञ ने कोई चिटबंदी की और न हस्ताक्षर किये। विधि विज्ञान प्रयोगशाला से वापस आये माल व चिटबंदी में किसी विशेषज्ञ के अथवा किसके हस्ताक्षर बने हैं,मैं यह नहीं बता सकता।

मुकदमा उपरोक्त की विवेचना थानाध्यक्ष श्री रमेश कुमार के आदेश से प्राप्त हुई थी। मुकदमा मेरी मौजूदगी में थाना मरका में कायम हुआ था। मैं इस मुकदमें के कायमी के पूर्व से ही थाना मरका में उपस्थित था। मजरूब विनोद मुकदमा कायमी के पूर्व थाना मरका घायलावास्था में आया था तो मेरी विनोद से बातचीत नहीं हुई थी,थाना कार्यालय में मौजूद पुलिस कर्मचारी/अधिकारी मजरूब विनोद ने घटना के बारे में क्या बताया इसकी मुझे जानकारी नहीं है। मजरूब विनोद थाना मरका घायल अवस्था में दि0.16.9.2023 को लगभग 8.30 बजे आया था,और थाना मरका में उसकी चोटों का निरीक्षण डयूटी पर मौजूद पुलिस कर्मचारी ने किया था व चिट्ठी मजरूबी बनाकर पुलिस वालों के साथ इलाज के लिये सीएचसी बबेरू भेजा था। थाने के अभिलेखों में मजरूब विनोद के साथ उसके किसी भाई या परिवार के अन्य सदस्य का साथ में आना उल्लिखित नहीं है। अभियुक्त पंकज गुप्ता घटना के दिन थाने नहीं आया था और न ही मुझे दिखायी दिया था। मुकदमें की विवेचना में मैं थाने से रवाना होकर घटनास्थल गया............।

................पत्रावली में शामिल प्रदर्श क–2 दिखाकर साक्षी से उसमें उल्लिखित तथ्य दिनांक16.9.2023 को समय 8.00 बजे मजरूब विनोद थाने गया था और पंकज गुप्ता भी थाने पहुॅचा था और पंकज गुप्ता को थाने के सिपाहियों ने पकड़ लिया था उसके बाद मुझे उपचार के लिये बबेरू भेजा गया था,दिखाकर पूछा गया कि जब अभियुक्त को दिनांक 16.9.2023 को समय 8 बजे थाना मरका की पुलिस ने पकड लिया था,इस सम्बन्ध में क्या कहना है तो साक्षी ने कहा कि प्रदर्श क–2 में किसी डाक्टर का कोई अभिप्रमाणन नहीं है और न ही किसी हस्तलेख विशेषज्ञ का कोई अभिप्रमाणन नहीं है और न ही किसी हस्तलेख विशेष का कोई रिपोर्ट है,इसलिये प्रदर्श क–2 में उल्लिखित तथ्यों के समबन्ध में मैं कुछ नहीं बता सकता।

.........यह बात सही है कि अभियुक्त पंकज गुप्ता से पूछताछ लाकप के अन्दर होने की स्थिति में की गयी थी। यह कहना गलत है कि अभियुक्त पंकज गुप्ता ने मुझे कोई तथाकथित बयान न दिया हो। यह कहना गलत है तथाकथित समय व स्थान पर तथाकथित प्रकार से तथाकथित कोई चाकू अभियुक्त पंकज गुप्ता की निशादेही बरामद न हुई हो। घटनास्थल से वापस आने के बाद मैं थाने में लगभग 30 मिनट रूका था। थाने से रवाना होने के समय कोई जनसाक्षी हमारे साथ चलने को तैयार नहीं हुआ था इसलिये जनसाक्षी नहीं हुए थे। अभियुक्त के साथ थाना मरका से मेरी व हमराहियान की जब रवानगी हुई थी उस समय रात्रि थी। घटना के समय बरसात का मौसम था। यमुना नदी के किनारे जो नाले हैं उनमें यमुना की बाढ के समय वापसी का पानी भर जाता है उक्त कीचड व दल–दल को सूखने में समय लगता है,लेकिन यदि वारिस हो जाय तो कीचड व दलदल काफी दिन तक रहता है।

थाने से 200–250 मीटर यमुना नदी के किनारे नाले की तरफ गये थे।यह ग्रामीण सडक है जिस परहमलोग यमुना नदी की तरफ 200–250 मीटर गये थे। जहां पर वाहन से उतरे थे वहां से 100 यमुना नदी के किनारे की ओर चले थे तब बरामदगी स्थल तक पहुॅचे थे। मौके पर हमलोग लगभग 30 मिनट तक रहे होगें। फर्द की लिखापढी वहीं मौके पर की थी। ऐसा नहीं है कि फर्द की लिखा पढी मौके पर न की हो बल्कि जीप के पास वापस आकर की हो। मैने किसी जनसाक्षी को न तो साथ लिया था और न ही किसी को सूचना देकर बुलाया था।

साक्षी निर्माद सिंह विनोद सिंह का सगा भाई है तथा रामजी तिवारी उनका पडोसी है। यह बात सही है कि उपरोक्त फर्द बरामदगियों में उपरोक्त निर्माद सिंह व रामजी तिवारी ही साक्षी हैं। यह बात सही है कि फर्द बरामदगी चाकू में फर्द की अन्तिम तीन लाइनें छोटे अक्षरों में व घना करके लिखे हैं। यह कहना गलत है कि अभियुक्त को सुबह थाने में पकडकर बंद करने के बंद रखने के बाद वादी मुकदमा व मजरूब के परिजनों से राय मशविरा कर चाकू तथा खून के छीटे लगे कपडे आदि उपलब्ध कराने पर थाने में बैठकर फर्जी व झूठी गिरफतारी तथा फर्जी बरामदगी अभियुक्त के पास से झूठी दिखायी है............।

..........अभियुक्त के दास्ताने पहनने के लिये फर्द में दिया जाना लिखा है किन्तु उक्त दास्तानों की कोई फर्द नहीं बनायी थी और न उन्हें सील मोहर करके कब्जे में लिया था। यह कहना गलत है कि वादी मुकदमा द्वारा चाकू उपलब्ध कराने पर थाने में बैठकर सारी कार्यवाही व बरामदगियां फर्जी दिखायी। यह भी कहना गलत है कि वादी मुकदमा व थानाध्यक्ष के प्रभाव में मैंने नुमाइशी व फर्जी विवेचना की है।

साक्षी अमर सिंह ने मुझे यह बयान नहीं दिया कि मेरा भाई विनोद सिंह अपने दरवाजे के सामने कुल्ला कर रहा था। अमर सिंह ने मुझे यह बयान नहीं दिया था कि घटना को भाभी कोमल, बहन अंजली व अन्य लोगो ने देखा था। वादी की एफआईआर व बयान 161 सीआरपीसी में घटना कोई चक्षुदर्शी साक्षी नामित नहीं किया गया था। मजरूब विनोद सिंह थाने में जहां लेटा था वहां खून गिरा था यह मेरी जानकारी में नहीं है। मेरे सामने मजरूब थाने में लेटी स्थिति में मुझे कहीं नहीं दिखा था। वादी के दरवाजे के सामने खून नहीं था लेकिन मकान के किनारे व सामने खून था। नक्शा नजरी में घटनास्थल प्रदर्शित है खूनालूद व सादी मिटटी लिये जाने का कोई स्थान विशिष्ट रूप से प्रदर्शित नही है..........।

अभियोजन साक्षी उपनिरीक्षक रमेश कुमार **पी0डब्लू0.9** रमेश कुमार ने शपथ पर अपने मुख्य बयान में कथन किया कि– दिनांक 16.9.2023 को मैं थाना मरका में थानाध्यक्ष के पद पर नियुक्त था। थाना मरका में पंजीकृत मु0अ0सं0 163/2023 धारा–307 आईपीसी की विवेचना थाने में तैनात उपनिरीक्षक अरविन्द कुमार द्वारा सम्पादित की जा रही थी। दौरान विवेचना प्रकरण में संकलित साक्ष्य व मेडिकल प्रपत्रों के आधार पर धारा–307 आईपीसी का लोप किया गया था तथा धारा–302 आईपीसी की गयी थी। चूँकि प्रकरण धारा–302 आईपीसी से सम्बन्धित होने के कारण विवेचना मुझ थानाध्यक्ष को सुपुर्द हुई थी।

दिनांक 8.10.2023 को मेरे द्वारा सी डी नं0.8 किता की गयी थी जिसमें विवेचना ग्रहण व पूर्व विवेचक द्वारा किता पर्चो का अवलोकन किया गया। पर्चा नं0.9 दिनांक 9.10.2023 को किता किया गया जिसमें मेरे द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त पंकज उपरोक्त का माननीय न्यायालय द्वारा धारा–302 में रिमाण्ड लिया गया है तथा पर्चा नं0.10 दिनांक 10.10. 2023 को किता किया गया था जिसमें मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित मृतक विनोद कुमार उपरोक्त पंचान के गवाहों का बयान अंकित किया गया है। पर्चा नं0.11 दिनांक 13.10.2023 को किता किया गया था जिसमें मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित मृतक विनोद कुमार उपरोक्त का पंचायतनामा भरने वाले उपनिरीक्षक अवनीश कुमार का बयान व मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित चश्मदीद गवाह सूरज पुत्र इन्द्रराज सिंह का बयान अंकित किया गया है। पर्चा नं0.12 दिनांक 19.10.2023 को किता किया गया था जिसमें मुकदमा से सम्बन्धित मृतक का पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक डा0 पंकज कुमार गुप्ता व डा0 आनन्द कुमार का बयान अंकित किया गया है। दौरान विवेचना संकलित साक्ष्यों व मेडिकल प्रपत्रों के आधार पर अभियुक्त पंकज कुमार गुप्ता पुत्र स्व0. गुलाबचन्द्र निवासी ग्राम मरका थाना मरका जनपद बांदा के विरूद्ध धारा–307,302 आईपीसी आरोप पत्र संख्या–154/2023 दिनांक 19.10.2023 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया था।

पत्रावली में शामिल कागज संख्या–3क/1 लगायत 3क/5 मूल आरोप पत्र है जो मेरे द्वारा कम्प्यूटर आपरेटर से बोल–बोलकर तैयार कराया गया था जिस पर मेरे हस्ताक्षर बने है। मैं अपने हस्ताक्षर बने होने की पुष्टि करता हूँ जिस पर प्रदर्श क–17 अंकित किया गया। यही मेरा बयान है।

अभियोजन साक्षी विवेचक रमेश कुमार पी0डबलू–9 अपनी जिरह के **पेज–2** पर कथन किया गया कि प्रकरण की उपरोक्त विवेचना मुझे सौपे जाने के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकारी महोदय ने आदेश किया था किन्तु उक्त आदेश का उल्लेख अथवा आदेश को`संलग्न सी डी नहीं किया गया। असखुद कहा कि मौखिक आदेश था। पूर्व विवेचक भी उपनिरीक्षक पद के पुलिस कर्मचारी थे,नियमानुसार वह भी प्रकरण की विवेचना के लिये सक्षम थे। मैने पूर्व विवेचक द्वारा की गयी विवेचना के किता किये गये केसडायरी के पर्चो का अवलोकन किया। मृतक को बबेरू अस्पताल से बांदा अस्पताल व फिर कानपुर इसके बाद लखनऊ वेल्सन मेडिसिटी अस्पताल इलाज के लिये उसके परिजनों द्वारा ले जाया गया। वेलसन मेडिसिटी अस्पताल के चिकित्सीय अभिलेखों में मृतक की मृत्यु का कारण कारडियों प्लमनरी एरेस्ट लिखा है और मृतक के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण सेप्टीसिमिया लिखित किया गया था।

विवेचना से संकलित साक्ष्य में मृतक व अभियुक्त के बीच घटना के पूर्व कोई रंजिश व विवाद होने का तथ्य नही मिला था। यह घटना अचानक व क्षणिक आवेग से घटित होना पाया गया था। विवेचना में साक्षियों ने अभियुक्त द्वारा घटना कारित करने का कोई हेतुक अथवा इंटेंशन नहीं बताया था। यह बात सही है,कि प्रकरण में उपरोक्त में मेरे पूर्व विवेचक द्वारा प्रकरण धारा–307 आईपीसी से 302 आईपीसी में तरमीम किया जा चुका था। इसके पश्चात मुझे विवेचना प्राप्त हुई थी। मैने पूर्व विवेचक व अपने द्वारा सम्पादित विवेचना में धारा–307,302 आईपीसी में अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया था। विवेचना में संकलित साक्ष्य से 304 आईपीसी का अपराध प्रथम दृष्टया निर्मित होने के सम्बन्ध में मैने अन्य लोगो से राय लिया था,जिस पर मुझे यह राय दी गयी थी कि यदि 308 आईपीसी में प्राथमिकी दर्ज होती तो 304 में आरोप पत्र प्रेषित होगा। यह प्रकरण धारा–307 आईपीसी में पंजीकृत हुआ है इसलिये इसमें धारा–302 आईपीसी में आरोप पत्र प्रेषित होगा। इसी आधार पर मैने 302 में भी आरोप पत्र प्रेषित किया था। मैं धारा–304 आईपीसी व धारा–302 आईपीसी के अपराध पाये जाने के आवश्यक तथ्यों के समबन्ध में न्यायालय में आज अन्तर नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि मैने मृतक के परिवारीजनों के प्रभाव में अपराध की गंभीरता के बढ़ाने के उद्देश्य से धारा–302 आईपीसी में बिना किसी विधिक आधार पर आरोप पत्र प्रेषित किया है। यह कहना गलत है कि धारा–307/302 आईपीसी में आरोप पत्र इसलिये दाखिल किया गया हो कि मैं विवेचना में संकलित साक्ष्य से धारा–307, 302 आईपीसी का अभियोग पाये जाने का मत नहीं था। इसलिये अभियुक्त को किसी भी प्रकार का कोई विधिक लाभ न मिल सके। धारा–307 आईपीसी में भी आरोप पत्र प्रेषित किया था। यह कहना गलत है कि पूर्व विवेचक की विवेचना के आधार पर सरसरी तौर पर वादी मुकदमा के प्रभाव में व अपने अधीनस्थ कर्मचारी की गलत विवेचना को सही ठहराने के उद्देश्य से अभियुक्त के विरूद्ध प्रेषित किया।

प्रतिरक्षा साक्षी डा0 विपुल मेहरोत्रा **डी0डब्लू0.1** वी0सी0 के माध्यम से शपथ पर अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि– मैं दिनांक 19.7.2022 को इलाहाबाद मनोचिकित्सा केन्द्र में मानसिक एवं सेक्स रोग विशेषज्ञ के रूप में काम कर रहा उस दिन मेरे पास एक व्यक्ति आया था जिसने अपना नाम पंकज कुमार गुप्ता बताया था और अपना मोबाइल नंम्बर 9984933901 बताकर इलाज कराया था इन्होने हमको उदासी की शिकायत के लिये सम्पर्क किया था। मैने मरीज द्वारा दी गयी जानकारी एवं पाये गये लक्षणों के आधार पर पाया कि इनमें उस समय सेल्फ डाउट (Self Doubt)और Guilt of investment की प्रमुख समस्या थी और उदासी प्रतीत हो रही थी जिसके आधार पर अपने ज्ञान और योग्यता के अनुसार मैने उनसे 21 दिन की दवा दी और काउन्सिलिंग करी। इसके बाद दिनांक 27.08.2022 को इस व्यक्ति ने पुनः हमसे सम्पर्क किया,इस मरीज को कुछ राहत थी। मैने इसकी फिर काउर्निसिलिंग करी और लक्षणों को ठीक करने के लिये एक महीने की दवा लिखी,इस मरीज को सीमित अवधि के दौरान इस मरीज को सीमित अवधि के दौरान उदासी के लक्षण प्रतीत हो रहे थे,इसके बाद इस मरीजने मेरी क्लीनिक दुबारा सम्पर्क नहीं किया। पत्रावली में कागज संख्या 26ख व 27ख मरीज पंकज कुमार गुप्ता के इलाज के प्रपत्र हैं जो क्रमशः दिनांक 19.7.2022 व दिनांक 27.8.2022 है जो कि मेरे हस्तलेख में है व लघु हस्ताक्षर बने हुए हैं जिसे साक्षी को दिखाया गया तो साक्षी ने अपने हस्ताक्षर व हस्तलेख पुष्टि की, जिनमें क्रमशः प्रदर्श **ख–1** व प्रदर्श **ख–2** डाला गया।

प्रतिरक्षा साक्षी डा0 विपुल मेहरोत्रा डी0डब्लू0.1 ने अपनी जिरह में कथन किया कि– इलाज के दौरान आधार कार्ड नहीं लेते हैं मरीज का मो0 नं0. लेते हैं। इलाज के पर्चे पर अभियुक्त का कोई मोबाइल नम्बर अंकित नहीं है लेकिन मरीज का मोबाइल अस्पताल के रिकार्ड में है। मरीज के इलाज का विवरण व अन्य जानकारी अस्पताल में कम्प्यूटर में फीड रहती है। यह कहना गलत है कि पंकज गुप्ता नाम का कोई व्यक्ति न आया हो और मेरे यहां इलाज न कराया हो। हमलोग मो0 नं0 के आधार पर व्यक्ति का इलाज करते हैं। किसी निवेश के कारण कोई कार्य करने का निर्णय नहीं ले पा रहे थे। मैने मरीज को बहुत सीमित अवधि के लिये देखा है। इसके बाद मेरे पास इलाज के लिये कभी नहीं आया। यह कहना गलत है कि मैने अभियुक्त पंकज कुमार गुप्ता नामक व्यक्ति का इलाज न किया हो और फर्जी पर्चे बैक डेट पर बनाये हों। यह बात सही है कि पर्चे पर मरीज के पिता और पता अंकित नहीं है।

अभियोजन कथानक के अनुसार प्रस्तुत मामले की घटना दिनांक 16.9.2023 समय प्रातः काल 8.30 बजे पेश दरवाजा वादी मुकदमा अमर सिंह बहद ग्राम मरका, थाना मरका जनपद बांदा की है। घटनास्थल से थाना 300 मीटर की दूरी पर पूरब दिशा में स्थित है। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट वादी मुकदमा अमर सिंह की ओर से प्रस्तुत तहरीर प्रदर्श क–1 के आधार पर घटना की ही दिनांक 16.9.2023 को समय 10.49 बजे किता कर अ0सं0 163 सन् 2023 धारा–307 भा0द0सं0 के अन्तर्गत अभियुक्त पंकज कुमार गुप्ता के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है।

घटना की उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान को चुनौती देते हुए विद्वान अधिवक्ता बचाव पक्ष की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि घटनास्थल से स्थानीय थाना मात्र 300 मीटर की दूरी पर स्थिति है लेकिन घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट 2 घंटा 19 मिनट विलम्ब से थाने पर वादी मुकदमा द्वारा दर्ज करायी गयी है, विलम्ब से प्राथमिकी दर्ज कराये जाने का कोई युक्तियुक्त संतोषजनक स्पष्टीकरण वादी के द्वारा अपनी तहरीर में व मौखिक कथनों में नहीं दर्शाया गया है। इस प्रकार वादी के द्वारा घटना के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट अति विलम्ब से दर्ज करायी गयी है जिससे घटना का उस प्रकार से घटित होता संदिग्ध प्रतीत होता है, जिस प्रकार अभियोजन पक्ष कहकर आया है। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि विधानतः किसी भी मामले की चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सम्बन्धित न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के कार्यालय में विहित अवधि 48 घण्टे में पहुॅच जानी चाहिये जबकि प्रस्तुत मामले में चिक एफ आई आर की प्रति 48 घण्टे के उपरान्त अर्थात दिनांक 18.9.2023 को सम्बन्धित न्यायालय को प्राप्त करायी गयी है जिससे साबित है कि घटना के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट समय के विपरीत दर्ज करायी गयी है जिससे घटना का उस प्रकार से घटित होना संदिग्ध है जिस प्रकार अभियोजन पक्ष कहकर आया है।

विद्वान अधिवक्ता बचाव पक्ष का अपनी बहस के दौरान यह भी तर्क रहा है कि वादी मुकदमा अमर सिंह पी0डब्लू0.1, श्रीमती कोमल पी0डब्लू0.2 एवं निर्मोद सिंह पी0डब्लू0.3 तथ्य के गवाहान के रूप में अभियोजन द्वारा न्यायालय में परीक्षित कराये गये है। वादी मुकदमा अमर सिंह के कथनानुसार ही वह घटित घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है, जबकि अभियोजन साक्षी श्रीमती कोमल पी0डबलू0.2 एवं निर्मोद सिंह पी0डब्लू03 प्रत्यदर्शी साक्षी के साक्ष्य में घटना देखे जाने, घटनास्थल पर उपस्थिति के बाबत अनेक विन्दुओं पर घोर विरोभाष उत्पन्न हुआ है तथा

प्रत्यदर्शी साक्षीगण ने अपनी मुख्य परीक्षा में किये गये कथन के विपरीत प्रतिपरीक्षा में कथन किया है, जिससे घटित घटना को उनके द्वारा देखे जाने का तथ्य पूर्ण रूप से संदिग्ध हो जाता है।

विद्वान अधिवक्ता बचाव पक्ष ने अपनी बहस के दौरान यह भी कथन किया है कि मृतक विनोद उर्फ गब्बर सिंह सरकश, दबंग किश्म का व्यक्ति था और उसकी संगत अपराधियों से थी। घटना की दिनांक को मृतक घर पर मौजूद नहीं था। बबेरू क्षेत्र मे किसी अज्ञान व्यक्ति ने रात के किसी समय उस पर प्राण घातक हमला करके लहूलुहान कर दिया और मजरूब विनोद को घायला अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बबेरू में 8.38 बजे प्रातः इलाज हेतु मजरूब के परिजनों द्वारा दाखिल किया जहां से घायल विनोद को इलाज हेतु जिला चिकित्सालय बांदा अग्रसारित किया गया। हालत गंभीर होने के कारण घायल को मेडिकल कालेज बादां, कानपुर और अन्ततः मेडिकल कालेज लखनऊ अग्रसारित किया गया। मजरूब की वेलसन मेडिसिटी अस्पताल में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से दिनांक 20.9.23 को 5.15 बजे सांय मृत्यु हो गयी। विद्वान अधिवक्ता बचाव पक्ष ने सी0डी0नं07 दिनांक 7.10.23 को विवेचक द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सक डा0 बृजेश भारती के धारा–161 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत अभिलिखित बयान की ओर से न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कथन किया है कि चिकित्सक ने विवेचक को यह बयान दिया है कि मजरूब विनोद सिंह को उसके परिजन दिनांक 16.9.23 को सुबह 8.38 बजे प्रातःकाल सीएच सीलेकर आये और प्राथमिक उपचार के उपरान्त मजरूब को उनके द्वारा इलाज के लिये जिला अस्पताल बांदा अग्रसारित किया गया। अतः अभियोजन साक्षी अमर सिंह पी0डबलू0.1 एवं अभियोजन साक्षी हे0का0 कमलेश कुमार यादव पी0डब्लू0.4 का यह बयान कि मजरूब को इलाज हेतु मजरूबी चिट्ठी पुलिस कर्मी विकास एवं शैलेन्द्र को देकर प्राइवेट वाहन से इलाज हेतु बबेरू अस्पताल भेजा गया स्वयंमेव असत्य एवं संदिग्ध हो जाता है। वास्तविकता यह है कि न तो मजरूब अपने भाई छोटू के साथ थाना मरका गया और न ही वादी मुकदमा अमर सिंह सिंह मजरूब की भेट हुई। वादी मुकदमा ने अपने प्रभाव का दुरपयोग करते हुए पुलिस पर दबाव बनाकर एक मिथ्या व मनगढन्त कहानी बनाकर घटना को रंग देते हुए अभियुक्त को नामजद किया है। विद्वान अधिवक्ता बचाव पक्ष का कथन है कि अभियोजन साक्षीगण के साक्ष्य से ही स्पष्ट हुआ है कि मजरूब को सुबह 8.30 बजे थाना मरका में घायलावस्था में घायल के छोटे भाई छोटू सिंह द्वारा ले जाया गया जहां से थाना मरका की पुलिस द्वारा मजरूब चिट्ठी के साथ दो पुलिस कर्मियों सहित चार पहिया वाहन से सीएचसी बबेरू के लिये रवाना किया। इस तथ्य का उल्लेख थाना मरका की दैनिकी की रपट नं0.20 दि0.16.8.3 पर अंकित है तथा घायल विनोद को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बबेरू में समय 8.38 बजे प्रातःकाल चिकित्साधिकारी सीएचसी बबेरू के समक्ष इलाज व चिकित्सीय परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है, लेकिन वाहय रोग टिकट की फोटो प्रति कागज संख्या–26क में इस तथ्य का उल्लेख नहीं है कि मजरूब को चिकित्सीय परीक्षण हेतु किसके द्वारा अस्पताल में दाखिल किया गया है। थाना मरका से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बबेरू लगभग 22–23 किमी की दूरी पर स्थिति है और चार पहिया वाहन से यह दूरी 20–25 मिनट में ही तय करना संभव है क्योंकि थाना मरका से बबेरू जाने वाली सिंगल रोड है। इस तथ्य को अभियोजन साक्षी हे0 का0 मो0 कमलेश कुमार पी0डब्लू0.4 ने अपने सशपथ साक्ष्य में स्वीकार किया है लेकिन जानबूझकर

अभियोजन के द्वारा जी0डी0नं0.20 दिनांक 16.9.23 समय 8.33 को साबित नहीं कराया गया है। थाना मरका से चार पहिया वाहन से मात्र आठ मिनट में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बबेरू पहुॅचना नामुमकिन है, जो अभियोजन केस को पूर्ण रूप से संदेह की परिधि में लाकर खडा कर देता है।

विद्वान अधिवक्ता बचाव पक्ष की ओर से पत्रावली पर उपलब्ध फर्द गिरफतारी अभियुक्त पंकज कुमार, फर्द बरामदगी आला कतल, प्रत्यक्ष दर्शी साक्षी निर्मोद सिंह पी0डबलू0.3, एवं विवेचक अरविन्द कुमार पी0डब्लू0.8 की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य पर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कराते कराते हुए कथन किया गया है कि उक्त साक्षीगण के साक्ष्य से यही दर्शित हो रहा है कि विवेचक द्वारा थाने पर ही बैठकर अभियुक्त पंकज कुमार गुप्ता की गिरफतारी, उससे आला कतल चाकू की बरामदगी की फर्द तैयार की गयी है,क्योंकि आला कतल चाकू की बरामदगी के विन्दु पर विवेचक अरविन्दु कुमार पी0डबलू0.8 एवं निर्मोद कुमार पी0डब्लू0.3 के साक्ष्य में घोर विंसगतियां उत्पन्न हुई है जो अभियोजन कथानक को संदिग्ध बना देती है। विद्वान अधिवक्ता बचाव का पक्ष यह भी कहना है कि यही नहीं न्यायालय में साक्ष्य के समय प्रस्तुत कथित चाकू जिससे घटना को अंजाम दिया जाना कहा जाता है,एक सामान्य चाकू है जो आमतौर पर हर घ ार में सब्जी फल काटने में किचेन में प्रयोग किया जाता है, इस तथ्य को विवेचक अभियोजन साक्षी अरविन्द कुमार पी0डबलू0.8 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है। इससे यही स्पष्ट हो रहा है कि पुलिस द्वारा कागजी खानापूर्ति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं किया गया है। बरसात के मौसम में जमुना नदी की बाढ़ से आस पास के क्षेत्र में पानी भर जाता है तथा काफी समय जलभराव व कीचड रहता है। ऐसे में जमुनानदी के सन्निकट नाले के पास स्थित झाडी से अभियुक्त की निशादेही पर चाकू आला कतल बरामद कर मौके पर ही फर्द बरामदगी तैयार करना तथा अभियुक्त के कपडे उतरवाकर उस पर लगे खून के धब्बे को काटकर सर्वमुहर करना हस्यास्पद और संदिग्ध है। मौके पर अभियुक्त को पहनने के लिये दिये गये दस्ताने को न्यायालय में साक्ष्य के समय पेश नहीं किया गया है। यही नहीं, विवेचक ने यह बयान दिया है कि अभियुक्त की गिरफतारी व बरामदगी के समय किसी जनता के गवाह को फराहम नहीं किया था। उक्त तथ्यों को देखते हुए अभियुक्त की गिरफतारी व उससे की गयी बरामदगी पूर्ण रूप से संदिग्ध है,जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिये।

विद्वान अधिवक्ता बचाव पक्ष का अपनी बहस के दौरान यह भी कथन रहा है कि अभियुक्त पंकज गुप्ता को गिरफतार किये के उपरान्त थाने के लाकप में दाखिल करते हुए फील्ड यूनिट की थाने पर मौजूद थी। यदि गिरफतारी के अभियुक्त के पहने कुर्ता व पैण्ट पर खून की छोटे थी तो वह कौन सा कारण था कि फील्ड यूनिट के कर्मियों द्वारा अभियुक्त के पहने कुर्ते व पैण्ट पर लगे खून के धब्बे को काटकर कब्जे में लेकर सील मोहर नहीं किया,बल्कि कथित चाकू की बरामदगी के बाद फील्ड यूनिट के सदस्यों को बुलाकर बरामदगी सलि पर कुर्ता व पैण्ट पर लगे खून के धब्बे को काटकर सील मोहर किया जाना कहा जाता है,जबकि फर्द के स्वतंत्र साक्षी निर्मोद सिंह ने अभियुक्त के पहने कुर्ता व पैण्ट को बरामदगी स्थल पर ही उतरवाकर एक पालीथीन में सील करने की बात कही गयी है। अतः अभियोजन साक्ष्य से ही साबित है कि जिस प्रकार अभियोजन कथित आलाक कतल चाकू की बरामदगी व कुर्ते व पैण्ट पर लगे धब्बे की कटिंग करके सील मोहर करने की बात कहकर आया है उस प्रकार से आला कतल चाकू व कुर्ते व पैण्ट पर खून लगे धब्बे की कटिंग कर सील मोहर किया

जाना नहीं कहा जा सकता है जिससे अभियुक्त से आला कतल की बरामदगी आदि की कार्यवाही संदिग्ध हो जाती है।

विद्वान अधिवक्ता बचाव पक्ष का यह भी तर्क रहा है कि अभियोजन ने केस को सबल बनाने के उद्‌देश्य से वादी मुकदमा अमर सिंह ने मजरूब विनोद उर्फ गब्बर के मेडिसिटी अस्पताल में इलाज के दौरान प्रदर्श क–2 मृत्यु कालिक बयान दिनांक 19.9.23 तैयार कराया जिसमें इस तथ्य उल्लेख किया गया कि–''...... मैं लिखित बयान अपने पूरे होसो हवास में दे रहा हूँ कि दिनांक 16.9.23 को लगभग 8 बजे के अपने दरवाजे के सामने ब्रश कर रहा था तभी मेरे घर के सामने रहने वाले पंकज गुप्ता हाथ में चाकू लेके आये जब तक मैं कुछ समझ पाता तीन चार बार चाकू से वार कर दिया,मैं थाने की तरफ भागता हुआ गया पंकज गुप्ता भी मेरे पीछे दौडता हुआ आया मुझे थाने में बैठा लिया गया तथा पंकज गुप्ता को सिपाहियों ने पकडा बाद में मुझे स्वस्थ केन्द्र बबेरू ले गये वहां पर मेरा प्राइमरी उपचार हुआ उसके बाद मुझे बांदा जिला अस्पताल में भेजा दिया गया। वहां से मैं वेलसन मेडिसिटी हास्पिटल में भर्ती हुआ।'' विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उक्त अभिलेख पर वादी अमर सिंह व उसके पिता इन्द्रराज सिंह व मजरूब विनोद सिंह का निशानी अंगूठा व हस्ताक्षर मौजूद है। विवेचक ने उक्त अभिलेख को वादी मुकदमा द्वारा उपलब्ध कराये जाने की बात कही है और वादी मुकदमा अमर सिंह ने उक्त मृत्यु कालिक कथन का अपने मुख्य बयान में समर्थन किया है जबकि वादी ने अपनी जिरह में उक्त अभिलेख पर बने अपने हस्ताक्षर होने के तथ्य से कतई इनकार कर दिया है तथा कथन किया कि अगर विवेचक ने उक्त कागज को दाखिल किया है तो उसके सम्बन्ध में उसे कोई जानकारी नहीं है। ऐसी दशा में उक्त मृत्युकालिक कथन का महत्व समाप्त हो जाता है क्योंकि मृत्यु कालिक कथन को उसके लेखक अथवा चिकित्सक से अभियोजन की ओर से साबित नहीं कराया गया है।

विद्वान अधिवक्ता बचाव पक्ष का यह भी कथन है कि अभियोजन साक्षी कमलेश कुमार पी0डबलू0.4 ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि अमर सिंह अपने भाई मजरूब विनोद के साथ थाने पर आया और लिखित तहरीर दी और यहभी यह भी कथन किया कि मजरूब विनोद छोटू सिंह के साथ थाने आया था तब वह बोल रहा था तथा उसने उनकी चोटे देखा लेकिन मजरूब के साथ आये किसी व्यक्ति ने घटना के बारे में लिखित व मौखिक रूप से कोई सूचना नही ंदी,मजरूब 8.33 बजे आया था। वादी मुकदमा ने अपने मुख्य बयान में कहा है कि उसका छोटा भाई सूरज थाने पहले पहुॅच गया था। वादी को मजरूब विनोद घायलावस्था में थाना गेट पर मिला। दीवानजी दोनो भाइयों को लेकर अंदर आये और उसके पिता व भाई सूरज मजरूब को लेकर बबेरू अस्पताल इलाज के लिये भेज दिया। विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि वादी मुकदमा अमर सिंह व हे0 का0 मोह0 कमलेश कुमार के अनुसार मजरूब पूरे होश हवास में था। ऐसी स्थिति में वादी मुकदमा अथवा पुलिस द्वारा मजरूब से यह बात क्यों नहीं पूछा गया कि मजरूब विनोद को किस व्यक्ति ने मारकर चोटे पहुचायी है, यहीं नहीं यदि मजरूब बोलने की स्थिति था तो पुलिस कर्मचारी मजरूब के भाई छोटे सिंह उर्फ सूरज, वादी अमर सिंह व उसके पिता इन्द्रराज सिंह की उपस्थिति में मजरूब का बयान अभिलिखित कर सकते थे लेकिन अभियोजन द्वारा ऐसा कुछ भी किये जाने का प्रयास नहीं किया जो स्वयं अभियोजन साक्षी वादी

मुकदमा अमर सिंह, कमलेश कुमार हे0का0 व उपनिरीक्षक अरविन्द कुमार की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य को संदिग्ध बना देता है।

विद्वान अधिवक्ता बचाव पक्ष का यह भी तर्क है कि मजरूब विनोद सिंह का चिकित्सीय परीक्षण जिला अस्पताल के चिकित्साधिकारी डा0 विनीत कुमार पी0 डबलू0.5 ने किया तथा मजरूब का चिकित्सीय परीक्षण किये जाने के दौरान तेजधार दार व कुन्द आले से चोट पहुँचाया जाना इंजरी रिपोर्ट में उल्लिखित किया। जिरह में साक्षी ने कथन किया कि मजरूब की चोट के किनारे इररेगुलर नहीं थे जबकि चाकू से चोट पहुचाये जाने पर एक तरफ का किनारा कलीयरकट दूसरा किनारा इररेगुलर संभावित है जबकि मृतक के शव का विच्छेदन करने वाले चिकित्सक डा0 पंकज कुमार पी0डब्लू0.7 ने अपनी जिरह में मृतक की चोट नं0.1 सिर के पीछे आसीपुट पर कुन्द आले से आना संभावित बताया है। विद्वान अधिवक्ता बचाव पक्ष का कहना है कि मृतक विनोद को चाकू से वार करके चोटे न पहुचायी जाकर किसी अज्ञात स्थान पर भाला (दो तरफ धारदार) व लाठी से वार करके चेाट पहुचायी गयी है, क्योंकि मृतक के शरीर पर पायी गयी चोटों का कट क्लीयर है तथा चोटो के दोनों किनारे रेगुलर थे। चिकित्सक साक्षीगण के साक्ष्य से मजरूब को चाकू से वार कर चोट पहुँचाया जाना संभव नहीं है, जिससे अभियोजन केस को बल नहीं मिलता है। अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध संदेह से परे अपना केस साबित कर लेने में नाकाम रहा है। अतः संदेह का लाभ देकर अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने की याचना की गयी है।

अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने विद्वान अधिवक्ता बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत तर्को का घोर विरोध करते हुए अपनी बहस के दौरान कथन किया है कि घटना की दिनांक 16.9.2023 से एक दिवस पूर्व शाम को वादी मुकदमा खाना खाकर जियो टावर पर जहां वह नौकरी करता था चला गया और रात में टावर पर ही सो गया। घटना की दिनांक प्रातः 8.30 बजे वादी की बहन क्षमा ने सूचित किया सुबह जब उसका भाई विनोद उर्फ गब्बर दरवाजे पर कुल्ला कर रहा था उसी दौरान पडोसी पंकज गुप्ता अपने हाथ में चाकू लेकर आया और जान से मार डालने की नियत से विनोद सिंह के सीने व पेट में चार–पांच वार करके लहूलुहान कर दिया, विनोद अपनी जान बचाकर थाने की ओर भागा तथा मौके से पंकज फरार हो गया। सूचना पाकर तत्काल वादी मुकदमा थाने पर पहुँचा तो मजरूब विनोद उसे थाना गेट पर ही घायल अवस्था में मिला। मौके पर वादी का छोटा भाई व उसके पिता इन्द्राज सिंह भी मौजूद थे। मजरूब की स्थिति को देखकर पुलिस ने तुरन्त चिकित्सीय परीक्षण व इलाज हेतु मजरूबी चिट्ठी के साथ दो पुलिस कर्मियों को चार पहियान वाहन से सरकारी अस्पताल बबेरू रवाना किया गया जहां प्राथमिक उपचार के उपरान्त मजरूब विनोद को इलाज हेतु जिला अस्पताल बांदा रिफर किया गया।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कथन है कि कथित घटना अचानक घटित हुई थी जिसके कारण अफरातफरी का माहौल उत्पन्न हो गया, वादी के नवजवान भाई विनोद सिंह पर अचानक जानलेवा हमला हुआ था। वादी को उसी दौरान घटना के बारे में उसके भाई व पिता तथा बहन द्वारा बताया गया जिसके आधार पर घटना का संक्षिप्त विवरण देते हुए तहरीर लिखाकर थाने पर दी और रिपोर्ट लिखायी। इन सब कार्य में दो सवा दो घण्टे का समय लगना स्वाभाविक है। अतः यह नहीं माना जाना चाहिये कि वादी ने

जानबूझकर घटना को रंग देने के उद्देश्य से विलम्ब से रिपोर्ट दर्ज करायी है। वादी ने अपने सशपथ बयान में सम्पूर्ण घटनाक्रम का वर्णन किया है और रिपोर्ट लिखाने में जो विलम्ब हुआ है वह परिस्थितिवश हुआ है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने अपनी बहस के दौरान यह भी कथन किया है कि अभियोजन साक्षी श्रीमती कोमल पी0डब्लू0 2 एवं उसका पडोसी निर्मोद सिंह पी0डब्लू0.3 घटना के चश्मदीद है। घटना के समय वादी की भाभी कोमल व बहन अंजली घर पर ही मौजूद थी जिन्होने अभियुक्त को मजरूब विनोद पर चाकू से प्रहार करते हुए देखा तथा बचाने का प्रयास किया,लेकिन अभियुक्त पंकज ने उनको चाकू दिखाकर धमकाया। अभियोजन साक्षी निर्मोद सिंह चागू बावा देव स्थान जो घटनास्थल के अतिनिकट है,पर मौजूद था,घटना को अच्छी तरह देखा और मजरूब को बचाने का प्रयास किया लेकिन वह अचानक गिर पड़ा जिससे अभियुक्त को पकड़ नहीं सका। वादी मुकदमा द्वारा किये गये कथन का चश्मदीद गवाह श्रीमती कोमल व निर्मोद सिंह ने अपने बयान मे ंपूर्ण रूप से समर्थन किया है। यह भी सच है कि श्रीमती कोमल वादी सगे भाई की पत्नी व निर्मोद सिंह पडोसी है, लेकिन उक्त साक्षीगण ने अपने साक्ष्य में घटनाक्रम का सटीक वर्णन करते हुए घटना स्वयं के द्वारा देखे जाने के तथ्य का समर्थन किया है, जिस पर संदेह किये जाने की कोई गुंजाइश नही है। हितबद्ध साक्षी के साक्ष्य को स्वीकार किये पर कोई विधिक अड़चन नहीं है। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने अपनी बहस के दौरान यह भी कथन किया कि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घटना की दिनांक की शाम को ही अभियुक्त को गिरफतार करके उसके कब्जे से खून से सना हुआ आला कतल चाकू जनसाक्षी की मौजूदगी में बरामद किया है तथा विवेचक द्वारा कथित बरामद आला कतल चाकू ,अभियुक्त के पहने हुए कुर्ता व पैण्ट पर लगे हुए खून के धब्बे को विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए फोरेन्सिक जांच करायी है जिसपर मानव रक्त के धब्बे पाये गये हैं। अभियोजन की ओर से फर्द गिरफतारी, फर्द बरामदगी आला कतल, नक्शा नजरी ,आरोप पत्र, इंजरी रिपोर्ट,पंचायतनामा व सम्बन्धित प्रपत्र,शव विच्छेदन रिपोर्ट आदि सम्पूर्ण अभियोजन अभिलेखों को साक्ष्य से सिद्ध किया गया है। अभियोजन साक्षी श्रीमती कोमल पी0डब्लू0.2 एवं निर्मोद सिंह पी0डब्लू0.3 ग्रामीण हैं। उनके साक्ष्य में तुच्छ प्रकृति का विरोधाभाष अवश्य आया है लेकिन साक्षीगण के साक्ष्य में ऐसा कोई तात्विक विरोधाभाष उत्पन्न नहीं हुआ है जिसके आधार पर उक्त साक्षीगण के सम्पूर्ण साक्ष्य को नकारा जा सके।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने अपनी बहस के दौरान यह भी कथन किया है कि अभियोजन साक्षी डा0 विनीत कुमार पी0डबलू0.5 ने अपने सशपथ साक्ष्य से इंजरी रिपोर्ट मजरूब विनोद को सिद्ध किया है। चिकित्सीय परीक्षण के दौरान साक्षी ने मजरूब के शरीर पर धारदार आले की चोट पायी है तथा चोट धारदार आले से आना संभव बताया है। डा0 पंकज गुप्ता पी0डबलू0.7 ने मृतक विनोद सिंह के शव का पोस्टमार्टम किया है जिन्होने मृतक के शरीर पर तेजधारदार आले की चोट पोस्टमार्टम के दौरान पाये जाने का उल्लेख पी0एम0 रिपोर्ट में किया तथा यह भी मत व्यक्त किया है कि पहुचायी गयी चोटो से सेप्टीसीमिया के फलस्वरूप मृत्यु होना संभावित है। धारदार आले से कण्ट्यूजन होना संभव है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान यह भी कथन किया है कि जहां तक मृत्यु कालीन कथन मृतक विनोद सिंह प्रदर्श क–2 का प्रश्न है? वादी

मुकदमा अमर सिंह पी0डबलू0.1 ने अपने शपथ बयान में प्रदर्श क–2 तैयार कराने अथवा उसपर स्वयं का हस्ताक्षर की जानकारी से इनकार किया है। घटना घटित होने के उपरान्त जब मजरूब विनोद सिंह को उसके भाई छोटू सिंह के द्वारा थाना ले जाया गया तो उस समय मजरूब का इलाज अति आवश्यक था क्योंकि उसके शरीर के मर्म भाग सीने व पेट पर चाकू की चोट थी। अतः परिस्थितिवश मजरूब का बयान पुलिस व उसके पिता भाई व वादी के समक्ष नहीं लिखा जा सका और मजरूब को इलाज हेतु सरकारी अस्पताल बबेरू भेजा गया। सरकारी अस्पताल बबेरू के चिकित्साधिकारी द्वारा मजरूब का प्राथमिक उपचार कर इलाज हेतु जिला अस्पताल बांदा रिफर किया गया, इसलिये उन्होने वाह्‌य रोगी प्रपत्र में किसी पुलिस कर्मी अथवा उसके परिजन का नाम का अंकित नहीं किया गया कि अमुक व्यक्ति द्वारा मरीज को उनके समक्ष चिकित्सीय परीक्षण हेतु लाया गया। जिला अस्पताल बांदा के चिकित्साधिकारी द्वारा मजरूब का चिकित्सीय परीक्षण किया गया और इंजरी रिपोर्ट में मजरूब को पेश किये जाने वाले का0 विकास कुमार का नाम अंकित किया गया है। इंजरी रिपोर्ट डा0 विनीत कुमार ने सिद्ध किया है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवकता फौजदारी ने अपनी बहस के दौरान यह भी तर्क प्रस्तुत किया है कि गिरफतारी फर्द अभियुक्त व फर्द बरामदगी आला कतल चाकू, नक्शा नजरी, फर्द लेने कब्जा खूनालूद व सादी मिट्टी को विवेचक अरविन्द कुमार पी0डब्लू08 व आरोप पत्र को विवेचक रमेश कुमार पी0डबलू0.9 ने सिद्ध किया है। जबकि मृतक विनोद सिंह का पंचनामा व सम्बन्धित पुलिस प्रपत्र को अभियोजन साक्षी उपनिरीक्षक अवनीश कुमार पी0डबलू0.6 तथा चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट व मुकदमें की कायमी जी0डी0 को साक्षी हे0 का0 मो0 कमलेश कुमार यादव पी0डबलू0.4 ने सिद्ध किया है। पुलिस साक्षीगण के साक्ष्य से तथ्य के गवाहान वादी मुकदमा अमरसिंह पी0डब्लू0.1, श्रीमती कोमल सिंह पी0डबलू0.2 एवं निर्मोद सिंह पी0डब्लू0.3 के साक्ष्य को पूर्ण बल मिलता है। इसके अलावा विधि विज्ञान प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध है। अभियोजन पक्ष ने मौखिक व अभिलेखीय साक्ष्य से अपना केस अभियुक्त के विरूद्ध संदेह से परे पूर्ण रूप से सिद्ध कर दिया है। अतः अभियुक्त को दण्डित किये जाने पर बल दिया गया।

विद्वान अधिवक्ता बचाव पक्ष एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त तर्को के प्रकश में पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का गहनता से परिशीलन किया। **निष्कर्ष** निम्नवत् है–

अभियोजन कथनानुसार प्रस्तुत मामले की घटना दिनांक 16.9.2023 समय 8.30 बजे प्रातः बस्थान आवासीय पेश दरवाजा वादी मुकदमा अमर सिंह ग्राम व थाना मरका जनपद बांदा की है। घटनास्थल से थाना मरका 300 मीटर की दूरी पर पूरब स्थित है। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट वादी मुकदमा अमर सिंह पी0डब्लू0.1 की ओर से प्रस्तुत लिखित तहरीर प्रदर्श क–1 के आधार पर घटना की दिनांक 16.9.2023 को समय 10.49 बजे पूर्वान्ह थाना मरका जनपद बांदा में अ0सं0 163/2023 धारा–307 भा0द0सं0 के अन्तर्गत दर्ज करायी गयी है। अपनी तहरीर में वादी के द्वारा स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि घटना की दिनांक 16.9. 2023 को सुबह 8.30 बजे उसका भाई विनोद सिंह अपने दरवाजे के सामने कुल्ला कर रहा था तभी अचानक पंकज गुप्ता अपने हाथ में चाकू लिये हुए आया और उसके भाई के पेट व सीने में

चाकू से कई वार किये जिससे उसका भाई खून से लदफद होकर गिया। वादी मुकदमा अमर सिंह पी0डब्लू0.1 ने अपनी मुख्य परीक्षा में स्पष्ट किया है कि घटना की दिनांक को जब उसका भाई सुबह 8.30 बजे दरवाजे पर कुल्ला कर रहा था तो पंकज गुप्ता ने उसके भाई को जान से मार डालने की नियत से चाकू से पेट व सीने में प्रहार किया जिससे उसका भाई अपनी जान बचाने के लिये थाने की ओर भागा। घटना की सूचना उसकी बहन क्षमा ने सुबह ही लगभग 8.30 बजे दिया, उस समय वह जियो टावर पर काम कर रहा था। सूचना पाकर वह तुरन्त आया और भाई से घायलावस्था में थाना गेट पर मिला तो उसे घायल भाई ने बताया कि पंकज ने उस पर जान से मार डालने की नियत से प्रहार किया है। घायल भाई विनोद को पुलिस ने इलाज हेतु छोटे भाई सूरज उर्फ छोटू के साथ बबेरू सरकारी अस्पताल भेज दिया। तदोपरान्त वादी ने बाहर तहरीर लिखाकर थाने ले जाकर दिया और मुकदमा लिखाया।

तहरीर प्रदर्श क–1 एवं वादी के बयान से स्पष्ट है कि घटना घटित होने के उपरान्त वादी मुकदमा जो कि जियो टावर पर मौजूद था, को घटना की सूचना उसकी बहन अंजली ने दी। घटना की सूचना पाकर वादी मुकदमा तत्काल आया और अपने भाई से थाना गेट पर ही मिला जिसने वादी को घटना के सम्बन्ध में जानकारी दी। घायल विनोद की चोटों का इलाज व परीक्षण हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बबेरू को पुलिस द्वारा वादी के भाई सूरज उर्फ छोटू पुलिस कर्मी के साथ भेजा गया। घटना की सूचना पाकर वादी का जियो टावर से वापस घर आना तथा घायल से मिलना व घायल द्वारा वादी को घटना के सम्बन्ध में जानकारी देना, तदोपरान्त वाहन का प्रबन्ध कर इलाज हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बबेरू भिजवाना, तदोपरान्त थाने से बाहर जाकर तहरीर लिखवाकर वादी ने थाने पर देकर मुकदमा कायम कराया है। उपरोक्त समस्त कार्य में दो–सवा दो घण्टे का समय लगना स्वाभाविक प्रतीत होता है जिसको वादी ने अपने मौखिक कथन में युक्तियुक्त व संतोषजनक तरीके से स्पष्ट किया है। इस प्रकार वादी मुकदमा अमर सिंह पी0डब्लू0.1 के द्वारा घटना के सम्बन्ध में अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट तत्परता एवं बिना किसी अनुचित विलम्ब के दर्ज कराया जाना कहा जा सकता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में जो कुछ विलम्ब हुआ, तो वह परिस्थितिवश हुआ है। उक्त सम्बन्ध में विद्वान अधिवक्ता बचाव के तर्क बलहीन हैं जिन पर निर्भर नहीं किया जा सकता है।

जहां तक बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क का प्रश्न है कि घटना के सम्बन्ध में दर्ज करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट की चिक रिपोर्ट की प्रति 48 घण्टे की अवधि में प्राप्त नहीं करायी गयी है, बलहीन व सारहीन है। चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–3 के अवलोकन से स्पष्ट है कि घटना दिनांक 16.9.2023 समय 8.30 बजे प्रातः के सम्बन्ध में दिनांक 18.9.23 अर्थात घटित घटना के तीसरे दिवस को सम्बन्धित मजिस्ट्रेट सिविल जज (सी0डिवी0)/ ए0सी0जे0एम, बांदा के न्यायालय में प्राप्त करा दी गयी है लेकिन तिथि के नीचे समय अंकित नहीं है, तो इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव अभियोजन के कथानक पर नहीं पड़ता है क्योंकि मात्र इस आधार पर कि 48 घण्टे के अन्दर चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति समबन्धित मजि0. के न्यायालय में प्राप्त नहीं भी करायी है तो मात्र इस आधार पर अभियोजन के समस्त कथानक का तिरस्कार नहीं किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मुकेश बनाम एन0सी0टी देहली व अन्य **ए0आई0आर0 2017 एस0सी0 2161** (Three Judge Bench) के सम्मानित निर्णयज में अवधारित किया है कि– If causes are not

attributable to any effort concoct a version and the delay is satisfactorily explained by prosecution, no consequence shall be attached to mere delay in lodging FIR and the delay would not adversely affect the case of the prosecution. Delay caused in sending the copy of FIR to Magistrate would also be immaterial if the prosecution has been able to prove its case by its reliable evidence.

इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मृत्युन्जय विश्वास बनाम प्रणव विश्वास व अन्य **ए0आई0आर0 2013 एस0सी0 3334** के सम्मानित निर्णयज में अवधारित किया गया है कि– The FIR is not the encyclopedia of all the facts relating to the crime. The only requirement is at the time of lodging FIR the inormant should state all those facts which normally strike to mind and help assessing the gravity of the crime or identity of the culprit briefly.

इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उ0प्र0 राज्य बनाम कृष्णा मास्टर **2010(2) एस0सी0 सीआरआर 1436 एस0सी0** के सम्मानित निर्णय में अवधारित किया गया कि किसी घटना के सम्बन्ध में दर्ज की गयी प्राथमिकी सारभूत साक्ष्य की परिधि में नहीं आती है। इसका प्रयोग सीमित है जो उसके लिखाने वाले के कथनों की पुष्टि या विरोधाभाष के रूप में देखा जा सकता है तथा विधि का यह भी उद्देश्य नहीं है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना के सम्बन्ध में मात्र एक सूचना है।

अतः समस्त तथ्य एवं परिस्थितियां यह दर्शाती हैं कि प्रस्तुत मामले में घटना के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट वादी मुकदमा अमर सिंह पी0डब्लू0.1 के द्वारा तत्परता से बिना किसी अनुचित विलम्ब के दर्ज करायी गयी है जिसके कारण घटना के दौरान घटित तथ्यों को रंग देने एवं किसी प्रकार की झूठी कहानी बनाने की संभावना स्वतः समाप्त हो जाती है।

आपराधिक न्यायशास्त्र का प्रमुख सिद्धान्त यह है कि अभियुक्त का दोष युक्तियुक्त संदेह की सीमा के परे तक साबित किया जाना चाहिये और सभी युक्तियुक्त संदेह के परे तक उसके मामले को सिद्ध करने का भार अभियोजन पर होता है और वह कभी अन्तरित नहीं होता। एक अन्य स्वर्णिम सिद्धान्त जो दाण्डिक मामलों में, न्याय प्रशासन में निहित है, यह है कि यदि मामले में पेश किये गये साक्ष्य पर दो मत संभव हैं जिनमें से एक मत जो अभियुक्त के दोष को और एक मत उसकी निर्दोषिता निर्दिष्ट कर रहा है, तो वह मत जो अभियुक्त के पक्ष में है, अंगीकार किया जाना चाहिये जैसाकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने विभिन्न सम्मानित निर्णयज में उल्लिखित किया गया है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परमजीत सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य **ए0आई0आर0 2011 एस0सी0 200** के सम्मानित निर्णयज में अवधारित किया गया है कि– In a criminal trail involving a serious offence of a brutal nature, the court should be vary of the fact that is human instinct to act adversely to the commission of the offence and an effort to see that such an instictive reaction does not

prejudice the accused in any way. In case where the offence alleged to have been committed is a serious one, the prosecution must provide greater assurance to the court that its case has been proved beyond reasonable doubt.

अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रकरण में तथ्य के साक्षीगण के रूप में अभियोजन साक्षी वादी अमर सिंह पी0डबलू0.1, श्रीमती कोमल पी0डब्लू0.2 एवं निर्मोद सिंह पी0डब्लू0.3 को परीक्षित कराया गया है। वादी मुकदमा अमर सिंह के द्वारा घटना की प्राथमिकी स्थानीय थाना मरका में घटना की जानकारी क्षमा के दिये जाने के आधार पर अभियुक्त पंकज गुप्ता को नामित कर थाने पर प्राथिमिकी दर्ज कराकर मुकदमा पंजीकृत कराया गया है जबकि अभियोजन साक्षी श्रीमती कोमल साक्षी पी0डब्लू02 एवं निर्मोद सिंह पी0डब्लू0.3 कथित रूप से घटित घटना के प्रत्यदर्शी साक्षी कहे जाते हैं जैसा कि साक्ष्य से सुस्पष्ट हुआ है। साक्ष्य से यह तथ्य भी सिद्ध हुआ कि श्रीमती कोमल पी0डब्लू0.2 वादी के सगे भाई की पत्नी एवं निर्मोद सिंह पी0डब्लू0.3 वादी मुकदमा अमर सिंह का खानदानी व पट्टीदार है।

अभियोजन साक्षी वादी मुकदमा पी0डब्लू0.1 ने अपनी मुख्य परीक्षा में तहरीर प्रदर्श क–1 में वर्णित तथ्यों का समर्थन करते हुए कथन किया कि–विनोद उर्फ गब्बर उसका सगा बडा भाई व अभियुक्त पंकज गुप्ता उसका पडोसी है। दिनांक 16.9.2023 को सुबह 8.30 बजे प्रातः जब उसका बडा भाई विनोद दरवाजे के बाहर कुल्ला कर रहा था तो पंकज गुप्ता ने जान से मार डालने की नियत से उसपर धारदार चाकू से सीने, पेट पर वार करके गंभीर रूप से घायल कर दिया। विनोद जान बचाने के लिये थाने की तरफ भागा तो पंकज भी भागा। इस घटना को उसकी बहन अंजली, भाभी कोमल, निर्मोद सिंह व अन्य लोगों ने देखा। घटना की सूचना बहन क्षमा ने सुबह 8.30 के लगभग उसे दिया, वह जियो टावर पर काम कर रहा था। वह वहां से तुरन्त आया तो उसका चोटहिल भाई घायल अवस्था में उसे थाना गेट पर मिला जिसने पंकज के द्वारा चाकू से जानलेवा हमला करने की बात बतायी। साक्षी का कहना है कि उसके भाई को पुलिस ने भाई छोटू के साथ बबेरू अस्पताल भेजा दिया। वहां से चले जाने के बाद उसने थाने के बाहर जाकर तहरीर लिखाकर पढकर सुनकर दस्तखत बनाकर थाने ले जाकर दिया और मुकदमा कायम कराया। साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह भी कथन किया है कि दिनांक 20.9.2023 को पंकज द्वारा पहुॅचायी चोटों के कारण उसके भाई विनोद सिंह की दौरान इलाज लखनऊ में मृत्यु हो गयी।

अभियोजन साक्षी अमर सिंह पी0डब्लू0.1 से विद्वान अधिवक्ता बचाव पक्ष के द्वारा काफी विस्तार से जिरह की गयी है। साक्षी ने अपनी जिरह के **पेज–5 व 6** पर कथन किया है कि–'' मैं बी0ए0 फाइनल तक पढ़ा हूॅ। मैं अच्छी तरह से लिख पढ़ लेता हूॅ। मैने जो थाने में तहरीर दी थी वह मोरे सुनार से लिखाया था। जो तहरीर मैने थाने में दी थी, वह सभी लोगो से सलाह मशविरा करके दी थी, मुझे अनुभव नहीं था कि तहरीर में क्या लिखना है, इसलिये मैने तहरीर सलाह मशविरा करके लिखायी थी। मैने जब प्रार्थनापत्र दरोगाजी को दिया था तब मैने उनसे यह बात नहीं बतायी थी कि तहरीर मैने मोरेलाल सुनार से लिखाकर दिया है। मैने प्रार्थनापत्र में यह बात नहीं लिखायी कि तहरीर मैने किससे लिखायी है। जब मैं थाने पहुॅचा था तो उसका मेरा भाई सूरज पहले से थाने पहुॅच गया था। मेरे पिताजी थाने नहीं पहुॅचे थे। मेरे

पहुॅचने से पहले सूरज ने कोई प्रार्थनापत्र नहीं दिया था। मैं लगभग 8.33 बजे के आस–पास थाने पहुॅच गया था। जब थाने पहुॅचा तो मुझे गेट के बाहर ही मेरा भाई विनोद मिला था। थाने के बाहर ही दरोगाजी आये थे, फिर दीवानजी हम दोनों भाईयों को अंदर ले गये थे। दरोगाजी ने हमसे कहा कि पहले विनोद को बबेरू अस्पताल लेकर जाओ। फिर सूरज व मेरे पापा विनोद को लेकर बबेरू अस्पताल आये, फिर दरोगाजी ने मुझसे कहा कि प्रार्थनापत्र लिखकर दे दो। मैने प्रार्थनापत्र लिखकर थाने में दिया था। मैंने थाने में प्रार्थनापत्र लिखकर लगभग सवा ग्यारह बजे दिया था। जिस नम्बर से क्षमा ने मुझको फोन से सूचना दी थी वह नम्बर मुझे याद नहीं है। क्षमा ने मुझे साढे आठ बजे सूचना दी थी..........साक्षी ने अपनी जिरह के **पेज–7** पर कथन किया कि......मैने अपनी तहरीर में यह बात नहीं लिखायी थी कि मेरा भाई विनोद गंभीर अवस्था में घायल थाने के बाहर मिला था। पंकज मुझे न तो थाने के अंदर मिला था और न ही थाने के बाहर मुझे दिखायी दिया था।

पत्रावली पर उपलब्ध तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श क–1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी मुकदमा अमर सिंह पी0डब्लू0.1 ने अपनी तहरीर प्रदर्श क–1 में इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया है कि घटना की सूचना उसकी बहन क्षमा, अंजली अथवा उसकी भाभी श्रीमती कोमल के द्वारा फोन से उसे दी गयी। इसके अलावा तहरीर लेखक का नाम अंकित नहीं है जबकि वादी मुकदमा अमर सिंह पी0डब्लू0.1 ने अपनी जिरह में मोरे सोनार नामक व्यक्ति द्वारा तहरीर लिखे जाने की बात कही है। वादी मुकदमा अमर सिंह ने अपनी तहरीर में इस तथ्य का उल्लेख भी नहीं किया है कि घटित घटना को उसकी बहन क्षमा, अंजली एवं भाभी श्रीमती कोमल एवं निर्मोद सिंह द्वारा देखा गया जबकि पी0डब्लू0.1 ने स्वंय अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि वह स्नातक है तथा अच्छी तरह लिख पढ लेता है तथा सलाह मशविरे के उपरान्त उसने तहरीर लिखवायी थी। साक्ष्य से यह तथ्य भी स्पष्ट हुआ कि वादी अमर सिंह को उसका घायल भाई विनोद सिंह थाना गेट पर मिला तथा घायल विनोद ने वादी को बताया कि उस पर अभियुक्त पंकज गुप्ता ने चाकू से प्रहार किया है और वादी के अनुसार ही वह थाने पर 8.33 बजे प्रातः पहुॅच गया था। उपरोक्त सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों में घटना घटित होने के दो घ ंटा उन्नीस मिनट के बाद अर्थात दिनांक 16.9.2023 को 10.49 बजे थाने पर रिपोर्ट दर्ज करायी गयी और तहरीर में घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी श्रीमती कोमल, क्षमा, अंजली एवं निर्मोद सिंह का नाम किस परिस्थितिवश अंकित नहीं किया गया, इस तथ्य को अभियोजन की ओर से स्पष्ट नहीं किया गया, यही नहीं वादी मुकदमा अमर सिंह के द्वारा अपनी तहरीर में इस तथ्य का भी उल्लेख नहीं किया कि उसके घायल भाई विनोद सिंह उर्फ गब्बर को इलाज हेतु पुलिस ने भाई सूरज उर्फ छोटू के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बबेरू भेजा है। वादी की ओर से प्रस्तुत तहरीर में उपरोक्त का उल्लेख किन परिस्थितियों में नहीं किया गया, इस तथ्य को भी अभियोजन स्पष्ट कर लेने में असफल रहा है।

अभियोजन साक्षी श्रीमती कोमल पी0डब्लू0.2 घटित घटना की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है। साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि ''.... घटना दिनांक 16.9.2023 को समय करीब 8.30 बजे सुबह की है। मैं तथा मेरी ननद अंजली सिंह घर के अंदर बैठकर चाय पी रहे थे और मेरे जेठ विनोद सिंह उर्फ गब्बर घर के बाहर कुल्ला कर रहे थे, तभी अचानक विनोद सिंह के चिल्लाने की आवाज आयी, आवाज सुनकर मैं व मेरी ननद अंजली घर के बाहर गये तो देखा

कि पडोस का रहने वाला पंकज अपने हाथ में लिये चाकू से मेरे जेठ विनोद उर्फ गब्बर को पेट में जान से मारने की नियत से ताबडतोड 5–6 बार प्रहार किया, जिससे मेरे जेठ लहूलुहान हो गये। हमलोग बचाने के लिये दौड़े तो हमारी तरफ चाकू दिखाने लगा। मेरे जेठ अपनी जान बचाते हुए थाने की ओर भागे, पंकज गुप्ता भी मौके से भागा। घटना की सूचना हम लोगो ने घ ार वालों को फोन करके दी थी। घटना के कुछ समय बाद मेरे दूसरे जेठ अमर सिंह घर आ गये,उन्होने बताया कि घायल विनोद को पिताजी व देवर सूरज इलाज हेतु पुलिस के साथ बबेरू ले गये है..........।''

घटना की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी श्रीमती कोमल पी0डब्लू0.2 की ओर से मुख्य परीक्षा में प्रस्तुत किये गये कथन से स्पष्ट है कि घटना की दिनांक व समय पर वह तथा उसकी ननद घ ार के अंदर चाय पी रहे थे तथा उसका जेठ विनोद सिंह घर के बाहर दरवाजे पर कुल्ला कर रहा था। उसी दौरान विनोद के चिल्लाने की आवाज सुनकर साक्षी व उसकी ननद बाहर आये तो देखा कि अभियुक्त पंकज गुप्ता ने मकतूल विनोद के पेट पर पांच छ बार चाकू से किया जिससे विनोद अपनी जान बचाकर थाने की ओर से भागा तथा पंकज गुप्ता मौके से भाग गया।

अभियोजन साक्षी श्रीमती कोमल पी0डब्लू0.2 से विद्वान अधिवक्ता बचाव पक्ष के द्वारा विस्तार से जिरह की गयी है। साक्षी ने अपनी जिरह के **पेज–1** पर कथन किया कि........मेरे जेठ देवरों में विनोद सिंह उर्फ गब्बर सिंह और देवर राज सिंह व सूरज सिंह की शादी नहीं हुई है। मैं निर्मोद सिंह को जानती हूँ,वो मेरे पडोस के हैं,निर्मोद सिंह हमारी बिरादरी के हैं.....। साक्षी ने अपनी जिरह के **पेज–2** पर कथन किया है कि–.........मेरे मकान में 12–13 कमरे हैं, जिनमें कुछ कच्चे हैं और कुछ पक्के हैं। सभी कमरों में छत पडी हुई है। मेरे घर के अंदर तीन लैट्रिंग घर है जो घर के अंदर ही है। हमारे यहां लैट्रिंग व कुल्ला घर के अन्दर ही होता है। हमारे घर के आदमी लेट्रिग करने बाहर जाते थे। चागू बाबा मंदिर के उत्तर दिशा में लगा हुआ पंकज का मकान है। हमारे मकान के सामने थोडा बहुत पतला चबूतरा बना हुआ है। हैण्ड पम्प से पांच छः कदम की दूरी पर मेरे जेठ विनोद मकान के सामने कुल्ला कर रहे थे। मैने कुल्ला करते हुए अपने जेठ को देखा है। कुल्ला करते समय मुझको आवाज सुनायी दी। मैने पंकज को अपने घर से आते हुए नहीं देखा है,लेकिन जब घर के एक दम करीब आ गये थे तब देखा था।.......मेरे मकान से पंकज का मकान 15–20 कदम की दूरी पर है। मैं यह नहीं बता सकती मेरे घर से थाना कितनी दूर है लेकिन थोडी दूर है। जब मेरे जेठ के उपर वार किया गया वहां पर काफी खून गिरा था। जहां तक मेरी निगाह गयी थी वहां तक मैने खून गिरा देखा था। मैं विनाद के पीछे थाने नहीं गयी थी और न ही मेरे सामने मेरी ननद अंजली विनाद के पीछे पीछे थाने गयी थी.......मेरे घर से थाने जाने के लिये दो रास्ते हैं। मेरे जेठ चोट लगने के बाद मेरे मकान के पश्चिम वाले रास्ते से थाने की तरफ गये थे। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि मेरे जेठ चोट लगने के बाद थाने गये थे क्योंकि जेठ को चोट लगने के बाद एक आदमी ने कहा था कि थाने की तरफ जाओ जान बचाओ, ये कहने वाले व्यक्ति को मैं जानती पहचानती नहीं हूँ। मैने उस व्यक्ति की केवल आवाज सुनी थी..........।

अभियोजन साक्षी पी0 डबलू0.2 श्रीमती कोमल ने अपनी जिरह के **पेज–3** पर कथन किया कि.....मेरे जेठ मेरे मकान के दरवाजे में ही कुल्ला कर रहे थे। मेरे घर के बाहर तेज–तेज से आवाजे हो रही थी इसलिये मैं मेरी ननद अंजली घर के बाहर आ गये थे, मेरे घर के दरवाजे

के सामने ही मेरे जेठ को पंकज ने मारा था। मेरे जेठ मेरे घर के अन्दर से दिखायी दे रहे थे। पंकज ने मेरे जेठ से पहले झगडा किया था फिर उसके उपर वार किया था। मेरे जेठ अमर सिंह घटना वाले दिन सुबह लगभग सात बजे घर से टावर के लिये निकले थे जहां पर वो नौकरी करते थे। मेरे घर से टावर लगभग एक किलोमीटर से कम है......।

अभियोजन साक्षी श्रीमती कोमल पी0डब्लू0.3 की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से स्पष्ट है कि घ ाटना की तिथि 16.9.2023 की सुबह 8.30 बजे उसके जेठ मृतक विनोद सिंह दरवाजे पर ही कुल्ला कर रहे थे और वह तथा उसकी ननद अंजली घर के अन्दर चाय पी रहे थे। साक्षी ने जिरह में यह भी कथन किया है कि उसके मकान में 12–13 पक्के व कच्चे कमरे हैं तथा तीन लेट्रिन रूम है। परिवार के सदस्य घर अंदर ही कुल्ला करते हैं। चागू बाबा मंदिर के उत्तर पंकज का मकान है जो उसके मकान से 15–20 कदम की दूरी पर स्थित है तथा हैण्ड पम्प से पांच छः कदम की दूरी पर उसके जेठ मकान के सामने कुल्ला कर रहे थे। साक्षी का यह भी कथन है कि घर के अन्दर से उसके जेठ कुल्ला करते हुए दिखायी दे रहे थे। मौके पर खून गिरा था जहां तक उसकी नजर जा सकती थी वहां तक उसने खून पडा देखा था। पंकज ने पहले उसके जेठ से झगडा किया फिर वार किया। घर के बाहर तेज–तेज आवाजे हो रही थी। आवाज सुनकर साक्षी व उसकी ननद बाहर आयी और उसने पंकज को वार करते हुए देखा। अतः स्पष्ट हुआ कि कथित घटित घटना वादी मुकदमा अमर सिंह पी0डबलू0.1 के दरवाजे पर घ ाटित हुई।

पत्रावली पर उपलब्ध नक्शा नजरी प्रदर्श क–12 मामले के प्रारम्भिक विवेचक अरविन्द कुमार पी0डब्लू08 के द्वारा वादी मुकदमा अमर सिंह पी0डबलू0.1 के निशादेही पर दिनांक 16.9. 2023 को तैयार किया है तथा घटना की दिनांक को ही घटनास्थल से सादी मिट्टी व खूनालूद मिट्टी का नमूना लेकर अलग–अलग डिब्बे में रखकर समक्ष गवाहान सर्वमुहर कर फर्द तैयार की गयी है।

विद्वान अधिवक्ता बचाव पक्ष द्वारा अभियोजन साक्षी वादी मुकदमा अमर सिंह पी0डब्लू0.1 से घटनास्थल के बाबत पृच्छा किये जाने पर वादी ने अपनी जिरह के **पेज–9** व **10** पर कथन किया कि–''.....मेरे मकान का मुख्य दरवाजा पूरब की तरफ खुलता है। मेरे दरवाजे से ही लगी हुई पक्की सडक है। मेरे दरवाजे से लगी हुई पक्की चबूतरिया बनी है। मैं दिशाएं जानता हूँ। मेरे मकान से पंकज का मकान 10–12 मीटर की दूरी पर है। मैं अपने मकान से पंकज के मकान की दिशा नहीं बता सकता। मेरे मकान से लगा हुआ भरत तिवारी का मकान है। किस दिशा में है नहीं बता सकता। मेरे मकान के सामने शिवराज तिवारी का मकान है और भरत तिवारी के मकान से लगा हुआ रामजी तिवारी का मकान है और रामजी तिवारी के मकान के सामने रोड के उस पार चांगू बाबा का स्थान है और चागू बाबा के स्थान से लगा हुआ पंकज का मकान है... ......। साक्षी ने आगे जिरह के **पेज–11** पर कथन किया कि–भरत तिवारी के मकान के सामने हैण्ड पम्प लगा है जो चालू हालत में है। मेरे मकान में दस कमरे है। मेरे घर के अंदर तीन लैट्रिन बाथरूम बने हैं। घर के बाहर कोई लैट्रिन बाथरूम नहीं बना है। हमारे घर के सारे सदस्य उन्हीं लैट्रिन बाथरूम का प्रयोग करते हैं........।

पत्रावली पर उपलबध मानचित्र घटनास्थल प्रदर्श क–12 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवेचक अरविन्द कुमार पी0डब्लू0.8 के द्वारा घटना की दिनांक 16.9.2023 को मौकाए वारदात

पर जाकर वादी मुकदमा की निशादेही पर नक्शा नजरी तैयार किया गया है। नक्शा नजरी में उत्तर दक्षिण पक्की रोड दर्शित की है। रोड के पश्चिम तरफ मकान वादी बादहू मकान भरत तिवारी व बादहू मकान रामजी तिवारी दर्शित है तथा वादी, भरत तिवारी एवं रामजी तिवारी के मकान के मध्य खाली जगह दर्शित है लेकिन इस खाली जगह को गली अथवा खड़ण्जा के रूप में नहीं दर्शाया गया है। रोड के पूरब तरफ मकान शिव शरण तिवारी बादहू पक्की सडक दर्शित है। उत्तर–दक्षिण रोड पर अर्थात वादी के मकान के दक्षिणी कोने से पूरब तरफ रोड पर संकेत **एक्स** से घटनास्थल दर्शित है। भरत तिवारी के मकान के पूरब रोड पर ही सरकारी हैण्ड पम्प व उसके पास सोलर पैनल खम्भा व बिजली का खम्भा दर्शित है। इसी प्रकार पश्चिम से पूरब जाने वाली रोड के दक्षिण कुछ खाली जगह छोडकर देवस्थान चांगू बाबा बादहू मकान अभियुक्त पंकज गुप्ता दर्शित है। चागू बाबास्थान व पंकज गुप्ता के मकान के मध्य खाली जगह दर्शित है जिसको गली अथवा खडण्जे के रूप में विवेचक ने दर्शित नहीं किया है। नक्शा नजरी के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि वादी मुकदमा के मकान का दरवाजा पूरब तरफ खुलता है लेकिन दरवाजे पर विवेचक ने मारपीट का स्थान दर्शित नहीं किया है। विवेचक ने नक्शा नजरी में वादी मुकदमा के दरवाजे व घटनास्थल के मध्य की दूरी भी अंकित नहीं किया है और न ही विवेचक ने घटनास्थल से पंकज गुप्ता के मकान की दूरी ही नक्शा नजरी में दर्शाया है। नक्शा नजरी में अभियुक्त के घटनास्थल पर पहुॅचने व घटना कारित करने के पश्चात मौकाए वारदात से भागने की दिशा नही दर्शित की है। अभियोजन साक्षी श्रीमती कोमल ने अपने साक्ष्य में मकतूल विनोद सिंह को पश्चिम तरफ भागने की बात कही है,लेकिन विवेचक ने अपने नक्शा नजरी में वादी मुकदमा के मकान के पश्चिम तरफ कोई रास्ता या रोड दर्शित नहीं किया है। वादी मुकदमा अमर सिंह पी0डब्लू0.1 ने अपनी जिरह के **पेज–12** पर कथन किया है कि–.......मेरे घर से थाना लगभग 200 मीटर की दूरी पर है। जब मैं थाने से वापस अपने घर आया था तो मैने देखा था कि सडक पर खून पडा हुआ था। मेरे घर के सामने खून नहीं था। मैने दरोगाजी को वह जगह नहीं दिखायी जहां खून पड़ा था,उन्होने खुद वह जगह देख ली थी। मेरे भाई का खून सडक पर लगभग तीन मीटर दूरी तक पड़ा था।

साक्ष्य से यह तथ्य सिद्ध हुआ कि घायल विनोद सिंह उर्फ गब्बर घायलावस्था में खून से लतफत हालत में थाना मरका के गेट पर पहुॅचा जहां पर वादी मुकदमा अमर सिंह के अनुसार ही उसकी भेट मजरूब से हुई। निश्चित रूप से जब मजरूब विनोद घटनास्थल से लतफत हालत में थाना मरका गया तो घटनास्थल से लेकर थाना गेट तक खून की बूंदे गिरी। ऐसी दशा में विवेचक द्वारा मौकाए वारदात से एकत्र किये गये फर्द खूनालूद व सादी मिट्टी का अवलोकन किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। पत्रावली पर उपलब्ध फर्द खूनालूद व सादी मिट्टी के अवलोकन से स्पष्ट है कि घटना की दिनांक 16.9.2023 को ही विवेचक अरविन्द कुमार पी0डब्लू0.8 के द्वारा वादी मुकदमा अमर सिंह की निशादेही पर साक्षीगण निर्मोद सिंह एवं रामजी तिवारी के समक्ष मौके से खूनालूद व सादी मिट्टी पुलिस कब्जा में लेकर अलग–अलग पारदर्शी प्लास्टिक के डिब्बे में भरकर सर्व मुहर कर नमूना मुहर तैयार किये जाने का उल्लेख है जिसपर स्वयं विवेचक अरविन्द कुमार व गवाहान निर्मोद सिंह व रामजी तिवारी के हस्ताक्षर मौजूद है। फर्द प्रदर्श **क–14** की इबारत बारह लाइन में लिखी गयी है जिसके नीचे विवेचक अरविन्द कुमार के हस्ताक्षर हैं तथा इस फर्द के लगभग आधे सादे भाग को छोडकर पेज के

अन्त में लगभग तीन अंगुल जगह छोडकर फर्द के गवाहान निर्मोद सिंह व रामजी तिवारी के हस्ताक्षर बने हैं। अभियोजन साक्षी अरविन्द कुमार पी0डब्लू0.8 ने अपनी जिरह के **पेज–3** पर कथन किया है कि–''...यह सही है कि फर्द खूनालूद सादी मिट्टी में लिखे भाग व मेरे हस्ताक्षर के पश्चात काफी हिस्सा खाली है उसके बाद नीचे के हिस्से में निर्मोद सिंह व रामजी तिवारी के हस्ताक्षर हैं। यह कहना गलत है कि तथाकथित समय व स्थान पर तथाकथित कोई खूनालूद व सादी मिट्टी न तो मैने कब्जे में ली हो और न कोई फर्द लिखी हो.......।''

अभियोजन साक्षी निर्मोद सिंह पी0डब्लू0.3 को अभियोजन की ओर से घटना के प्रत्य क्षदर्शी साक्षी के रूप में पेश किया गया है। निर्मोद सिंह पी0डब्लू0.3 ने अपनी जिरह के पेज–1 पर कथन किया कि–........मुझे थाने के गेट में या घटनास्थल पर कोई पुलिस वाला नहीं मिला। मैं अकेले नहीं बैठा था वहां पर काफी लोग मेरे साथ बैठे थे। मुझसे पुलिस वालों ने लगभग दो या तीन कागजों पर दस्तखत कराये थे........। साक्षी ने आगे अपनी जिरह के **पेज–3** पर कथन किया कि ''........मृतक विनोद घटनास्थल से भागते हुए थाने की ओर सी0सी0 रास्ते पर नहीं गया था बल्कि कच्चे रास्ते से गया था इस कच्चे रास्ते में भी विनोद की चोटों से खून गिरता हुआ थाने तक गया था। विवेचक को घटनास्थल में सी0सी0 रास्ते पर गिरा खून व थाने वाले रास्ते पर गिरा खून दिखाया था। आर0सी0सी0 रास्ते से दरोगाजी ने कोई खून नहीं लिया था। रास्ते में जो खून गिरता हुआ गया था, उसको लिया था या नहीं मुझे नहीं मालूम है। थाने के गेट में जहां विनोद मृतक घायल अवस्था में गया था वहां खून था या नहीं मुझे ध्यान नहीं है। थाने के अंदर मैं नहीं गया इसलिये मैं नहीं बता सकता कि थाने के अन्दर खून गिरा था या नहीं।

अभियोजन साक्षी वादी मुकदमा अमर सिंह पी0डबलू0.1, निर्मोद सिंह पी0डबलू0.3 की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर विवेचक अरविन्द कुमार पी0 डबलू0.8 द्वारा घटनास्थल से खूनालूद सादी मिट्टी के बाबत साक्षीगण की उपस्थिति में फर्द प्रदर्श क–14 तैयार किया जाना संदिग्ध प्रतीत होता है। साक्षी निर्मोद सिंह पी0डब्लू0.3 के कथनानुसार यदि घायल विनोद का खून कच्चे रास्ते से थाने तक गिरता गया था तो ऐसी दशा में विवेचक को कच्ची मिट्टी पर गिरे खून को कब्जा पुलिस में लेकर विधिक अपेक्षा के अनुरूप सर्वमुहर कर उसकी फर्द तैयार की जानी चाहिये थी, लेकिन विवेचक अरविन्द कुमार सिंह पी0डब्लू0.8 के द्वारा ऐसा कुछ भी किया जाना नहीं पाया जाता है जिससे यह कहा जा सकता है कि विवेचक ने थाने पर बैठकर सादे कागज पर गवाहान निर्मोद सिंह व रामजी तिवारी के हस्ताक्षर कराकर अपनी इच्छानुसार मनमाने तरीके से फर्द खूनालूद व मिट्टी तैयार कर ली गयी है।

अभियोजन की ओर से प्रस्तुत घटित घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी निर्मोद सिंह पी0 डबलू0.3 ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि–''घटना दिनांक 16.9.2023 को समय करीब आठ–साढे आठ बजे सुबह की है, मैं चागू बाबा देवस्थान के पास मौजूद था। मृतक विनोद अपने घर के बाहर कुल्ला कर रहा था, तभी वहां विनोद के पास पंकज गुप्ता आया और चाकू से पांच छः वार प्रहार कर हमला कर दिया। इस हमलें से विनोद घायल हो गया और थाने की ओर भागा, पंकज गुप्ता भाग गया था, घटना के बाद दिखायी नहीं दिया। विनोद घायल अवस्था में थाने पहॅुच गया था, वहीं पर उनके घर के सूरज, कोमल अंजली थाने पहॅुच गये थे। घायल

विनोद को फिर कहां ले गये थे, यह मुझे जानकारी नहीं है। इस घटना को मैने अपनी आंखों से देखा है। दरोगाजी ने मेरा बयान लिया था।''

घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी निर्मोद सिंह पी0डब्लू0.3 से विद्वान अधिवक्ता बचाव पक्ष के द्वारा काफी विस्तार से जिरह की गयी है। साक्षी ने अपनी जिरह के **पेज–1** पर कथन किया कि–........वादी मुकदमा अमर सिंह व मेरे पूर्वज एक ही है। मेरी वादी मुकदमा से मुहल्लेदारी का व्यौहार है, इसलिये मैं इतना करने आया हूँ। मेरी अमर सिंह से कोई दोस्ती दुश्मनी नहीं है। मेरा अमर सिंह से मुहल्लेदारी का व्यौहार है व निमंत्रण व किसी कार्यक्रम में आना जाना व सुखदुख में एक दूसरे का साथ देने का व्यवहार है। वादी मुकदमा के घर में जो घटना हुई है उसके ऊपर बहुत बड़ा दुख है। मैं इसी दुख के वजह से मुहल्लेदारी के नाते साथ दे रहा हूँ, अस खुद कहा कि जो देखा है वह बता रहा हूँ।..........घटना के दिन मैं थाने के गेट तक गया था, थाने के अंदर नहीं गया था। थाने गेट पर 15–20 मिनट तक रूका रहा था, फिर उसके बाद मैं अपने घर लौट आया। उसके बाद मैं पूरा दिन चांगू बाबास्थान पर बैठा रहा दिन डूबने के बाद मैं अपने घर चला गया था.....मैने पंकज गुप्ता को विनोद के पीछे भागते हुए नहीं देखा बल्कि विनोद को भागते हुए देखा था। घटना के बाद मैंने पंकज गुप्ता को मैने 8.30 बजे शाम को देखा था, फिर इसके बाद मैने पंकज गुप्ता को कभी नहीं देखा। विनोद को कहीं भी मैं अस्पताल देखने नहीं गया.......।

अभियोजन साक्षी निर्मोद सिंह पी0डब्लू0.3 ने अपनी जिरह के **पेज–3** पर कथन किया कि–......... मृतक विनोद अपने दरवाजे के सामने कुल्ला नहीं कर रहा था बल्कि नल के पास कुल्ला कर रहा था। वादी के दरवाजे के सामने से हैण्ड पम्प लगभग 7–8 फीट दूर यदि वादी के दरवाजे की तरफ सी0सी0 रोड में मुंह करके खडा हो तो बायी तरफ पड़ेगा। यह सरकारी हैण्ड पाइप है। हैण्ड पाइप का प्लेटफार्म पक्का सीमेण्टेड बना है। नल के बगल में दो विजली के खम्भे लगे हैं। हैण्डपाइप के तीन चार फीट की दूरी पर एक विजली का खम्भा लगा हैं, दूसरा खम्भा डेढ दो फीट की दूरी में है। हैण्ड पम्प के फाउण्डेशन के पास विनोद कुल्ला कर रहा था। मृतक विनोद ब्रश व टूथपेस्ट लिये था जीभी लिये था या नहीं मैने ध्यान नहीं दिया। मृतक विनोद खडे–खडे कुल्ला कर रहा था। उसी स्थान पर हैण्डपाइप के पास घटना घटित हुई। घटना के समय मृतक की चोटों से सी0सी0 रास्ते व कच्चे में खून गिरा था। मैं कामनसेंस व अंदाज से भी नहीं बता सकता कि घटना कितने सेकेण्ड व कितने मिनट व कितने घण्टे घटित हुई थी.............।

अभियोजन साक्षी निर्मोद सिंह पी0डब्लू0.3 ने अपनी जिरह के **पेज–4** पर कथन किया कि........मैने अपने मुख्य बयान में मृतक विनोद का अपने घर के बाहर कुल्ला करने वाली बात सही बतायी है और विनोद जहां कुल्ला कर रहा था उसी स्थान पर घटना घटित होना भी सही बताया है। हैण्ड पम्प के पास घटना घटित होना मैंने अपने मुख्य बयान व दरोगाजी को दिये गये बयानों नहीं बताया है। आज प्रतिपरीक्षा में हैण्ड पाइप के पास घटना घटित होना न्यायालय में पहली बार बताया है।

प्रश्न–मुख्य परीक्षा में घटना वादी के घर के बाहर होना बताया है व प्रतिपरीक्षा में हैण्ड पम्प के पास घटना घटित होना बताया है, इन दोनों में से कौन सा कथन सही है?

उत्तर– दोनों कथन सही है।

यह कहना गलत है कि मैने कोई घटना नहीं देखी इसलिये मैं घटनास्थल निश्चित रूप से नहीं बता पा रहा हूँ.........।

........किस स्थिति में वार किये गये थे मैं नहीं बता सकता हूँ लेकिन पांच–छः बार सामने से वार किये गये थे। मैं चागू बाबास्थान के पास से बचाने के लिये जैसे चला वैसे ही मैं गिर गया था, जब तक मैं उठा तो विनोद थाने की ओर चला गया मैं भी पीछे–पीछे थाने की तरफ गया था। जब मैं मौके में था तो वहां अकेले मैं ही बचाने के लिये गया था। मैने नहीं देखा कि रास्ते में कोई निकल रहा था या नहीं क्योंकि मैं गिर गया था, इसलिये मैने किसी को नहीं देखा था। वादी के मकान से चागू बाबा का स्थान चार पांच लाठी दूर है। एक लाठी पांच छः फिट के बराबर होती है। दरोगजी को मौके में जहां मैं मौजूद था और गिर गया था वो स्थान दिखा दिया था। दरोगाजी ने नक्शा नजरी में यदि मेरे मौजूद होने अथवा गिरने का स्थान व भागकर थाने जाने वाला रास्ता न दिखाया हो तो मैं इसकी वजह नहीं बता सकता हूँ...............।

अभियोजन की ओर से प्रस्तुत घटना के प्रत्यदर्शी साक्षी निर्मोद सिंह पी0डब्लू0.3 की ओर से मुख्य परीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा में किये गये कथनों से स्पष्ट है कि साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में मकतूल विनोद सिंह को घटना की दिनांक 16.9.2023 को सुबह आठ–साढे आठ बजे के लगभग दरवाजे के बाहर कुल्ला करने की बात कहा है जबकि अपनी प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कथन किया कि विनोद सिंह मृतक अपने घर के दरवाजे के सामने कुल्ला नही कर रहा था बल्कि नल के पास कुल्ला कर रहा था जो वादी के दरवाजे के पास सात आठ फीट की दूरी पर स्थित है। साक्षी का यह भी कथन है कि उसके सामने मृतक विनोद का अभियुक्त पंकज से कोई झगड़ा नहीं हुआ तथा मृतक अपने हाथ टूथब्रश व पेस्ट लिये हुए था। साक्षी पी0डब्लू0.3 निर्मोद सिंह ने अपने बयान को बदलते हुए कथन किया कि उसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथित घटना घटित होना विनोद सिंह मृतक के दरवाजे के सामने बताया है तथा नल के पास घटना घ ाटित होना न्यायालय में पहली बार बताया है उपरोक्त दोनों बातें सही है तथा उसने विवेचक को दिये बयान में हैण्ड पम्प के पास घटना घटित होने वाली बात नहीं बताया। साक्षी ने जिरह में यह भी कथन किया कि वह घटना घटित होने के समय चागू बाबा देवस्थान पर मौजूद था तथा जैसे ही वह विनोद मृतक को बचाने के लिये चला, कि गिर गया। मौके पर उसके अलावा कोई मौजूद नहीं था और मृतक विनोद को बचाने के लिये कोई नहीं आया था। यहां पर इस तथ्य का उल्लेख किया जाना न्याय संगत प्रतीत होता है कि अभियोजन साक्षी श्रीमती कोमल पी0डब्लू0.2 मृतक विनोद सिंह के छोटे भाई की पत्नी है जिसके कथनानुसार घटना के समय विनोद सिंह दरवाजे पर कुल्ला कर रहे थे तथा वह और उसकी ननद अंजली घर के अंदर चाय पी रहे थे जैसे ही विनोद सिंह चिल्लाने की आवाज आयी तो वह तथा उसकी ननद मौके पर पहुँचे तो देखा कि पंकज गुप्ता उसके जेठ पर चाकू से वार कर रहा था, उसने बचाने का प्रयास किया तो पंकज ने चाकू से उसे धमकाया। साक्षी श्रीमती कोमल ने अपनी जिरह में यह भी कथन किया है कि घर के बाहर तेज–तेज आवाजें हो रही थी इसलिये वह तथा उसकी ननद घर के बाहर गये थे और उसके घर के दरवाजे के सामने ही पंकज ने उसके जेठ विनोद सिंह को मारा। घटना की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी श्रीमती कोमल के जिरह में किये उपरोक्त कथन से ही यही स्पष्ट हो रहा है कि घटना के समय घर के बाहर तेज–तेज आवाजें सुनने के उपरान्त वह तथा उसकी ननद घर के बाहर आयी और घटना देखी जबकि अभियोजन साक्षी निर्मोद सिंह

पी0डब्लू0.3 के अनुसार उसके अलावा घटनास्थल में कोई मौजूद नहीं था और न ही मृतक विनोद सिंह को कोई बचाने आया था। पी0डब्लू0.2 श्रीमती कोमल के अनुसार वह तथा उसकी ननद अंजली विनोद के पीछे–पीछे थाने नहीं गयी जबकि साक्षी निर्मोद सिंह के अनुसार थाने पर कोमल व उसकी ननद अंजली, भाई छोटू व पिता भी थाने पर मौजूद थे। अभियोजन साक्षी निर्मोद सिंह पी0डब्लू0.3 के जिरह साक्ष्य में घटनास्थल की स्थिति, घटना देखे जाने सम्बन्धी विभिन्न विन्दुओं असंगतियां उत्पन्न हुई है जिसका विस्तृत उल्लेख पूर्व में किया गया है। यहीं नहीं अभियोजन साक्षी निर्मोद सिंह पी0डब्लू0.3 के अनुसार घटना घटित होने के पूर्व मृतक विनोद सिंह अपने हाथ में टूथपेस्ट व ब्रश लिये था। विवेचक अरविन्द कुमार पी0डब्लू–8 ने दिनांक 16.9.2023 को ही वादी मुकदमा अमर सिंह की निशादेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर मौके से साक्षीगण निर्मोद सिंह व रामजी तिवारी की उपस्थिति में खूनालूद व सादी मिट्टी का नमूना लेकर सर्वमुहर किया। विवेचक अरविन्द कुमार द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण के दौरान मौके पर टूथपेस्ट, ब्रश अथवा कोई अन्य वस्तु पाये जाने का उल्लेख फर्द में नहीं किया गया है और न ही टूथपेस्ट ब्रश को कब्जा पुलिस में लेकर सर्वमुहर कर फर्द तैयार किया जाना पाया जाता है। इसके अलावा अभियोजन साक्षी श्रीमती कोमल पी0डब्लू0.2 ने भी अपने बयान में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि उसके जेठ विनोद सिंह दरवाजे पर कुल्ला कर रहे थे। श्रीमती कोमल ने अपने बयान में विनोद सिंह मृतक को दरवाजे पर मंजन करने की बात नहीं कहा है। अतः स्पष्ट हुआ कि साक्षी निर्मोद सिंह पी0डब्लू0.3 ने अपनी मुख्य परीक्षा के विपरीत प्रतिपरीक्षा में कथन किया है जिससे उसके मुख्य परीक्षा में किये गये कथनों की महत्ता समाप्त हो जाती है। अभियोजन साक्षी श्रीमती कोमल पी0डब्लू0.2 एवं अभियोजन साक्षी निर्मोद सिंह पी0डब्लू0.3 की ओर घटित घटना के सम्बन्ध मे ंप्रस्तुत साक्ष्य एक दूसरे के सम्पूरक नहीं है। अतः घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी श्रीमती कोमल पी0डब्लू0.2 एवं निर्मोद सिंह पी0डब्लू0.3 की प्रस्तुत सम्पूर्ण साक्ष्य संवीक्षा के आधार पर निष्कर्षित है कि अभियोजन पक्ष जिस प्रकार कथित घटना घटित होना कहकर आया है उस प्रकार से घटना का घटित होने की परिकल्पना नहीं की जा सकती है।

अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य सामग्री से यह तथ्य भी सुस्पष्ट हुआ है कि साक्षी श्रीमती कोमल पी0डब्लू0.2 वादी मुकदमा अमर सिंह पी0डब्लू0.1 के सगे भाई मोहित सिंह की पत्नी एवं अभियोजन साक्षी निर्मोद सिंह पी0डब्लू0.3 वादी का खानदानी तथा आपस में सगे सम्बन्धी व हितबद्ध हैं। वादी मुकदमा अमर सिंह पी0डब्लू0.1 ने अपनी जिरह में कथित रूप से घटित घटना का मुख्य कारण यह बताया है कि घटना से एक दिन पूर्व उसके भाई विनोद सिंह एवं पंकज के मध्य आपसी विवाद हुआ था जिसमें पंकज ने विनोद को जान से मारने की धमकी दी थी। इसके अलावा अभियोजन की ओर से वादी पक्ष की अभियुक्त पंकज से किसी अन्य रंजिश का साक्ष्य पेश नहीं किया गया है।

उल्लेखनीय है कि सगे सम्बन्धी एवं शत्रु साक्षी के साक्ष्य को स्वीकार किये जाने में कोई विधिक वर्जना नहीं है। घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी निर्मोद सिंह पी0डब्लू0.3 ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि वादी मुकदमा व उसके पूर्वज एक ही है तथा सुखदुख में एक दूसरे का साथ देने का व्यवहार है। वादी के घर जो घटना घटित हुई उससे वह आहत है इसी वजह से मोहल्लेदारी के नाते वह साथ दे रहा है तथा जो देखा है वह बता रहा है। माननीय सर्वोच्च

न्यायालय द्वारा भगवान जगन्नाथ मारकड बनाम महाराष्ट्र राज्य **(2016)10 एस सी सी 537** के सम्मानित निर्णयज में सम्बन्धी एवं हितबद्ध साक्षी के साक्ष्य के महत्व पर प्रकाश डालते हुए अवधारित किया गया कि– The testimony of a witness in a criminal trial cannot be discarded merely because the witness is a relative or family member of the victim of the offence. In such a case, court has to adopt a careful approach in analyzing the evidence of such witness and if the testimony of the related witness is otherwise found credible accused can be convicted on the basis of testimony of such related witness.

इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिलावर सिंह बनाम हरियाणा राज्य **(2015) 1 एस सी सी 737** के सम्मानित निर्णयज में शत्रु साक्षी के साक्ष्य के महत्व पर प्रकाश डालते हुए अवधारित किया कि– Enmity of the witnesses with the accused is not a ground to reject their testimony and if on proper scrutiny, the testimony of such witnesses is found reliable, the accused can be convicted. However, the possibility of falsely involving some persons in the crime or exaggerating the role of some accused by such witnesses should be kept in mind and ascertained on the facts of each case.

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रामाशीष राय बनाम जगदीश सिंह **(2005). 10 एस सी सी 498** के सम्मानित निर्णयज में शत्रु साक्षी के परिसाक्ष्य के महत्व पर प्रकाश डालते हुए अवधारित किया गया है कि–''विधि की अपेक्षा यह है कि शत्रुतापूर्ण साक्षियों के परिसाक्ष्य पर सावधानी से विचार किया जाना चाहिये। यदि अन्यथा साक्षीगण सत्य और विश्वसनीय है, तो उनके साक्ष्य को उन्हे शत्रुतापूर्ण साक्षी मानकर प्रारम्भ में ही अमान्य नहीं किया जा सकता है। अब तक विधि का सुस्थापित सिद्धान्त यह है कि शत्रुता दुधारी तलवार है। यह मिथ्या फंसाने के लिये आधार हो सकता है। यह हमले के लिये भी आधार हो सकता है। इसलिये सम्यक सावधानी व तत्परता से शत्रुतापूर्ण साक्षियों के परिसाक्ष्य की परीक्षा करने का कर्तव्य न्यायालय पर अधिरोपित किया गया है।''

मान्नीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा [2001(2) JIC 448 (SC)] **Supreme Court State of Rajasthan vs Shri Chiranjilal** के सम्मानित निर्णयज में अवधारित किया गया है कि– Witnesses– Brother and uncle witnessed the incident, Reliance of, Corroboration of interested witnesses, about 14 people were present but no one was examined, Incident was witnessing, by some elderly women but not produced in witness box Accused was arrested on 1st August but clothes stained with bood seized on 3rd August,

recovery of knif not relied by High Court, Appriciation of evidence was not shown to be perverse.

मान्नीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **2005 Criminal 497 Supreme Court of India State of U.P. vs Sunder Singh and Ors.** के सम्मानित निर्णयज में अवधारित किया गया है कि– Appreciation of evidence– Serious discrepancies in statement of witnesses, witnesses unreliable, effect of held, Appreciation of evidence by High Court is neither perverse nor are findings recorded, not against the evidence on record, no interference justified.

अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत घटित घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी श्रीमती कोमल पी0डब्लू0.2 एवं निर्मोद सिंह पी0डब्लू0.3 की ओर से प्रस्तुत सशपथ साक्ष्य, संवीक्षा के दौरान विश्वसनीय एव ंविश्वास योग्य होना नहीं पाया गया है। अतः माननीय सर्वोच्च यायालय द्वारा उपरोक्त सम्मानित निर्णयज में उद्धृत सिद्धान्त के प्रकाश एवं प्रत्यक्षदर्शी साक्षी श्रीमती कोमल पी0डबलू0.2 एवं निर्मोद सिंह पी0डब्लू0.3 की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त पंकज गुप्ता को अपराध कारित करने में संलिप्त होना नहीं कहा जा सकता है।

अभियोजन साक्षी अमर सिंह पी0डब्लू0.1 के साक्ष्य से यह तथ्य सुस्पष्ट हुआ है कि घ टना की दिनांक 16.9.2023 को समय 8.30 बजे प्रातः घटना की सूचना उसे उसकी बहन क्षमा से दूरभाष से प्राप्त हुई जिसके फलस्वरूप वह घटना की सूचना पाकर थाना मरका पहुॅचा तो थाना गेट पर ही उसे विनोद सिंह उर्फ गब्बर व छोटा भाई छोटू सिंह मिले। घायलावस्था में ही वादी को विनोद सिंह ने बताया कि पंकज गुप्ता ने उस पर चाकू से जानलेवा हमला किया है।

अभियोजन साक्षी वादी अमर सिंह पी0डबलू0.1 ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह भी कथन किया कि वह धन की व्यवस्था करके दिनांक 18.9.2023 को लखनऊ गया जहां पर उसके भाई घायल विनोद सिंह का इलाज चल रहा था। उसके पहुॅचने के दूसरे दिन अस्पाल लखनऊ मे ंउसके भाई विनोद सिंह ने अस्पताल के कागज पर घटना के सम्बन्ध में पूरी बात बोलकर अस्पताल के एक कर्मी से लिखाया जिस पर उसने व उसके पिता इन्द्रराज सिंह ने अपने–अपने हस्ताक्षर किये तथा अपने–अपने निशान अंगूठा लगाये। कागज लिखाते समय डाक्टर साहब भी मौजूद थे। वादी अमर सिंह ने कथित मृत्यु पूर्व बयान पर अपने हस्ताक्षर व निशान अंगूठे को तस्दीक करते हुए प्रदर्श क–2 के रूप में सिद्ध किया है। वादी के उक्त साक्ष्य के आधार पर कहा जा सकता है कि मृतक विनोद ने अपनी मृत्यु से पूर्व थाना मरका के गेट पर अभियुक्त पंकज गुप्ता द्वारा चाकू से प्रहार करके चोट पहुॅचाये जाने के सम्बन्ध में व लखनऊ में इलाज के दौरान दिनांक 19.9.2023 को अस्पताल में ही अस्पताल के कागज पर अपना मृत्यु पूर्व बयान वादी व उसके पिता की उपस्थिति में अस्पताल कर्मी को बोलकर लिखवाया, जिस पर वादी, उसके पिता व मृतक विनोद सिंह के हस्ताक्षर मौजूद है। इसके अलावा वादी मुकदमा, उसके पिता व मृतक विनोद सिंह के निशान अंगूठा को सत्यापित करने वाले के अपठनीय लघु हस्ताक्षर मौजूद है।

यहां पर इस तथ्य का उल्लेख करना न्यायसंगत प्रतीत होता है कि **भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1972 की धारा–32 के** अन्तर्गत प्रावधान किया गया है कि ऐसे सुसंगत तथ्य लिखित अथवा मौखिक जो ऐसे व्यक्ति के द्वारा किये गये थे, जो मर गया है या मिल नहीं सकता या साक्ष्य देने के लिये असमर्थ हो गया है या जिसकी हाजिरी इतने विलम्ब या व्यय के बिना उपाप्त नहीं की जा सकती है, जितना मामले की परिस्थितियों में न्यायालय को अयुक्तियुक्त प्रतीत होता है,निम्नलिखित दशा में स्वयंमेव सुसंगत है–

(1) जबकि वह मृत्यु के कारण से सम्बन्धित है– जबकि वह कथन किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु के कारण के बारे में किया गया है जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई, तब उन मामलों में, जिनमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्नगत हो।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा **[2024(4) JIC 994 (All)] Allahabad High Court Musafir Yadav vs State of U.P.** के सम्मानित निर्णयज में अवधारित किया गया है कि– Dying declaration– Reliability of held– When a person who was giving a statment was not in expectation of death, then his dying declaration ought not to be believed. At the time of recording of dying declaration the injured was to put for surgery to remove some substance from his body. At that time injured was not under an immediate apprehension of death. Such dying declaration not inspires confidence.

वादी मुकदमा अमर सिंह पी0डब्लू0.1 अपने जिरह दिनांक 27.2.2026 के **पेज–14** पर कथन किया है कि–........... दिनांक–18.9.2023 को मैं लखनऊ पहुॅचा था। मरीज को लखनऊ अस्पताल में कब भर्ती कराया गया मुझे जानकारी नहीं है। मैं अस्पताल पहुॅचने के बाद अस्पताल में कुछ लिखकर नहीं दिया था। प्रदर्श क–2 में अस्पताल के किसी कर्मचारी के कथित लेख के उपर तारीख दूसरी स्याही व दूसरे पेन से पड़ी है।

यह कहना गलत है कि प्रदर्श क–2 में लेख व तारीख की स्याही भिन्न है लेकिन जानबूझकर छिपा रहा हूॅ। यह कहना सही है कि प्रदर्श क–2 में इस लेख के लिखे जाने का समय व किसी डाक्टर का अभिप्रमाणन नहीं है। प्रदर्श क–2 में जो हस्ताक्षर अंग्रेजी में बने हैं व अंग्रेजी में लिखा है वह किस व्यक्ति ने लिखा है मैं उसका नाम नहीं बता सकता। प्रदर्श क–2 में मैने अपने लेख से कुछ नहीं लिखा। प्रदर्श क–2 में यदि मेरे लेख व हस्ताक्षर में कुछ लिखा हो तो कैसे व कब किसने लिखा मैं नहीं बता सकता। प्रदर्श क–2 को मैं अस्पताल से नहीं लाया, सिर्फ मृत्यु प्रमाण पत्र लखनऊ अस्पताल का लाया था। मुझे याद नहीं है कि विवेचक ने अगर मृत्यु प्रमाण पत्र के अलावा अन्य कागज लखनऊ अस्पताल के मेरे द्वारा दाखिल किया जाना लिखा है तो कैसे लिखा है,मैं नहीं बता सकता। प्रदर्श क–2 किसके कब्जे में रहा और कब किसके द्वारा पुलिस को दिया गया इसकी मुझे जानकारी नहीं है...............।

अभियोजन साक्षी विवेचक अरविन्द कुमार पी0डब्लू0.8 ने अपनी जिरह के **पेज–4** पर कथन किया कि–''पत्रावली में शामिल प्रदर्श क–2 दिखाकर साक्षी से उसमें उल्लिखित तथ्य

दिनांक 16.9.2023 को समय लगभग आठ बजे मजरूब विनोद थाने गया था और पंकज गुप्ता भी थाने पहुॅचा था और पंकज गुप्ता को थाने के सिपाहियों ने पकड लिया था उसके बाद मुझे उपचार के लिये बबेरू भेजा गया था दिखाकर पूछा गया कि जब अभियुक्त को दिनांक 16.9.2023 को सुबह 8 बजे मरका की पुलिस ने पकड़ लिया था, इस सम्बन्ध में क्या कहना है, तो साक्षी ने कहा कि प्रदर्श क–2 में किसी डाक्टर का अभिप्रमाणन नहीं है और न ही किसी हस्तलेख विशेषज्ञ का कोई रिपोर्ट है इसलिये प्रदर्श क–2 में उल्लिखित तथ्यों के सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं बता सकता।''

पत्रावली पर उपलब्ध कथित मृत्यु कालिक कथन मृतक विनोद सिंह प्रदर्श क–2 के पृष्ठ भाग पर इस आशय का पृष्ठांकन अंकित है कि''वेलसन मेडिसिटी हास्पिटल आने के पहले मैं अपने मरीज को आत्मा राम चाइल्ड केयर एण्ड क्रिटकल केयर कानपुर उसके बाद हालेट हास्पिटल ले गया। उसके बाद वेलसन मेडिसिटी हास्पिटल आये जो कि लखनऊ में है। इसके बाद हिन्दी व अग्रेजी में अमर सिंह का हस्ताक्षर है।

अभियोजन साक्षी अरविन्द कुमार पी0डबलू0.8 ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि ....दिनांक 2.10..2023 को सी डी नं0.6 किता किया गया जिसमें मजरूब के इलाज के सम्बन्ध सी एच सी बबेरू तथा जिला अस्पताल बांदा तथा मेडिकल कालेज बांदा.......... तथा वेलसन हास्पिटल लखनऊ की डेथ समरी तथा मृतक के लिखित मृत्यु कालिक कथन का अवलोकन किया गया। अतः स्पष्ट है कि मृतक विनोद सिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र, मृत्युकालिक कथन एवं सम्बन्धित चिकित्सीय प्रपत्र प्राप्त होने के उपरान्त अवलोकन कर विवेचक ने केस डायरी में अंकित किया गया लेकिन वादी मुकदमा अमर सिंह पी0डब्लू0.1 ने प्रदर्श क–2 को सम्पादित किये के बाबत जानकारी होने के तथ्य से कतई इनकार किया है। ऐसी अवस्था मे प्रदर्श क–2 के सम्बन्ध में वादी मुकदमा द्वारा मुख्य परीक्षा में किये गये कथन की महत्व स्वतः समाप्त हो जाती है।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श क–2 मृत्यु कालिक कथन मृतक विनोद सिंह के अवलोकन से स्पष्ट है कि मृत्यु कालिक कथन वेलसन मेडिसिटी हास्पिटल के छपे हुए कागज (लेटर पैड) पर लिखा गया है जिस पर लिखने वाले का नाम अंकित नहीं है तथा उक्त प्रपत्र पर दिनांक 19.9.2023 की तिथि दूसरी कलम व स्याही से अंकित है। उक्त प्रपत्र पर इन्द्रराज सिंह का हस्ताक्षर हिन्दी में तथा वादी अमर सिंह का हस्ताक्षर हिन्दी व अंग्रेजी में अंकित है जिसपर अंग्रेजी में आइडेण्टीफाई व अपठनीय लघुहस्ताक्षर अंकित है। उक्त अभिलेख का सत्यापन, मृत्यु कालिक कथन लेखक एवं वादी, उसके पिता इन्द्राज सिंह एवं मृतक के हस्ताक्षर को मृत्युकालिक कथन लिखने के समय उपस्थिति चिकित्सक को पेश करके प्रदर्श क–2 को सिद्ध नहीं कराया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी मुकदमा अमर सिंह पी0डब्लू0.1 ने अभियोजन केस को सबल बनाने की गरज से कथित मृत्यु कालिक कथन प्रदर्श क–2 तैयार कराया है और बाद में वह जानबूझकर प्रदर्श क–2 मृत्यु कालिक कथन को विवेचक को उपलब्ध कराये जाने के तथ्य से इनकार कर रहा है तथा प्रदर्श क–2 को सम्पादित किये जाने के तथ्य की जानकारी होने इनकार कर रहा है। इसी क्रम में इस तथ्य का उल्लेख किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है कि यदि मजरूब घटना की दिनांक को अपने भाई छोटू सिंह के साथ थाना मरका पहुॅचा था और वह पूरे होशहवाश में था व बोल रहा था तथा वादी विनोद सिंह व उसके पिता इन्द्राज

सिंह भी मौजूद थे तो ऐसी दशा में मजरूब विनोद सिंह का बयान पुलिस कर्मी के द्वारा वादी अमर सिंह, उसके भाई छोटू सिंह व पिता इन्द्रराज सिंह की उपस्थिति में अंकित कर वादी, उसके भाई छोटू सिंह व पिता इन्द्रराज सिंह का हस्ताक्षर कराकर इलाज हेतु सम्बन्धित अस्पताल को रवाना किया जा सकता था, लेकिन अभियोजन की ओर से ऐसा कुछ भी किया जाना नहीं पाया जाता है। पुलिस द्वारा तैयार किये गये मृत्युकालिक कथन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दुर्योधन बनाम महाराष्ट्र राज्य **2003(1) जेआईसी 184 एस सी** के सम्मानित निर्णयज में अवधारित किया गया है कि– DD recorded by police in presence of other prosecution witnesses is valid. Such DD is reliable and cannot be doubted on the ground that the statement not produced to police but produced before the court directly for the first time.

अभियोजन साक्षी हे0का0 कमलेश कुमार यादव पी0डब्लू0.4 ने अपनी जिरह के पेज–2 पर कथन किया है कि दिनांक 16.9.23 को ही समय 8.33 बजे मजरूब विनोद सिंह उर्फ गब्बर सिंह मय हमराह छोटू सिंह के थाने आया था। मजरूब विनोद सिंह जब थाने आया था तब बोल रहा था, मैने उसकी चोटे देखी थी। जब मजरूब छोटू सिंह के साथ थाना कार्यालय 8.33 बजे थाने आया था तब मजरूब तथा उसके साथ आये किसी व्यक्ति ने घटना के बारे में लिखित सूचना नहीं दिया फिर कहा कि मौखिक सूचना दी थी, यह बात सही है कि किसी मौखिक सूचना का तस्करा मैने जी0 डी0 नं0. 20 में नहीं किया।

अभियोजन साक्ष्य से यह तथ्य भी स्पष्ट हुआ कि मजरूब विनोद सिंह थाना मरका में 8. 33 बजे सुबह अपने भाई छोटू सिंह के साथ घायल अवस्था में पहुॅच गया था। तत्काल बाद वादी अमर सिंह भी थाना गेट पर पहुॅचा। अभियोजन साक्षी निर्मोद सिंह पी0डबलू0.3 ने भी इस आशय का साक्ष्य दिया है कि वह घटना घटित होने के बाद थाने गेट तक गया था। अतः स्पष्ट हुआ कि मजरूब विनोद सिंह थाना मरका पहुचने के समय बोल रहा था और उसकी चोटे भी हे0का0 कमलेश कुमार ने देखा। फिर वे कौन सी परिस्थितियां थी कि मजरूब के मौखिक बयान का तसकिरा थाने की जी0डी0 में नहीं किया गया और न ही किसी पुलिस कर्मी द्वारा वादी, उसके भाई छोटू सिंह व पिता इन्द्रराज सिंह की मौजूदगी में मजरूब विनोद सिंह का बयान लिखा गया। इस बाबत कोई समुचित व संतोषजनक स्पष्टीकरण अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियोजन की ओर से कथित मृत्यु कालिक कथन प्रदर्श क–2 की सम्पुष्टि उसके लेखक अथवा चिकित्सक द्वारा न किये जाने के कारण प्रदर्श क–2 मृत्यु कालिक कथन विधितः साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है और इससे अभियोजन केस कोई बल प्रदान किया जाना हीं पाया जाता है।

अभियोजन साक्षी वादी मुकदमा अमर सिंह पी0डब्लू0.1 की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से यह तथ्य भी स्पष्ट हुआ कि जब वादी मुकदमा घटना की सूचना पाकर थाना मरका पहुॅचा तो थाना गेट पर ही मजरूब विनोद सिंह के साथ छोटू सिंह मिले तथा पुलिस ने मजरूब विनोद को छोटू सिंह के साथ इलाज हेतु बबेरू भेज दिया।

अभियोजन साक्षी हे0का0 कमलेश कुमार यादव पी0डबलू0.4 ने अपनी जिरह के **पेज–1 व 2** पर कथन किया है कि वादी मुकदमा अमर सिंह अपने भाई मजरूब विनोद सिंह के साथ

थाना मरका में आया था और लिखित तहरीर दी थी। यह तसकिरा मैंने जी0डी0नं0.29 दिनांक 16.9.23 समय 10.49 बजे थाना मरका में किया था.........।

मजरूब विनोद को चिट्ठी मजरूबी बनाकर दो का0 के साथ इलाज के लिये भेजा था। पत्रावली में कोई चिट्ठी मजरूबी नहीं है। बबेरू अस्पताल के मेडिकल प्रपत्र में अगर मजरूब को पुलिस द्वारा मेडिकल के लिये ले जाना व मेडिकोलीगल केस होना अंकित न हो तो मैं इसकी वजह नहीं बता सकता।

साक्षी पी0डब्लू0.4 ने अपनी जिरह में यह भी कथन किया कि–......जब मजरूब छोटू सिंह के साथ थाना कार्यालय 8.33 बजे थाने आया था तब मजरूब के साथ आये किसी व्यक्ति ने घटना के बारे में लिखित सूचना या मौखिक सूचना नहीं दिया,फिर कहा कि मौखिक सूचना दी थी,यह बात सही है कि किसी मौखिक सूचना का तसकिरा मैने जी0डी0.20 में नहीं किया।

मजरूब के साथ दिनांक 16.9.23 को समय 8.33 बजे उसके घर वाले भाई वगैरह भी थाने मजरूब के साथ आये थे। मरका से बबेरू कस्बे की दूरी लगभग 20–22 किमी है। मरका से यदि चार पहिया वाहन से भी आया जाय तो लगभग 20–25 मिनट का समय लगेगा,क्योंकि सिंगल रोड है।

अभियोजन साक्षी हे0का0 कमलेश कुमार यादव पी0डब्लू0.4 के जिरह में किये गये कथन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली उपलब्ध जी0डी0 नं0.20 दिनांक 16.9.2023 समय 8.33 बजे कागज संख्या–5क/5 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त जी0डी0 में आगन्तुक/मजरूब विनोद उर्फ गब्बर सिंह मय हमराह छोटू सिंह का थाना हाजा पर उपस्थित होना तथा मजरूब विनोद की चोट का निरीक्षण कर मजरूबी चिट्ठी के साथ का0 विकास व का0 शैलेन्द्र को मय प्राइवेट वाहन इलाज हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बबेरू रवाना किये जाने का उल्लेख है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अभियुक्त पंकज गुप्ता के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने से पूर्व ही मजरूब विनोद उर्फ गब्बर सिंह को इलाज हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मजरूबी चिट्ठी देकर पुलिस कर्मी का0 विकास व शैलेन्द्र के साथ प्राइवेट वाहन से रवाना किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बबेरू जनपद बादा के वाह्य रोगी टिकट की फोटो प्रति कागज संख्या–26 के अवलोकन से विदित होता है कि विनोद सिंह पुत्र इन्द्रराज सिंह निवासी मरका थाना मरका जिला बांदा को दिनांक 16.9.2023 को समय 8.38 ए.एम. चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बबेरू के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का अंकन है। रोगी टिकट पर चिकित्सक ने मरीज की बी0पी0, पल्स की गति अंकित किया है तथा आंग्ल में अंकित किया है कि इंजरी नाट टू बी नोटेड अंकित करने के साथ मरीज को इलाज हेतु जिला चिकित्सालय बांदा के लिये अग्रसारित किया है लेकिन वाह्य रोगी टिकट में मजरूब को इलाज हेतु लाये जाने वाले व्यक्ति अथवा पुलिस कर्मी नाम अंकित नहीं है।

अभियोजन के अनुसार मजरूब विनोद सिंह को थाना मरका से इलाज हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बबेरू बहवाले जी0डी0 नं0.20 समय 8.33 बजे प्रातः दिनांक 16.9.2023 को प्राइवेट वाहन से रवाना किया गया। हे0का0 कमलेश कुमार यादव पी0डब्लू0.4 के अनुसार मरका से बबेरू 20–22 किमी की दूरी पर स्थित है तथा चार पहिया वाहन से बबेरू पहुॅचने मे बीस–पच्चीस मिनट का समय सिंगल रोड होने के कारण लग सकता है। उक्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कहा जा सकता है कि मजरूब विनोद सिंह को सामुदायिक

स्वास्थ्य केन्द्र बबेरू लगभग 8.58 ए एम बजे या 9.00 एएम तक पहुॅचना चाहिये था, लेकिन मजरूब विनोद थाना मरका से 8.33 बजे प्रातः रवाना कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बबेरू 8.38 बजे प्रातः पहुॅचकर चिकित्साधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होकर चोटों का निरीक्षण व इलाज कराया। इस तथ्य को अभियोजन पक्ष स्पष्ट नहीं कर पाया है कि 20—22 किमी की दूरी किस प्रकार से पांच मिनट में तय करके मजरूब विनोद सिंह को चिकित्साधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वाह्य रोगी टिकट पर मजरूब को इलाज हेतु प्रस्तुत करने वाले किसी पुलिस कर्मी अथवा विनोद के भाई छोटू सिंह अथवा पिता इन्द्रराज सिंह का भी नाम अंकित नहीं है। वाह्य रोगी टिकट सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बबेरू दिनांक 16.9.2023 फोटो प्रति लोक दस्तावेज की श्रेणी में आता है जो साक्ष्य विधि में ग्राह्य है तथा इस प्रपत्र पर संदेह व्यक्त किये जाने कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। यही नहीं मजरूब विनोद सिंह के सम्बन्ध में तैयार की गयी मजरूबी चिट्ठी को भी अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे थाना मरका की पुलिस द्वारा मजरूब विनोद सिंह को इलाज हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मरका प्राइवेट वाहन से पुलिस कर्मियों के साथ रवाना किया जाना संदिग्ध प्रतीत होता है।

पत्रावली में संलग्न केस डायरी पर्चा नं0.7 दिनांक 7.10.2023 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवेचक अरविन्द कुमार पी0डब्लू0.8 के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बबेरू के चिकित्साधिकारी डा0 बृजेश भारती का बयान अंकित किया गया है। डा0 बृजेश भारती विवेचक द्वारा पूछने पर बता रहे हैं कि ''दिनांक 16.9.2023 को समय 8.38 एएम पर मजरूब विनोद सिंह उम्र 28 वर्ष पुत्र इन्द्रराज सिंह निवासी ग्राम मरका जनपद बांदा को घायल अवस्था में परिजनों द्वारा सीएचसी लाया गया था जिसके छाती में घाव थे और खून बह रहा था। मजरूब का प्राथमिक उपचार कर छाती पेट व पीठ पर पट्टी बांधकर तुरन्त ही जिला अस्पताल बांदा इलाज हेतु रिफर किया गया था। मरीज की नाजुक हालत को देखते हुए चोटे नोट नहीं की गयी थी और तत्काल जिला अस्पताल बांदा रिफर कर दिया था।'' उक्त तथ्य को अभियोजन साक्षी उपनिरीक्षक अरविन्द कुमार पी0डब्लू0.8 ने अपनी मुख्य परीक्षा में स्वीकार किया है कि दिनांक 7.10.2023 को सी डी नं0.7 किता किया था जिसमें सीएचसी बबेरू के डा0 बृजेश भारती, जिला अस्पताल बांदा के डाक्टर विनीत कुमार, मेडिकल कालेज बांदा के डाक्टर राहुल कुमार सीनियर रेजीडेण्ट सर्जरी बयान अंकित करते हुए उपरोक्त धारा 307 आईपीसी से 302 आईपीसी में तरमीम करते हुए मुकदम उपरोक्त की विवेचना थानाध्यक्ष मरका श्री रमेश कुमार को सुपुर्द की गयी।

केस डायरी के पर्चा नं0.7 में अंकित डा0 बृजेश भारती द्वारा विवेचक को दिये गये बयान के आधार पर निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि थाना मरका की पुलिस द्वारा मजरूब इलाज हेतु पुलिस कर्मियों के साथ रवाना नहीं किया गया, क्योंकि मजरूब के थाना मरका में कथित रूप से 8.33 बजे प्रातः पहुॅचने से पूर्व ही मजरूब को उसके परिजनों द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बबेरू के चिकित्साधिकारी के समक्ष इलाज हेतु प्रस्तुत किया जा चुका है। उक्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यही कहा जा सकता है कि थाना मरका की पुलिस द्वारा वादी मुकदमा के दबाव में अभियोजन केस को बल देने के लिये अवैधानिक रूप से मजरूब को थाना मरका से सीएचसी बबेरू इलाज हेतु भेजने की फर्जी तरीके से कार्यवाही अमल में लायी गयी। यहां पर इस तथ्य का भी उल्लेख किया जाना न्याय संगत प्रतीत होता है

कि यदि वास्तव में अभियुक्त पंकज गुप्ता द्वारा मजरूब विनोद सिंह पर चाकू से प्राण घातक हमला मजरूब के दरवाजे पर चाकू से प्रहार किये जाने के परिणाम स्वरूप मजरूब के घर से थाने तक जाने के दौरान खून रास्ते में गिरा होता तो विवेचक द्वारा रास्ते से खूनालूद मिट्टी व सादी मिट्टी यदि न ली जाती तो मजरूब के दरवाजे पर पडे खून से सनी मिट्टी व सादी मिट्टी का नमूना लिया जाता लेकिन विवेचक द्वारा खूनालूद व सादी मिट्टी का नमूना वादी मुकदमा के दरवाजे से न लेकर हैण्ड पम्प के उत्तर स्थित पक्की रोड से लिये जाने का संकेत विवेचक ने नक्शा नजरी प्रदर्श क–12 दर्शित किया है। उपरोक्त सम्पूर्ण तथ्य व साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए यही कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष जिस प्रकार से कथित रूप घटना को घटित होना कहकर आया है उस प्रकार घटना घटित होना नहीं पाया जाता है।

अभियोजन साक्षी उपनिरीक्षक अरविन्द कुमार पी0डब्लू0.8 की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य में आया है कि दिनांक 16.9.2023 को थाना मरका में उपनिरीक्षक के पद तैनाती के दौरान थाना मरका पर दर्ज मुकदमा अपराध संख्या–163/2023 धारा–307 आईपीसी पंजीकृत हुआ तथा प्रकरण की विवेचना उन्हें सुपुर्द हुई तथा विवेचना में मामूर होकर दिनांक 16.9.23 को का0 अनिल पटेल एवं का0 नकुल राय के साथ थाना मरका की जीडी नं0.33 समय 12.33 बजे अभियुक्त पंकज गुप्त की पतारसी व सुरागरसी के बाबत मरका तिराहे पर आये और मुखविरों को अभियुक्त की पतारसी व सुरागरसी के बाबत मामूर किया। तदोपरान्त उपनिरीक्षक अरविन्द कुमार समय करीब 18.45 बजे ग्राम मिर्जापुर पहुॅचे जहां पर मुखविर ने सूचित किया कि घटना कारित करने वाला अभियुक्त मरका से बबेरू जाने पर रोड पर मुडिया बाबा मंदिर से थोडा आगे पैदल कही जा रहा है और भागने के फिराक में है। मुखविर की सूचना पर पुलिस बल ने आपस में एक दूसरे की जामा तलाशी ले देकर इतमिनान किया कि किसी के पास कोई घटना से सम्बन्धित कोई नाजायज वस्तु तो नहीं है। उपनिरीक्षक पुलिस सहित मुखविर को साथ लेकर मुखविर के बताये अनुसार अपनी मोटर साइकिलों से जब मरका से बबेरू जाने वाली रोड पर थोड़ा आगे दाहिनी तरफ स्थित बोडाफोन टावर के पास पहुॅचे तो मुखविर ने इशारे से बताया कि सामने जो व्यक्ति कुर्ता व पैण्ट पहने जा रहा है वही पंकज गुप्ता है। मोटर साइकिल की लाइट में देखे गये व्यक्ति को बताकर मुखविर चला गया। उपनिरीक्षक मय पुलिस कर्मी मोटर साइकिल से नजदीक पहुॅचकर उक्त व्यक्ति को घेरा मारकर आवश्यक बल प्रयोग करके 19.10 बजे पकड लिया। पकडे गये व्यक्ति का नाम व पता तथा भागने का कारण पूछा तो अपना नाम पंकज गुप्ता पुत्र गुलाबचन्द्र गुप्ता निवासी ग्राम व थाना मरका बताया तथा कडाई से पूछने पर बताया कि आज सुबह अपने पडोसी विनोद सिंह को चाकू से मारकर घायल कर दिया है वह मौका पाकर भाग रहा था लेकिन पकडा गया। मौके पर पंकज गुप्ता की जामा तलाशी ली गयी तो पहने कपडों के अलावा कोई वस्तु बरामद नहीं हुई। अतः अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में लेकर फर्द गिरफतारी टार्च व मोबाइल की रोशनी में तैयार की गयी व अन्य औपचारिकता पूर्ण करने के उपरान्त अभियुक्त की गिरफतारी की सूचना उसकी पत्नी श्रीमती रेखा को अभियुक्त द्वारा बताये गये मो0नं0 पर दी गयी। अभियुक्त पंकज गुप्ता को लोकर थाने के लाकप में दाखिल किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध फर्द बरामदगी लेने कब्जा आला कतल चाकू प्रदर्श क–16 के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 16.9.2023 विवेचक अरविन्द कुमार हमराह का0 नकुल राय व

का0 अनिल पटेल, का0 रविन्दू रजक सरकारी जीप 90जी–0336 मय चालक थाना मरका की जी0डी0 नं0.48 समय 20.20 बजे अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू की बरामदगी हेतु रवानगी किया। अभियुक्त ने घटना में प्रयुक्त चाकू को नाले के किनारे स्थित झाडियों में यमुना नदी की तरफ छिपाया जाना बताया। अतः अभियुक्त की निशादेही पर वाहन को मरका गांव के नाले की ओर लाया गया और नाले से पहले अभियुक्त को वाहन से उतारा गया तथा अभियुक्त को दास्ताने पहनने हेतु दिये गये जिसे अभियुक्त ने पहनकर आगे–आगे चलकर नाले के किनारे स्थित झाडियों रक्त रंजित चाकू निकाल कर दिया जिसे मौके पर ही ग्राम मरका के उपस्थित गवाहान निर्मोद सिंह व रामजी तिवारी के समक्ष कब्जा पुलिस में लिया गया। थाने पर पहले से मौजूद फील्ड यूनिट के कर्मचारीगण का0 चन्द्रपाल म0 का0 वर्षा को मौके पर बुलाया गया जिनके द्वारा खूनालूद चाकू पर मौजूद संदिग्ध चांस प्रिण्ट को लिया गया तथा अभियुक्त के दोनों हाथों की सभी उँगलियों के फिंगर प्रिण्ट सादे कागज पर समक्ष गवाहान लिया गया तथा अभियुक्त के पहने कपडों पर रक्त की छीटे मौजूद हैं को काटकर कब्जा पुलिस में लिया गया। विवेचक द्वारा स्वयं टार्च व मोबाइल की रोशनी में फर्द तैयार की गयी। बरामदशुदा चाकू को एक पारदर्शी पलास्टिक के डिब्बे में रखकर सर्व मुहर कर नमूना मुहर तैयार किया। इसके अलावा चांस प्रिण्ट व अभियुक्त के फिंगर प्रिण्ट को एक लिफाफे मे ंरखकर सर्वमुहर किया गया। कपडो की कटिंग (कुर्ता व पैण्ट) दो पारदर्शी पालीथीन में अलग–अलग रखकर एक लिफाफे में बंद कर मौके पर ही समक्ष गवाहान सील मुहर कर नमूना मुहर तैयार किया गया। फर्द पर अभियुक्त व सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। चाकू के फल की लम्बाई आठ अंगुल,लकडी के लगे बेंट की लम्बाई आठ अंगुल। बेट के अगले हिस्से में पीतल की पत्ती लगी है तथा बेंट फल से दो स्टील की रिपिट से कसा है।

अभियोजन साक्षी विवेचक अरविन्द कुमार पी0डब्लू0.8 ने अपनी जिरह के पेज–4 पर कथन किया कि–.....यह कहना गलत है कि..तथा कथित समय व स्थान पर अभियुक्त पंकज गुप्ता की गिरफतारी न हुई हो। अभियुक्त पंकज को पूर्ण स्वतंत्रता व भयमुक्त स्थिति में बयान लेना चाहिये था। यह बात सही है कि अभियुक्त पंकज गुप्ता से पूछताछ लाकप के अंदर होने की स्थिति में गयी थी। यह कहना गलत है कि अभियुक्त पंकज गुप्ता ने मुझे कोई तथाकथित बयान न दिया हो। यह कहना गलत है कि तथाकथित समय व स्थान पर तथाकथित प्रकार से तथा कथित कोई चाकू अभियुक्त पंकज गुप्ता की निशादेही पर बरामद न हुई हो। घटनास्थल से वापस आने के बाद मैं थाने में लगभग 30 मिनट रूका था। थाने से रवाना होने के समय कोई जनसाक्षी हमारे साथ चलने को तैयार नहीं हुआ था इसलिये जन साक्षी नहीं लिये थे। अभियुक्त के साथ थाना मरका से मेरी व हमराहियान की रवानगी जब हुई थी उस समय रात्रि थी। घटना के समय बरसात का मौसम था। यमुना नदी के किनारे जो नाले है उनमें जमुना की बाढ के समय वापसी का पानी भर जाता है और कीचड दल–दल हो जाता है। उक्त कीचड व दलदल को सूखने में समय लगता है लेकिन यदि वारिस हो जाय तो कीचड या दलदल काफी दिन तक रह सकता है।

थाने से 200–250 मीटर यमुना नदी के किनारे नाले की तरफ जीप से गये थे। यह ग्रामीण सडक है,जिस पर हमलोग यमुना नदी की तरफ 200–250 मीटर गये थे। जहां पर वाहन से उतरे थे वहां से लगभग 100 यमुना के किनारे की ओर चले थे। मौके पर हमलोग

लगभग 30 मिनट रहे होगे। फर्द की लिखा पढी वहीं मौके पर की थी। ऐसा नहीं है कि फर्द की लिखापढी मौके पर न की हो बल्कि जीप के पास आकर की हो। मैने किसी जनसाक्षी को न तो साथ लिया था और न ही किसी को सूचना देकर मौके पर बुलाया था।

फर्द गिरफतारी अभियुक्त पंकज गुप्ता प्रदर्श क–15 के अवलोकन से विदित होता है कि उपनिरीक्षक विवेचक अरविन्द कुमार पी0डब्लू0.8 को मुखविर द्वारा अभियुक्त पंकज गुप्ता को मरका से बबेरू जाने वाले रोड पर मुड़िया बाबा मंदिर से थोडा आगे पैदल जाने की सूचना ग्राम मिर्जापुर में समय 18.45 बजे प्राप्त हुई लेकिन विवेचक अरविन्दु कुमार ने ग्राम मिर्जापुर से जनता के गवाहान को फराहम करने के प्रयास का कोई उल्लेख फर्द बरामदगी में नहीं किया है बल्कि पुलिस बल द्वारा आपस में एक दूसरे जामातलाशी लिये दिये जाने का उल्लेख किया है। यहीं नहीं अभियुक्त की जामा तलाशी के दौरान पहने हुए कपडों के अलावा कोई वस्तु बरामद न होने का भी उल्लेख फर्द गिरफतारी में अंकित है। फर्द में यह तथ्य भी अंकित है कि मुखविर ने इशारा किया कि जो व्यक्ति कुर्ता व पैण्ट पहने जा रहा है वही पंकज गुप्ता है। यहां पर इस तथ्य उल्लेख करना न्यासंगत प्रतीत होता है कि जब अभियुक्त पंकज गुप्ता को पैण्ट व कुर्ता पहने हुए गिरफतार किया गया तो उसके पहने हुए कपडे पर पडे खून की छीटों (धब्बा) का उल्लेख अभियोजन साक्षी अरविन्द कुमार पी0डबलू0.8 ने फर्द गिरफतारी लिखते हुए समय अंकित क्यों नहीं किया,इस तथ्य को अभियोजन की ओर से स्पष्ट नहीं किया गया है, जिससे अभियुक्त की गिरफतारी उक्त कथित स्थान से विवेचक द्वारा किये जाने का तथ्य संदिग्ध प्रतीत होता है। यही नहीं उपनिरीक्षक अरविन्द कुमार पी0डबलू0.8 ने फर्द गिरफतारी प्रदर्श क–15 में इस तथ्य का उल्लेख किया है कि....कडाई से पूछने पर अभियुक्त ने बताया कि आज सुबह मैने अपने पडोसी विनोद उर्फ गब्बर पुत्र इन्द्रराज सिंह नि0 ग्रा0 मरका को चाकू से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था...........।'' जब उपनिरीक्षक अरविन्द कुमार को अभियुक्त ने मकतूल विनोद सिंह पर चाकू से प्रहार करने की बात बता दी थी तो उस चाकू के सम्बन्ध में उपनिरीक्षक ने अभियुक्त से यह नहीं पूछा कि कथित चाकू उसके द्वारा कहां पर रखा गया है। अभियुक्त को गिरफतार करने उपरान्त थाने ले जाकर थाने के लाकप में बंद करने के उपरान्त विवेचक द्वारा लाकप में ही आला कतल चाकू के सम्बन्ध में पूछताछ करने पर, अभियुक्त द्वारा आला कतल चाकू नाले के पास स्थित झाडियों में छिपाकर रखने और चलकर बरामद कराने की बात विवेचक को बताया जाना संदिग्ध प्रतीत होता है। पत्रावली पर उपलब्ध दैनिकी रोजनामचाआम नं0.43 दिनांक 16.9.23 समय 19.47 बजे बाबत दाखिला अभियुक्त मय एक किता फर्द गिरफतार कागज संख्या–7क के अन्त में यह इबारत अंकित है कि''हुलिया अभियुक्त इकहरा मजबूत जिस्म आंख, नाक, कान कद औसत व पहनावा सफेद कुर्ता व लोवर पैण्ट खाकी कलर का है। कोई जाहिरा चोट नही है। अभियुक्त के पहने कुर्ते व लोवर पैण्ट पर खून की छीटे मौजूद हैं।'' इसका अर्थ यह निकलता है कि चूँकि उपनिरीक्षक अरविन्द कुमार द्वारा चाकू की बरामदगी व कपडे पर खून की छीटे प्लाण्ट करके अभियुक्त के पास से दर्शित करनी थी, इसी कारण से अभियोजन साक्षी अरविन्द कुमार पी0डब्लू0.8 के द्वारा फर्द गिरफतारी प्रदर्श क–15 में अभियुक्त के पहने कुर्ते व पैण्ट पर खून के धब्बे का उल्लेख नहीं किया गया। अभियोजन साक्षी अरविन्द कुमार ने जिरह के पेज–4 पर स्पष्ट रूप से कथन किया है कि.......''. मैने किसी जनसाक्षी को न तो साथ लिया था और न ही किसी को सूचना देकर मौके पर

बुलाया था।'' फर्द बरामदगी आला कतल चाकू प्रदर्श क–16 में जनसाक्षी के रूप में निर्मोद सिंह एवं रामजी तिवारी का नाम अंकित है। साक्षी अरविन्द कुमार के अनुसार उनके द्वारा किसी जनसाक्षी को न तो साथ लिया गया और न किसी को सूचना दी गयी। जबकि साक्षी के अनुसार फर्द आला कतल बरामदगी स्थल पर ही टार्च व मोबाइल की रोशनी में तैयार की गयी जिस पर गवाहान निर्मोद सिंह व रामजी तिवारी के हस्ताक्षर मौजूद है। इससे यही निष्कर्षित होता है कि अभियोजन साक्षी अरविन्द कुमार ने थाने पर ही बैठकर फर्द आला कतल व फर्द गिरफतारी अभियुक्त पंकज गुप्ता तैयार करने के उपरान्त उस पर मनमाफिक निर्मोद सिंह पी0डबलू0.3 जो कि वादी मुकदमा अमर सिंह का खानदानी व रामजी तिवारी पडोसी है, के हस्ताक्षर फर्द आला कतल पर करवा लिये। फर्द आला कतल चाकू के अन्तिम लाइन में चाकू के विवरण को देते हुए इबारत के बीच के स्पेस को कम करके लिखा गया है जिसका मुख्य कारण यह होना कहा जा सकता है कि साक्षीगण निर्मोद सिंह व रामजी तिवारी के हस्ताक्षर विवेचक द्वारा पहले से ही सादे कागज पर करा लिये गये थे और बाद में फर्द बरामदगी आला कतल तैयार की गयी।

मान्नीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **[2025(3) JIC 184 (SC)] Supreme Court Vinobhai vs State of Kerala** के सम्मानित निर्णयज में अवधारित किया गया है कि– Murder Disclosure statement– Recovery of knife– Evidentiary value of Held– There are material omissions in the statement of prosecution witnesses which amount to material contradiction. Both the witnesses did not take the deceased to the hospital. Though other persons were present at the time of incident but they have not been examined. Considering the conduct of both the witnesses, their version does not inspire confidence. Recovery of knife on the disclosure statement cannot be deemed to adequate to secure conviction.

प्रश्नगत मामले में अभियोजन साक्षी विवेचक अरविन्द कुमार पी0डब्लू0.8 ने अपनी जिरह के **पेज–3** पर कथन किया कि–..........''बरामद चाकू जिसे घटना में प्रयोग किया जाना कहा जाता है, वह सामान्य चाकू है, उक्त प्रकार के चाकू घरेलू उपयोग के लिये किचेन आदि में प्रयुक्त होते हैं। चाकू की लम्बाई व चौडाई तथा अन्य स्थितियां निर्धारित मानक से ज्यादा होते तो अभियुक्त के खिलाफ 4/25 आर्म्स ऐक्ट का अभियोग बनता क्योंकि निर्धारित मानको का उल्लंघन नहीं था, इसलिये 4/25 आर्म्स ऐक्ट का अभियोग नहीं लिखा गया था।''

फर्द बरामदगी के स्वतंत्र साक्षी निर्मोद सिंह पी0डब्लू0.3 ने अपनी जिरह के **पेज–4** पर कथन किया कि............अस खुद कहा कि दरोगाजी ने मुझे थाने बुलाया था। थाने में दरोगाजी ने हमारे सामने न तो कोई लिखा–पढी की न किसी के कोई बयान लिये। थाने से दरोगाजी व पुलिस वाले व मैं जीप से यमुना नदी के किनारे गये थे। थाने से यमुना नदी के किनारे तक पहॅुचने में कितना समय लगा मैं नहीं बता सकता हूॅ। मौके पर कुल कितनी देर रहे मैं नहीं बता

सकता हूँ। जब हमलोग यमुना नदी के किनारे गये थे तो वहां अंधेरा था। घटना के समय बरसात का मौसम था लेकिन उस दिन धूप निकली थी। मुझे जानकारी नहीं है कि जमुना नदी में इस घटना के पूर्व व बरसात शुरू होने के बीच कितनी बार बाढ आयी थी या नहीं आयी थी। जमुना नदी में बाढ आती रहती है। जब जमुना नदी में ज्यादा बाढ आती तो जो गांव की तरफ से जमुना नदी में नाले मिले हैं उनमे ंपानी पलटकर भरता है,जिससे जहां पानी भरता है वहां कीचड व सड़न होती है और कई–कई दिनों तक कीचड बना रहता है। जब हमलोग गये थे तो वहां तक जीप नहीं गयी थी,फिर जीप से उतरकर सात–आठ लाठी पैदल गये थे। जमुनाजी से पश्चिम तरफ गये थे। जमुना नदी के किनारे नाले के बगल से पंकज ने झाडियों से चाकू निकाला था........। साक्षी ने आगे अपनी जिरह के **पेज–5** पर कथन किया कि..........पंकज ने अपने हाथ से चाकू निकालकर दरोगाजी के हाथ में दिया था तो दरोगजी ने अपने हाथ में लिये थे। उस झाडी के पास हमलोग कितनी देर तक रहे मैं नहीं बता सकता हूँ। जहां झाडी के पास तक गया था वहां से वापस मैं दरोगाजी के साथ थाने नहीं गया था, बल्कि अपने घर चला गया था। जहां झाडी के पास चाकू मिला था वहां से रोड पर आ करके लिखा पढी की थी। रोड मे ंजहां जीप खडी थी वहां वापस आकर लिखापढी की थी..........मुल्जिम पंकज कुर्ता व पैण्ट पहने था,पैण्ट जीन्स का था या काहे का था मैं नहीं बता सकता हूँ। कुर्ता काटन का था या टेरीकाट का था,मैं नहीं बता सकता हूँ। पंकज के कुर्ता व पैण्ट उतार करके पुलिस ने सील किया था। इसके बाद पुलिस वाले हमारे सामने ही थाने चले गये थे और मैं घर चला गया था।...........चाकू बरामद होने के बाद पालीथीन मे ंदरोगाजी ने रखा था और कपडे कुर्ता व पैण्ट दूसरे पालीथीन मे ंरखे थे। यह पालीथीन किस रंग की थी नहीं बता सकता हूँ। चाकू व कपडे दरोगाजी ने इसी पालीथीन में सील मोहर किया था। अभियोजन साक्षी निर्मोद सिंह पी0डबलू0.3 द्वारा जिरह में किये गये कथन से स्पष्ट है कि वह अभियुक्त पंकज गुप्ता से कथित आला कतल चाकू की बरामदगी कराने पुलिस जीप से बरामदगी स्थल जमुना नदी के किनारे नाले पर गया जहां स्थित झाडी से अभियुक्त ने चाकू निकाल दरोगाजी के हाथ में दिया। फर्द लिखने की कार्यवाही बरामदगी स्थल पर न करके इस साक्षी के अनुसार रोड पर जहां जीप खडी थी,वहां पर की गयी अभियुक्त पंकज के पहने कर्ता व पैण्ट को उतरवाकर चाकू व कपडे को अलग–अलग पालीथीन मे ंरखकर सील मुहर किया गया जबकि अभियोजन साक्षी अरविन्द कुमार पी0डब्लू0.8 के अनुसार फर्द बरामदगी आला कतल की फर्द बरामदगीस्थल पर ही लिखी गयी। अभियोजन साक्षी ने बरामदगी स्थल पर पहॅुचने व वहां रूकने व लिखापढी करने में लगे समय बताने में असमर्थता जाहिर की है। फर्द बरामदगी आला कतल प्रदर्श क–16 में अभियोजन साक्षी अरविन्द कुमार पी0डब्लू0.8 के द्वारा इस तथ्य को अंकित किया गया है कि ''थाना हाजा पर पूर्व में मौजूद फील्ड यूनिट टीम के कर्मचारीगण का0 चन्द्रपाल सिंह व म0का0 वर्षा दुबे को बुलाया गया जिनके द्वारा खूनालूद चाकू पर मौजूद संदिग्ध चांस प्रिण्ट को लिया गया तथा अभियुक्त उपरोक्त के दोनों हाथों की सभी ॲगलियों के फिंगर प्रिण्ट सादे कागज पर समक्ष गवाहान लिये गये तथा अभियुक्त के पहने कपडो जहां रक्त की छीटे मौजूद हैं को काटकर कब्जा पुलिस मे ंलिया गया।'' चाकू को पारदर्शी पलास्टिक के डिब्बे में, चांस प्रिण्ट व अभियुक्त के फिंगर प्रिण्ट को एक लिफाफे में रखकर सील मोहर किया गया। उल्लेखनीय है कि अभियोजन साक्षी निर्मोद सिंह ने अपनी जिरह में अभियुक्त के पहने पैण्ट व कुर्ता को उतरवाकर पालीथीन में सील मुहर

करने व चाकू को भी पालीथीन में रखकर सील मोहर किये जाने का कथन किया गया है। कथित दस्ताने जिसको अभियुक्त ने हाथ में पहनकर कथित आला कतल चाकू झाडी से निकाल कर दिया, की कोई फर्द उपनिरीक्षक अरविन्द कुमार द्वारा तैयार किया जाना नहीं पाया जाता है और न ही साक्ष्य के समय कथित दास्ताना को न्यायालय में पेश किया गया है।अभियोजन साक्षी निर्मोद सिंह पी0डब्लू0.3 व उपनिरीक्षक अरविन्द कुमार पी0डब्लू0.8 के साक्ष्य में आला कतल की बरामदगी तथा फर्द लिखे जाने एवं आला कतल चाकू व खून लगे कपडे को सील किये जाने के विन्दु पर घोर विरोधाष होने के फलस्वरूप साक्षी निर्मोद सिंह की बरामदगी स्थल पर उपस्थिति व बरामदगी की सम्पूर्ण कार्यवाही संदिग्ध प्रतीत होती है। अभियोजन की ओर से अभियुक्त पंकज गुप्ता की उॅगलियों के लिये गये फिंगर प्रिण्ट व चाकू पर संदिग्ध चांस प्रिण्ट की कोई विशेषज्ञ रिपोर्ट अभियोजन की ओर से पेश नहीं किया गया है। फिंगर प्रिण्ट व संदिग्ध चाकू का चांस प्रिण्ट की विशेषज्ञ रिपोर्ट के अभाव में इस तथ्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता कि चाकू पर पाये गये संदिग्ध चांस प्रिण्ट व अभियुक्त के उॅगलियों के फिंगर प्रिण्ट समान हैं। ऐसी अवस्था में अभियुक्त से की गयी कथित आला कतल चाकू की बरामदगी संदिग्ध प्रतीत होती है।

अभियोजन साक्षी अरविन्द कुमार पी0डब्लू0.8 ने अपनी जिरह में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि कथित रूप से बरामद आला कतल जैसे चाकू का प्रयोग सामान्यतः किचेन मे ंप्रयोग किया जाता है। बरामदशुद चाकू की लम्बाई व चौडाई व स्थित निर्धारित मानक से अधिक न होने के कारण उनके द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध 4/25 आयुध अधिनिमय के तहत अभियोग पंजीकृत नहीं कराया गया। उक्त तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए मात्र विधि विज्ञान प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट के आधार पर कि चाकू पर रक्त पाया गया,कथित रूप से घटित घ ाटना में प्रयुक्त किया जाना नहीं कहा जा सकता है और अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण अरविन्द कुमार पी0डबलू0.8 एवं फर्द बरामदगी के स्वतंत्र साक्षी निर्माद सिंह पी0डब्लू0. 3 की ओर से प्रस्तुत व अन्य साक्ष्य सामग्री के विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अभियुक्त पंकज गुप्ता से कथित आला कतल चाकू की बरामदगी संदिग्ध प्रतीत होती है।

पत्रावली पर उपलब्ध इंजरी रिपोर्ट प्रदर्श क–5 के अवलोकन से स्पष्ट है कि मजरूब विनोद सिंह पुत्र इन्द्रराज सिंह को दिनांक 16.9.2023 को जिला चिकित्सालय बांदा में इलाज हेतु समय 9.48 बजे प्रातः आपात कालीन चिकित्साधिकारी बांदा के समक्ष इलाज हेतु प्रस्तुत किया गया है। मजरूब विनोद सिंह के शरीर आयी चोटों का चिकित्सीय परीक्षण डा0 विनीत कुमार पी0डबलू0.5 द्वारा किया गया जो निम्नवत् है–

1. 4 X0.5 सेमी के आकार का कटा हुआ घाव छाती के दाहिनी तरफ जो दाहिने निपल से ठीक नीचे जिसके किनारे स्पष्ट थे एवं मांसपेशी एवं हड्डी तक गहरे थे।

2. 3 X0.5 सेमी के आकार का कटा हुआ घाव दाहिनी तरफ पीठ पर था।

3. 3 X0.5 सेमी के आकार का कटा हुआ घाव छाती से बायी तरफ था,यह घाव मांसपेशी तक था।

4. 2X0.5 सेमी के आकार का कटा हुआ छाती के बायी तरफ था, इसके किनारे स्पष्ट थे एवं मांसपेशी तक था। यह घाव बाई पिनल से 3 सेमी नीचे थे। सभी घाव से खून बह रहा था।

साक्षी की राय के अनुसार चोट नं0. 1, 2, 3, 4 किसी धारदार हथियार से आना संभव है। चाकू भी धारदार हथियार की श्रेणी में आता है। उसने इन चोटों की एक्सरे की सलाह दी थी। साक्षी का यह भी कथन है कि डाक्टरी मुआइना 16.9.2023 को 9.55 ए.एम. पर समाप्त किया था। उसी दिन मजरूब की हालत गंभीर होने के कारण उसे मेडिकल कालेज बांदा रिफर किया गया था। साक्षी पत्रावली में शामिल कागज संख्या–27क/1 व 27क/2 जो कि डाक्टरी मुआइना प्रपत्र है तथा 27क/3 डिस्चार्ज/रिफर प्रपत्र है जो छाया प्रतियां है जिनको साक्षी ने लेख व हस्ताक्षर में होने की पुष्टि करते हुए प्रदर्श क–5 व प्रदर्श क–6 के रूप में सिद्ध व प्रमाणित किया है।

अभियोजन साक्षी डा0 विनीत कुमार पी0डबलू0.5 विद्वान अधिवक्ता बचाव के द्वारा विस्तार से जिरह की गयी है। साक्षी ने जिरह में कथन किया है कि मजरूब विनोद उर्फ गब्बर सिंह की मूल इंजरी रिपोर्ट पत्रावली में नहीं है,आज उसके समक्ष न्यायालय में मेडिको लीगल रजिस्टर जिसमें चोटों का विवरण लिखा जाता है,उसके समक्ष नहीं है,बिना मूल इंजरी रिपोर्ट से मिलान किये उसने इंजरी रिपोर्ट की फोटो कापी को प्रमाणित किया है। अभियोजन साक्षी डा0 मोहित कुमार ने इंजरी रिपोर्ट की फोटो कापी पर अंकित चोटों व उस पर बने हस्ताक्षर को स्वयं के द्वारा तैयार किये जाने व उस पर हस्ताक्षर किये जाने की पुष्टि की है। इंजरी रिपोर्ट जिला अस्पताल बांदा द्वारा जारी की गयी है जो लोक दस्तावेज की श्रेणी में है और साक्ष्य में ग्राह्य है। साक्षी ने जिरह में यह भी कथन किया है उसने चोट नं0.1 सार्प और हार्ड आब्जेक्ट से आना अंकित किया है। चोट नं0.2 की मारजिन व गहराई अंकित नहीं है। शेष चोट 1, 3 व 4 के मारजिन क्लीयरकट लिखे हैं। साक्षी का कथन है कि सभी चोट की मारजिन क्लीयर पाया था किसी भी चोट की मारजिन इररेगुलर नहीं थे। साक्षी का यह भी कथन है कि चोट नं0.1 लगायत 4 के हेड व टेल मे ंउसने कोई भिन्नता नही ंपायी है। चिकित्सक साक्षी विशेषज्ञ साक्षी की परिधि में है जो चोट की प्रकृति के आधार पर अपनी राय देता है। इंजरी रिपोर्ट में अंकित मजरूब की चोटों के अवलोकन से स्पष्ट है कि उसके शरीर पर कटे हुए घाव पाये गये हैं, मजरूब के शरीर पर चिकित्सक द्वारा किसी भुके हुए घाव का उल्लेख नहीं किया गया है। तथ्य के साक्षीगण वादी मुकदमा अमर सिंह पी0डबलू0.1, श्रीमती कोमल पी0डबलू0.2 एवं निर्मोद सिंह पी0डब्लू0.3 की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य विवेचन एवं विश्लेषण के दौरान विश्वसनीय एवं विश्वास योग्य नहीं पाया गया है, ऐसी अवस्था में चिकित्सक डा0 विनीत कुमार पी0डब्लू0.5 की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभियोजन पक्ष को कोई लाभ प्रदान किया जाना नहीं पाया जाता है। माननीय न्यायालय द्वारा महमूद बनाम उ0 प्र0 राज्य **ए0आई0आर0 2008, पेज–515** के सम्मानित निर्णयज में अवधारित किया गया है कि– As per Sec.45, Evidence Act a doctor is a medical expert. It is well settled that medical evidence is only an evidence of opinion and it is not conclusive and when oral evidence is found to be inconsistent with medical opinion, the question of relying upon one or the other would depend upon the facts and circumstances of each case.

पत्रावली पर उपलब्ध चिकित्सीय अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि मजरूब विनोद उर्फ गब्बर सिंह की दशा गंभीर होने के कारण जिला अस्पताल बांदा से मेडिकल कालेज बांदा इलाज हेतु अग्रसारित किया गया। तदोपरान्त मेडिकल कालेज बांदा से मजरूब विनोद सिंह को इलाज हेतु दिनांक 16.9.2023 को समय 11.00 पीएम पर डिस्चार्ज कर जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कालेज कानपुर को रिफर किया गया है। इसके उपरान्त दिनांक 17.9.2023 को समय 11.34 पीएम पर मजरूब विनोद सिंह को इलाज हेतु विलसन मेडिसिटी हास्पिटल लखनऊ में इलाज हेतु भर्ती कराया गया जहां पर दौरान इलाज दिनांक 20.9.2023 को समय 5.15 पीएम पर मजरूब विनोद सिंह की मृत्यु हो गयी जैसा कि विलसन मेडिसिटी हास्पिटल द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र कागज संख्या–30क/3 से स्पष्ट हुआ है।

अभियोजन साक्षी उपनिरीक्षक अवनीश कुमार **पी0डब्लू0.6** के द्वारा मृतक विनोद सिंह के शव का पंचनामा विधिक अपेक्षा के अनुरूप तैयार किया गया है। साक्षी ने पंचनामा व उसके सम्बन्धित प्रलेख अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किये जाने की पुष्टि की है। अभियोजन साक्षी अवनीश कुमार पी0डब्लू0.6 की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का विस्तृत उल्लेख पूर्व में किया जा चुका है।

अभियोजन साक्षी डा0 पंकज कुमार गुप्ता **पी0डब्लू0.7** के द्वारा मृतक विनोद सिंह के शव का पोस्टमार्टम सम्पादित किया गया है। साक्षी ने पोस्ट मार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क–11 को स्वंय के हस्तलेख व हस्ताक्षर सहयोगी डा0 आनन्द कुमार की उपस्थिति में तैयार किये जाने की पुष्टि की है। अभियोजन डा0 पंकज कुमार गुप्ता पी0डब्लू0.7 के मतानुसार मृतक विनोद सिंह की मृत्यु सेप्टीसीमिया वजह एण्टीमार्टम इंजरीज के फलस्वरूप होना संभावित बताया है। चिकित्सक पंकज कुमार गुप्ता के साक्ष्य का विस्तृत उल्लेख पूर्व में किया जा चुका है।

अभियोजन साक्षी कमलेश कुमार यादव पी0डब्लू0.4 ने अपने शपथ बयान में चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं कायमी मुकदमें की जी0डी0 को कम्प्यूटर आपरेटर को बोलकर कम्प्यूटराइज्ड कराये जाने के तथ्य को सिद्ध किया है तथा उक्त अभिलेख पर बने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करते हुए प्रदर्श क–3 व प्रदर्श क–4 के रूप में सिद्ध किया है।

अभियोजन साक्षी अरविन्दु कुमार **पी0डबलू0.8** प्रस्तुत मामले के विवेचक है जिनके द्वारा मुकदमा पंजीकृत होने की तिथि 16.9.2023 को ही प्रकरण की विवेचना ग्रहण कर प्रकरण की विवेचना की गयी। मजरूब विनोद उर्फ गब्बर सिंह की इलाज के दौरान विलसन मेडिसिटी हास्पिटल लखनऊ में दिनांक 20.9.2023 को हो जाने के उपरान्त मुकदमें को धारा–302 भा0द0सं0 में तरमीम हुआ और प्रकरण की अग्रिम विवेचना उपनिरीक्षक रमेश कुमार द्वारा ग्रहण कर सम्पादित की गयी है। विवेचक अरविन्द कुमार पी0डब्लू0.8 ने अपने सशपथ साक्ष्य से नक्शा नजरी प्रदर्श क–12,नक्शा नजरी बरामदगी आला कतल चाकू प्रदर्श क–13,फर्द खूनालूद व सादी मिट्टी प्रदर्श क–14, फर्द गिरफतारी अभियुक्त पंकज गुप्ता प्रदर्श क–15 एवं फर्द बरामदगी आला कतल चाकू प्रदर्श क–16 को स्वयं के हस्तलेख व हस्ताक्षर में होने की पुष्टि करते हुए सिद्ध किया है। इसके अलावा अभियोजन साक्षी रमेश कुमार **पी0डबलू0.9** ने आरोप पत्र प्रदर्श क–17 स्वयं के हस्तलेख व हस्ताक्षर में होने की पुष्टि करते हुए सिद्ध किया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत वादी मुकदमा अमर सिंह पी0डबलू0.1, घटना प्रत्यदर्शी साक्षी श्रीमती कोमल पी0डब्लू0.2 एवं निर्मोद सिंह पी0डब्लू0.3 की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य,

विश्लेषण एवं विवेचन के दौरान विश्सनीय एवं विश्वास योग्य होना नहीं पाया गया है। ऐसी अवस्था में विवेचक अरविन्द कुमार पी0डबलू0.8 एवं विवेचक रमेश कुमार पी0डब्लू0.9 की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभियोजन पक्ष को कोई लाभ प्रदान नहीं पाया जाता है।

अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत सम्पूर्ण मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य के विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्षित है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त पंकज कुमार गुप्ता के विरूद्ध अपना केस युक्तियुक्त संदेह की सीमा के परे तक सिद्ध कर लेने में पूर्ण रूप से विफल रहा है। अतः अभियुक्त पंकज कुमार गुप्ता संदेह का लाभ पाकर अधिरोपित अपराध धारा 302 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय आरोप से दोषमुक्त होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त पंकज कुमार गुप्ता पुत्र स्व0. गुलाब चन्द्र गुप्ता निवासी ग्राम मरका थाना मरका जिला–बांदा को सत्र परीक्षण संख्या–725/2023, मुकदमा अपराध संख्या–163 सन् 2023 थाना मरका, जिला बांदा के प्रकरण में धारा–302 भा0द0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त पंकज कुमार गुप्ता जमानत पर है, उसके स्वबंधपत्र व प्रतिभूपत्र निरस्त कर प्रतिभूओं को उनके दायित्व से उन्मुक्त किया जाता है।

वाद सम्पत्ति यदि कोई हो, अपील अवधि के उपरान्त अथवा अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के आदेशनुसार विधिनुसार निस्तारित किया जाय।

अभियुक्त पंकज कुमार गुप्ता द्वारा दं0प्र0सं0 की धारा 437(ए) के अधीन मु0 50,000/–रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि के दो विश्वसनीय प्रतिभू इस आशय से तीन दिवस के अंदर दाखिल करेगा कि यदि इस निर्णय के विरूद्ध कोई अपील होती है, तो अपील की नोटिस प्राप्त होने पर अभियुक्त स्वतः अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा। यह बंधपत्र आगामी 6 माह के लिए प्रभावी रहेगा।

दिनांकः–21.07.2026

(प्रवीण कुमार सिंह–द्वितीय)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम
बांदा।

न्यायालय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उद्घोषित किया गया।

दिनांकः–21.07.2026

(प्रवीण कुमार सिंह–द्वितीय)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम
बांदा।
(I.D. No : UP6051)